विधान प्रबोधनी

अंक - 04

त्रैमासिक पत्रिका

बिहार विधान सभा सचिवालय
पटना

८5वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन

श्री ओम बिरला, माननीय अध्यक्ष, लोकसभा का स्वागत करते माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा

विधान प्रबोधनी

त्रैमासिक पत्रिका अंक - 04

संरक्षक :
नन्द किशोर यादव
अध्यक्ष, बिहार विधान सभा

सह संरक्षक :
नरेन्द्र नारायण यादव
उपाध्यक्ष, बिहार विधान सभा

मुख्य सम्पादक :
ख्याति सिंह
प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा

सम्पादक :
राजीव कुमार
निदेशक, बिहार विधान सभा

बिहार विधान सभा
पटना

विधान प्रबोधनी

प्रकाशक :
पुस्तकालय शाखा
बिहार विधान सभा, पटना।

© **प्रकाशक**

सह सम्पादक :
आलोक कुमार सिंह, अवर सचिव
प्रज्ञाग्नि, प्रशाखा पदाधिकारी
नेहा भारती, प्रशाखा पदाधिकारी
प्रभात कुमार, जनसम्पर्क पदाधिकारी
राजीव रंजन कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी
रागिनी सिंह, पुस्तकालय सहायक
धनंजय कुमार, शोध/संदर्भ सहायक

मुद्रक :
संजय प्रिंटिंग वर्क्स
गुरहट्टा, पटना सिटी, पटना – 8

आमुख

विधान प्रबोधनी के चतुर्थ अंक के प्रकाशन के अवसर पर मैं अत्यंत हर्ष और गर्व का अनुभव कर रहा हूँ। बिहार विधान सभा की इस त्रैमासिक पत्रिका के माध्यम से हम न केवल विधायी कार्यों, संसदीय परंपराओं और जन–प्रतिनिधियों की भूमिका को व्यापक रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि लोकतंत्र के स्तंभों को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए एक विचारशील संवाद का मंच भी उपलब्ध करा रहे हैं।

एक उत्तरदायी विधान सभा केवल कानून बनाने का कार्य ही नहीं करती, बल्कि वह शासन की प्रत्येक शाखा पर विधायी निगरानी भी रखती है। प्रश्नोत्तर काल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और विभिन्न समितियों की बैठकों के माध्यम से विधान सभा जनता की समस्याओं को शासन के समक्ष लाने तथा उनका समाधान सुनिश्चित कराने में अहम भूमिका निभाती है।

इस पत्रिका के माध्यम से हमारा यह प्रयास रहता है कि सदन की कार्यवाही की प्रमुख झलकियाँ, विभिन्न विधेयकों की संक्षिप्त व्याख्या, विधायकों के विचार, संसदीय प्रक्रियाएँ और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़े विषयों को एक सहज और समन्वित रूप में प्रस्तुत किया जाए। इससे न केवल नागरिकों को जानकारी प्राप्त होती है, बल्कि नव–निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को भी संसदीय कार्यप्रणाली का गहन ज्ञान प्राप्त होता है।

मैं यह भी उल्लेख करना चाहूँगा कि बिहार विधान सभा प्रशासन द्वारा डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु कई महत्त्वपूर्ण पहलें की जा रही हैं। ई–विधान प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन, दस्तावेजों के डिजिटलीकरण तथा सदन की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग जैसी पहलों ने पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को नया आयाम प्रदान किया है। हमें विश्वास है कि यह डिजिटल परिवर्तन भविष्य में विधान सभा की कार्यक्षमता और जन–प्रतिनिधियों की दक्षता को और अधिक बढ़ाएगा।

इस पत्रिका की एक अन्य विशिष्टता यह है कि यह केवल विधायी सूचना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह संस्कृति, समाज, भाषा, एवं लोक परंपराओं की अभिव्यक्ति का भी मंच है। इस अंक में सीता जी की जन्मस्थली एवं कुछ ऐसे रचनात्मक प्रयासों को भी स्थान दिया गया है, जो हमें बिहार की सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक चेतना से जोड़ते हैं। इन पहलुओं से पत्रिका न केवल एक सरकारी दस्तावेज बनती है, बल्कि एक जीवंत और बहुआयामी संप्रेषण का साधन भी बनती है।

मैं इस अवसर पर विधान सभा सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों और उन सभी लेखकों का विशेष धन्यवाद करता हूँ, जिनके सतत् परिश्रम, लेखन और प्रतिबद्धता से यह अंक संभव हो सका है। मैं आशा करता हूँ कि यह अंक भी अपने उद्देश्य में सफल होगा और पाठकों को न केवल जानकारी प्रदान करेगा, बल्कि उन्हें लोकतंत्र के प्रति और अधिक सजग एवं जागरूक नागरिक बनाएगा।

अंत में, मैं सभी पाठकों से यह आग्रह करना चाहूँगा कि वे इस पत्रिका को केवल पढ़ें ही नहीं, बल्कि इसमें प्रकाशित विषय–वस्तु पर मंथन करें, सुझाव दें, और इस पहल को अधिक समृद्ध बनाने में भागीदार बनें। यह पत्रिका तभी सफल मानी जाएगी, जब यह जन–जन के मन में लोकतंत्र की भावना को और गहराई से स्थापित कर सके।

(नन्द किशोर यादव)
अध्यक्ष
बिहार विधान सभा

सम्पादकीय

पुनः हम विधान प्रबोधनी के एक नवीन अंक के साथ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हैं। विधायिका की भूमिका केवल कानून निर्माण तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह समाज के नैतिक और बौद्धिक मार्गदर्शन के साथ सामाजिक उत्तरदायित्व का भी वहन करती है। 'विधान–प्रबोधनी' पत्रिका का प्रकाशन इसी भावना का मूर्त रूप है।

इस अंक की विशेषता है—'भारत रत्न' जननायक 'कर्पूरी ठाकुर' पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण आलेख। इस अंक में साइबर अपराध की चुनौती और विधायकों की भूमिका के सम्बन्ध में आलेख, पटना में आयोजित पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के संस्मरण, सिडनी में आयोजित राष्ट्रमण्डल संसदीय सम्मलेन की यादें, सीतामढ़ी जिला की विशेषताएं तथा बजट सत्र की समीक्षा और युवा संसद की विशेषताओं को समाहित किया गया है। इसके अलावा बिहार की नदियों की विशेषताओं के साथ पंचायती राज व्यवस्था एवं संविधान की पचहत्तर वर्ष की यात्रा पर सारगर्भित आलेख भी है। सदन में उठाये जाने वाले गैर सरकारी संकल्प के सन्दर्भ में भी महत्वपूर्ण आलेख है। साथ ही संवेदनशील सोच और कार्यस्थलीय समावेशिता की दिशा में एक ठोस कदम के रूप में पालना घर की शुरुआत, कार्यस्थल पर समान अवसर और मातृत्व की गरिमा को प्राथमिकता देते हुए बिहार विधान सभा को न केवल विधायी कार्यों का केंद्र, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व और मानवीय मूल्यों को आत्मसात करने वाला संस्थान भी सिद्ध करता है। बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यों के लिए स्वच्छता, पोषण और समयबद्धता के मानकों के अनुरूप नवनिर्मित अत्याधुनिक कैन्टीन की शुरुआत भी इस अंक को विशेष बनाता है।

विधान सभा सचिवालय का यह प्रयास रहा है कि यह पत्रिका न केवल विधायकों, शोधकर्ताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए उपयोगी हो, बल्कि छात्रों, शिक्षकों और आम नागरिकों के लिए भी एक सुलभ और सारगर्भित संसाधन बने। इस दिशा में लेखों की भाषा, प्रस्तुति शैली और विषयवस्तु की विविधता पर हमारा विशेष ध्यान रहा है।

हम कृतज्ञ हैं माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के मार्गदर्शन के प्रति, जिनके प्रेरक विचारों से यह अंक समृद्ध हुआ है। साथ ही, हम उन लेखकों, शोधकर्ताओं और तकनीकी कर्मियों के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं, जिनके सहयोग से यह अंक मूर्त रूप ले सका।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि 'विधान–प्रबोधनी' का यह अंक भी पाठकों के लिए संसदीय प्रणाली की बारीकियों को समझने में सहायक सिद्ध होगा।

(ख्याति सिंह)
प्रभारी सचिव
बिहार विधान सभा

अनुक्रमणिका

विषय	संकलनकर्त्ता / रचनाकार	पृष्ठ संख्या
आमुख	माननीय अध्यक्ष	3
संपादकीय	प्रभारी सचिव	4
विषय सूची		5
सत्र समीक्षा		6-8
सप्तदश बिहार विधान सभा का त्रयोदश सत्र	पल्लवी गुप्ता, पुस्तकालय सहायक	9-11
सप्तदश बिहार विधान सभा का चतुर्दश सत्र	अजमतुन निशा, पुस्तकालय सहायक	
विधान सभा सत्र में छात्रों की शैक्षणिक यात्रा	आलोक कुमार, पुस्तकालय सहायक भावना कुमारी, पुस्तकालय सहायक	12-13
युवा संसद	कुमारी चंचला, शोध/संदर्भ सहायक गार्गी मिश्रा, पुस्तकालय सहायक	14-16
बिहार विधान सभा उप भवन में आधुनिक कैंटीन का शुभारंभ	अनिल वर्मा, प्रशाखा पदाधिकारी	17-18
बिहार विधान सभा उप भवन में पालना घर : एक संवेदनशील पहल	जयंती, प्रशाखा पदाधिकारी	19-20
राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन : सिडनी (माननीय अध्यक्ष की संसदीय अध्ययन यात्रा)	धनंजय कुमार, शोध/संदर्भ सहायक रागिनी सिंह, पुस्तकालय सहायक	21-27
आलेख		
साइबर फ्रॉड की चुनौती : विधायिका और विधायकों की भूमिका	राजीव कुमार, निदेशक	28-32
अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन (AIPOC)	प्रज्ञाग्नि, प्रशाखा पदा. प्रभात कुमार, जनसंपर्क पदा.	33-51
बिहार विधान सभा में NeVA का शुभारंभ	कौशलेन्द्र कुमार, प्रशाखा पदा.	52-54
भारत रत्न श्री कर्पूरी ठाकुर : एक युगपुरुष की विरासत	राजीव कुमार, निदेशक	55-56
गैर सरकारी संकल्प	अरुण शंकर प्रसाद, सदस्य, बि.वि.स.	57-59
पंचायती राज व्यवस्था तथा महिला सशक्तिकरण	प्रदीप दूबे, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश विधान सभा	60-62
बिहार के नदी तीर्थ	अमिय भूषण, भारतीय ज्ञान परंपरा अध्येता	63-68
भारतीय संविधान : 75 वर्ष की यात्रा	भारत भूषण शर्मा, प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा	69-71
जिला विशेष : सीतामढ़ी	भरत कुमार भारती, शोध/संदर्भ सहायक राजीव रंजन, शोध/संदर्भ सहायक	72-80
श्रद्धांजलि		81
कविता : शहीद की पत्नी	विलोक रंजन, सहायक प्रशाखा पदा.	82
फोटो गैलरी	मनीष कुमार, पुस्तकालय सहायक पंकज कुमार, शोध/संदर्भ सहायक	83-92

सत्र समीक्षा : सप्तदश बिहार विधान सभा का त्रयोदश सत्र

बिहार विधान सभा का यह सत्र संसदीय एवं विधायी गतिविधियों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। सप्तदश बिहार विधान सभा का त्रयोदश सत्र, निर्धारित कार्यक्रमानुसार, 25 नवम्बर, 2024 से आरंभ होकर 29 नवम्बर, 2024 तक सम्पन्न हुआ। इस अवधि में कुल पाँच बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें अनेक विधायी एवं सार्वजनिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर गंभीर विमर्श हुआ।

सप्तदश बिहार विधान सभा का त्रयोदश सत्र की कार्यवाही अनेक दृष्टियों से ऐतिहासिक और फलदायी सिद्ध हुआ। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों को सदन पटल पर प्रस्तुत किया गया एवं समुचित विमर्श के उपरांत पारित किया गया जो इस सत्र की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक रहा।

इनमें विशेष रूप से ''बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक'', ''बिहार खेल विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक'', तथा ''बेतिया राज की संपत्तियों को निहित करने वाले विधेयक'' प्रमुख रहे, जो न केवल विधायी दृष्टिकोण से, बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक संदर्भों में भी राज्य के लिए दूरगामी प्रभाव वाले मील के पत्थर सिद्ध होंगे।

इन विधेयकों पर गहन विमर्श और सूक्ष्म अध्ययन के उपरांत, कुछ संशोधनों सहित इन्हें पारित किया गया, जो यह दर्शाता है कि विधान सभा में विचार और विरोध के संतुलन के साथ, जनहित को सर्वोपरि रखते हुए निर्णय लिए गए। यह प्रक्रिया न केवल विधायी परिपक्वता का परिचायक है, बल्कि लोकतांत्रिक परंपराओं की मजबूती का सशक्त प्रमाण भी है।

सत्र के दौरान विपक्ष ने भी अपनी भूमिका को पूरी सतर्कता एवं सक्रियता से निभाया। विभिन्न विधेयकों एवं नीतिगत विषयों पर प्रश्न उठाकर, उन्होंने सत्ता पक्ष को घेरने और जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह संवादात्मक ऊर्जा ही लोकतंत्र की आत्मा है, जो विधान सभा की कार्यवाही को सार्थकता प्रदान करती है।

शीतकालीन सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव

बिहार विधानसभा का त्रयोदश सत्र न केवल विधायी दृष्टिकोण से समृद्ध रहा, अपितु प्रश्नोत्तर, निवेदन, याचिकाओं एवं अन्य संसदीय प्रक्रियाओं के माध्यम से जनप्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता का सजीव प्रतीक भी बना। इस सत्र में प्रस्तुत किए गए विविध विषयों पर विचारों का आदान–प्रदान लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा को और अधिक प्रगाढ़ करता प्रतीत हुआ।

प्रश्नोत्तर की प्रगति :

इस सत्र के दौरान कुल 964 प्रश्नों की प्राप्ति हुई, जिनमें से 809 प्रश्नों को स्वीकृति प्राप्त हुई। इनमें से 29 अल्पसूचित प्रश्नों में से 28 के उत्तर प्राप्त हुए, जो प्रश्नों की गंभीरता और तत्पर उत्तरदायित्व को दर्शाते हैं। इसी प्रकार, 681 तारांकित प्रश्न स्वीकृत हुए, जिनमें से 664 प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए, जो सदस्यगणों की सक्रियता एवं विभागीय उत्तरदायित्व का प्रमाण है। इसके अतिरिक्त, 384 प्रश्न अतारांकित रूप में स्वीकृत हुए।

ध्यानाकर्षण सूचनाएँ :

माननीय सदस्यों द्वारा जनहित से संबंधित कुल 103 ध्यानाकर्षण सूचनाएँ प्रस्तुत की गईं। इनमें से 08 सूचनाएँ सदन में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गईं, जबकि 85 सूचनाएँ संबंधित विभागों को लिखित उत्तर हेतु प्रेषित की गईं। 10 सूचनाएँ अमान्य घोषित की गईं, जो प्रक्रियात्मक कसौटियों की स्पष्टता को रेखांकित करती हैं।

निवेदन :

सत्र में कुल 154 निवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 151 को स्वीकृति प्रदान की गई तथा 03 निवेदन अस्वीकृत रहे। स्वीकृत निवेदनों को सदन की सहमति के उपरांत संबंधित विभागों को अग्रेषित किया गया, जिससे जनता की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

याचिकाएँ :

जन आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति के माध्यम बने याचिका प्रपत्रों की कुल 112 प्राप्तियाँ हुईं, जिनमें 100 याचिकाओं को स्वीकृति प्राप्त हुई तथा 12 याचिकाएँ प्रक्रियात्मक कारणों से अस्वीकृत की गईं।

गैर–सरकारी संकल्प :

इस सत्र में कुल 103 गैर–सरकारी संकल्पों की सूचनाएँ प्राप्त हुईं, जिनमें से 98 को स्वीकृति दी गई। स्वीकृत संकल्पों में से 89 संकल्प सूचनाएँ सदन में वापस ले ली गईं, 03 संकल्प सदन द्वारा स्वीकृत, 02 अस्वीकृत, एवं 04 सूचनाएँ अपृष्ठ रहीं। यह प्रक्रिया न केवल जनप्रतिनिधियों की स्वतंत्र विचारशीलता का परिचायक है, बल्कि विधान सभा की गंभीरता और गरिमा को भी उजागर करती है।

सदन में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार

शून्यकाल की गतिविधियाँ एवं सत्रावसान

त्रयोदश सत्र के शून्यकाल में माननीय सदस्यों द्वारा जनहित से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण विषयों को उठाया गया, जिनमें सामाजिक, आर्थिक, और क्षेत्रीय समस्याओं की मुखर अभिव्यक्ति हुई। शून्यकाल ने न केवल जनभावनाओं को स्वर दिया, अपितु शासन–प्रशासन का ध्यान विविध ज्वलंत मुद्दों की ओर आकर्षित कर लोकप्रतिनिधित्व की भूमिका को और अधिक सशक्त किया।

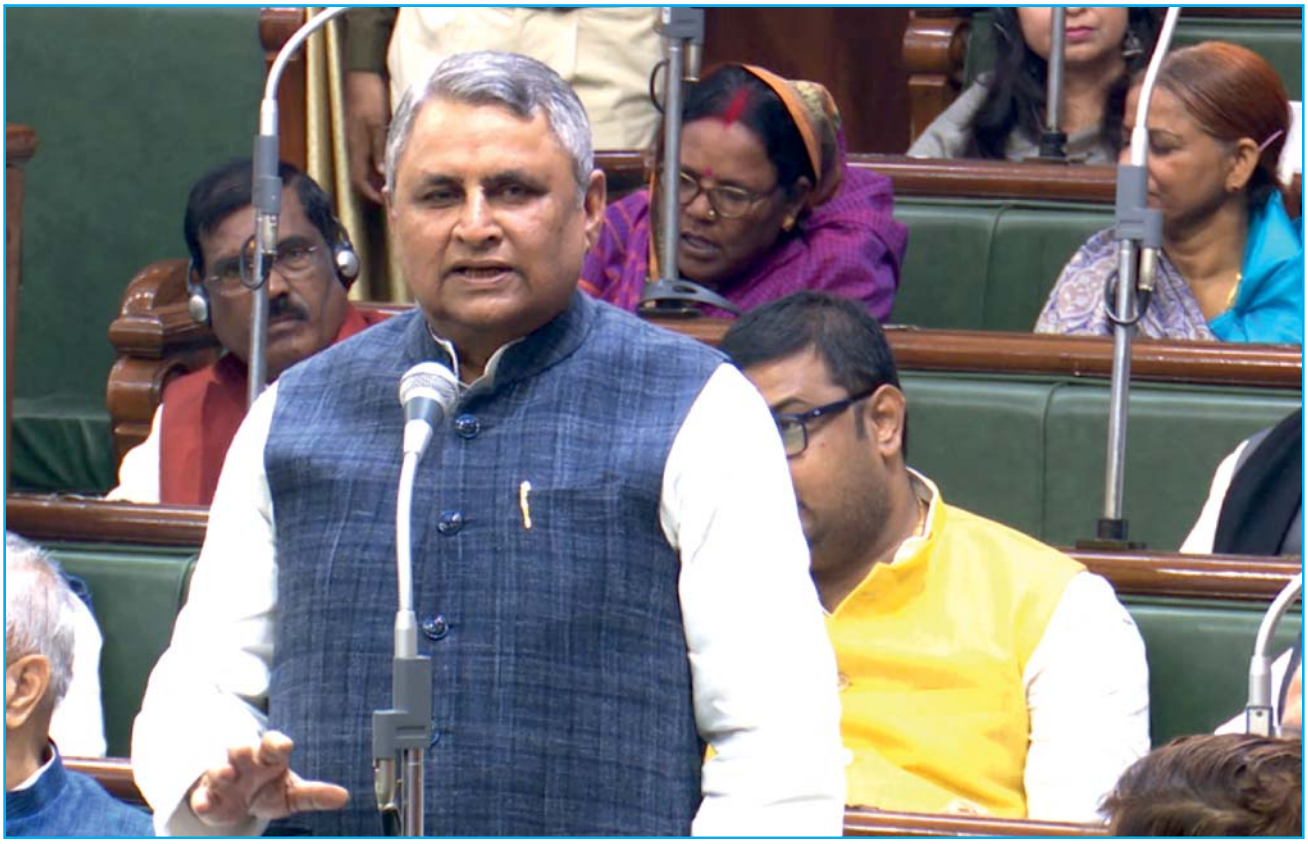

प्रश्नकाल के दौरान सदन में उत्तर देते माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी

इस अवधि में सदस्यों की भागीदारी और विषयों की विविधता यह प्रमाणित करती है कि बिहार विधान सभा जन–आकांक्षाओं का एक सशक्त मंच है, जहाँ लोकतांत्रिक विमर्श की धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है।

दिनांक 29 नवम्बर, 2024 को निर्धारित कार्यसूची की समाप्ति के उपरांत, माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सभा की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके साथ ही सप्तदश बिहार विधान सभा के त्रयोदश सत्र का विधिवत सत्रावसान हुआ। इस प्रकार, त्रयोदश सत्र एक विचारोत्तेजक, सक्रिय एवं सजीव लोकतांत्रिक संवाद का उदाहरण बनकर उभरा, जिसमें जन–समस्याओं की गूंज और समाधान की संकल्पशक्ति एक साथ दृष्टिगोचर हुई। यह सत्र अपने गहन विचार–विमर्श, विधायी सक्रियता, और लोकमंगल की प्रतिबद्धता के लिए स्मरणीय रहेगा, जहाँ जनप्रतिनिधियों ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा और संवेदनशीलता के साथ किया।

पल्लवी गुप्ता

पुस्तकालय सहायक

सत्र समीक्षा : चतुर्दश सत्र

बिहार विधान सभा का हालिया बजट सत्र कुल 18 दिनों तक चला, जिसमें राज्य के प्रशासनिक, वित्तीय और सामाजिक जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। यह सत्र न केवल बजट पारित करने का एक औपचारिक अवसर रहा, बल्कि विधायकों को जनता के मुद्दे उठाने, सरकार से सवाल पूछने और लोकतांत्रिक संवाद को आगे बढ़ाने का भी एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया।

दिनांक 28.02.2025 को माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान का अभिभाषण

सत्र की सबसे प्रमुख उपलब्धि वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए राज्य बजट का प्रस्तुत और पारित होना रहा। वित्त मंत्री द्वारा 3 मार्च, 2025 को विधानसभा में 3.17 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। बजट भाषण के माध्यम से उन्होंने राज्य सरकार की प्राथमिकताओं, नीतियों और व्यय योजनाओं को सदन के समक्ष रखा। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना और कृषि विकास जैसे क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दी गई। शिक्षा के क्षेत्रों में शैक्षणिक आधारभूत संरचना के विकास पर जोर दिया गया है। तकनीकी शिक्षा विभाग के नवीन पाठ्यक्रमों को इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थानों में लागू करने पर जोर दिया गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में कम से कम एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थपाना होगी। मेडिकल उपकरणों के निर्माण क्षेत्र में बिहार फार्मास्यूटिकल प्रमोशन पालिसी 2005, लागू की जाएगी। महिलाओं के लिए पटना में महिला हाट की स्थापना, सभी जिलों में गुलाबी शौचालयों का क्रियान्वयन, तथा प्रमुख शहरी क्षेत्रों में महिला चालकों और कंडक्टरों वाली गुलाबी बसें शुरू करने की घोषणा की गयी। सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में सभी पंचायतों में कन्या विवाह मंडप का निर्माण किया जायेगा। बजट प्रस्तावों पर विधायकों द्वारा गहन चर्चा हुई और विभिन्न सुझावों तथा आलोचनाओं के बाद इसे बहुमत से पारित किया गया।

सत्र की औपचारिक शुरुआत महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण से हुई, जिसमें उन्होंने सरकार की उपलब्धियों, नीतिगत पहलों और आगामी लक्ष्यों का उल्लेख किया। इस अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ. उस प्रस्ताव पर विस्तृत वाद–विवाद हुआ, जिसमें सत्ता पक्ष ने सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित किया, वहीं विपक्ष ने सरकार की कमियों और जनता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। वाद–विवाद के बाद सदन ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद

प्रस्ताव पारित किया। सत्र के दौरान कुछ विशिष्ट जन नायकों, पूर्व विधायकों और समाजसेवियों के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। अध्यक्ष महोदय ने दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदानों को याद किया। सदन ने दिवंगत नेताओं की स्मृति में दो मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

सदन में बजट भाषण (वित्तीय वर्ष 2025–2026) प्रस्तुत करते माननीय वित्त मंत्री (उप मुख्यमंत्री) श्री सम्राट चौधरी

सत्र के दौरान प्रश्नोत्तर काल में विधायकों ने विभिन्न विभागों से संबंधित सवाल पूछे। स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था, कृषि, पेयजल, सड़क निर्माण और रोजगार जैसे विषयों पर विशेष रूप से प्रश्न उठाए गए। मंत्रियों ने इन प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत किए और कई मामलों में त्वरित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। इस सत्र के दौरान कुल– 3857 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें 2944 प्रश्न स्वीकृत हुए। इन स्वीकृत 2944 प्रश्नों में कुल– 20 अल्पसूचित प्रश्न थे जिनमें 18 के उत्तर प्राप्त हुए। कुल–2639 तारांकित प्रश्न स्वीकृत हुए जिनमें 2400 प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए। साथ ही 285 प्रश्न अतारांकित हुए। इसके अतिरिक्त, सदस्यों द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचनाएँ और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी सदन में प्रस्तुत किए गए। अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर माननीय सदस्यों द्वारा कुल 278 ध्यानाकर्षण सूचनाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 29 ध्यानाकर्षण सूचनाएँ सदन में वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई तथा 227 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेज दिया गया, 05 सूचनाएँ व्यपगत हुईं एवं 17 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अमान्य किया गया। इसके अलावे इस सत्र में कुल 622 निवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 616 निवेदन स्वीकृत हुए तथा 06 अस्वीकृत हुए तथा इस सत्र में कुल 344 याचिकाएँ प्राप्त हुईं जिनमें से 311 स्वीकृत हुए तथा 33 अस्वीकृत हुईं एवं इस सत्र में कुल 271 गैर सरकारी संकल्प की सूचना पर सदन में चर्चा हुई।

सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक भी प्रस्तुत और पारित किए गए। इनमें पर्यावरण एवं वन विभाग, नगर निकाय प्रबंधन, और औद्योगिक विकास से संबंधित विधेयक प्रमुख रहे। विधेयकों पर विस्तृत चर्चा के बाद कुछ संशोधनों के साथ उन्हें पारित किया गया। यह प्रक्रिया लोकतांत्रिक विधायी प्रक्रिया को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रही।

विपक्ष ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। विशेष रूप से महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएँ और कानून व्यवस्था जैसे विषयों पर विपक्ष ने जोरदार ढंग से अपनी बातें रखीं। कई बार सदन में

तीखी बहसें भी देखने को मिलीं, लेकिन अंततः संवाद और सहमति से अधिकांश मुद्दों का समाधान निकल पाया।

राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, मंत्रीगण एवं अन्य सदस्य

सदन में सुचारू रूप से संचालित बिहार विधान सभा के चतुर्दश सत्र का एक परिदृश्य

बिहार विधान सभा का यह बजट सत्र लोकतंत्र की जीवंतता और विधायी प्रक्रिया की गंभीरता का उदाहरण रहा। बजट पारित कर राज्य में विकास के नए मार्ग प्रशस्त किए गए, वहीं जनता के मुद्दों को भी गंभीरता से उठाया गया। इस सत्र से यह संदेश गया कि बिहार विधान सभा एक सशक्त और सक्रिय लोकतांत्रिक संस्था के रूप में कार्य कर रही है, जो राज्य के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

अजमतुन निशा

पुस्तकालय सहायक

विधान सभा सत्र में छात्रों की शैक्षणिक यात्रा

> **यात्रा का उद्देश्य**
>
> **संसदीय प्रक्रिया को समझना :** छात्रों को विधान सभा के कार्य, बहस, कानून निर्माण, और जनप्रतिनिधियों की भूमिका का प्रत्यक्ष अनुभव कराना।
>
> **लोकतान्त्रिक मूल्यों को जानना :** संवैधानिक मूल्यों और लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना।

विधान सभा सत्र के दौरान स्कूली छात्रों की शैक्षणिक यात्रा (Educational Tour) एक अच्छी पहल है, जिससे विद्यार्थियों को लोकतंत्र की कार्यप्रणाली, विधायी प्रक्रिया और सरकारी संस्थानों की भूमिका को समझने का अवसर मिलता है। यह यात्रा उनके नागरिक ज्ञान और जागरूकता को बढ़ाने में मदद करती है। विधान सभा सत्र के दौरान स्कूली छात्रों की शैक्षणिक यात्रा, छात्रों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया और कानून बनाने की प्रक्रिया के बारे में शिक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह यात्रा उन्हें विधान सभा के कामकाज को करीब से देखने, प्रश्नकाल और शून्यकाल जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को समझने और विधायकों के साथ संवाद करने का मौका देती है।

इसी क्रम में चतुर्दश सत्र के दौरान विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के छात्रों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अवगत कराया गया। इसमें पटना सिटी के जल्ला स्थित राजकीय बालिका उच्च विद्यालय, पटना वीमेंस कॉलेज, नेशनल कैडेट कॉर्प्स (बिहार बटालियन, आरा) आदि के छात्र, छात्राएँ शामिल थे। इस यात्रा के दौरान युवा मन गतिशील माहौल से मंत्रमुग्ध थे क्योंकि उन्होंने विधानसभा की कार्यवाही को अपनी आँखों के सामने होते देखा। उनकी निगाहें माननीय अध्यक्ष श्री नन्द किशोर यादव के लिए निर्धारित प्रतिष्ठित सीट पर पड़ीं, जो अधिकार और जिम्मेदारी की प्रतीक हैं। साथ ही, उन्होंने उन निर्दिष्ट क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया जहाँ विपक्षी सदस्यों ने अपनी चिंताएँ व्यक्त कीं और मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब दिए।

राजकीय बालिका उच्च विद्यालय, जल्ला, पटना सिटी की छात्राएँ

इस अनुभव में डूबे हुए छात्रों ने प्रश्नकाल और शून्यकाल को उत्सुकता से देखा एवं समझा। प्रश्न–उत्तर सत्र के दौरान, विधान सभा के सदस्यों (विधायकों) ने शिक्षा और सार्वजनिक विकास परियोजनाओं से संबंधित मामलों पर जोश के साथ बहस की। ये वास्तविक जीवन की चर्चाएँ उनकी पाठ्यपुस्तकों में पढ़ी गई बातों को प्रतिबिंबित करती है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में उनकी समझ विकसित होती है।

छात्रों ने विधानसभा की कार्यवाही के दौरान शिष्टाचार और गरिमा बनाए रखने के महत्व को आत्मसात किया। उन्होंने इन सत्रों को व्यवस्थित करने, बहसों का प्रबंधन करने और सदन में व्यवस्था सुनिश्चित करने में अध्यक्ष की

महत्वपूर्ण भूमिका को जाना। विपक्ष के नेता के बारे में उनका अवलोकन भी उतना ही उल्लेखनीय था, जिन्होंने वैकल्पिक दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इसके मुख्य लाभ :–

1. लोकतांत्रिक शिक्षा और जागरूकता

विधान सभा सत्र के माध्यम से छात्रों को लोकतंत्र की कार्यप्रणाली सीखने का अवसर मिलता है। वे देखते हैं कि कैसे नीतियाँ बनती हैं, विधेयकों पर चर्चा होती है, और निर्णय लिए जाते हैं। यह उन्हें सक्रिय नागरिक बनने के लिए प्रेरित करता है।

2. शिक्षा और युवाओं से जुड़े नीतिगत निर्णय

विधान सभा में शिक्षा बजट, स्कूल–कॉलेजों के विकास, छात्रवृत्तियाँ, रोजगार योजनाएँ, और शैक्षणिक संसाधनों जैसे मुद्दों पर चर्चा होती है। इन निर्णयों का सीधा असर छात्रों के वर्तमान और भविष्य पर पड़ता है।

3. सामाजिक मुद्दों की समझ

सत्र के दौरान स्वास्थ्य, पर्यावरण, सुरक्षा, और रोजगार जैसे विषयों पर होने वाली बहसें छात्रों को समाज की चुनौतियों से अवगत कराती हैं। इससे उनमें जिम्मेदारी की भावना और समाधान–उन्मुख सोच विकसित होती है।

> विधान सभा सत्र के दौरान स्कूली छात्रों की शैक्षणिक यात्रा उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सीधे जोड़ने का अवसर प्रदान करती है। यह यात्रा छात्रों को विधायकों के बहस, कानून निर्माण की प्रक्रिया और सरकारी कार्यप्रणाली को नजदीक से देखने में सक्षम बनाती है। छात्र सत्र की कार्यवाही, नीतिगत चर्चाएं और जनहित के मुद्दों पर होने वाली बहसों को समझते हैं, जिससे उनमें नागरिक जिम्मेदारी और लोकतंत्र के प्रति समझ विकसित होती है। इस अनुभव से उन्हें राजनीतिक जागरूकता मिलती है और यह पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान को व्यावहारिक रूप से जोड़ने का माध्यम बनता है। ऐसी यात्राएँ भविष्य के जिम्मेदार नागरिक तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

4. राजनीतिक जवाबदेही

छात्र यह समझते हैं कि उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कैसे काम करते हैं। यह ज्ञान उन्हें भविष्य में सरकारों और नेताओं से सवाल पूछने और जवाबदेही माँगने में सक्षम बनाता है।

5. भविष्य की तैयारी

विधान सभा की नीतियाँ छात्रों के करियर, शोध, और उद्यमिता के अवसरों को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए 'स्किल डेवलपमेंट' योजनाएँ या राज्य स्तरीय परीक्षाओं में सुधार उनके लिए प्रासंगिक होते हैं।

6. व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का मंच

कई राज्यों में युवाओं और छात्रों को विधान सभा सत्र के दौरान जनहित याचिकाएँ प्रस्तुत करने या सुझाव देने का अधिकार होता है। यह उनकी आवाज को सीधे नीति–निर्माताओं तक पहुँचाने का माध्यम है।

विधान सभा सत्र के दौरान स्कूली छात्रों की शैक्षणिक यात्रा एक महत्वपूर्ण और उपयोगी गतिविधि है जो छात्रों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में शिक्षित करने, उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ाने और उनके अंदर देश के शासन के प्रति एक गहरी समझ पैदा करने में मदद करती है। पर्यवेक्षक दीर्घा से विधान सभा सत्र देखने का अवसर वास्तव में अविस्मरणीय और शिक्षाप्रद अनुभव साबित होती है, जो उनके अंदर देश के शासन के प्रति एक गहरी समझ पैदा करती है। छात्र विधानसभा की कार्यवाही के दौरान शिष्टाचार और गरिमा बनाए रखने का महत्व सीखते हैं और अध्यक्ष, विपक्ष के नेता और अन्य जिम्मेदारियों की भूमिका को समझते हैं। यह यात्रा शैक्षणिक पाठ्यक्रम को व्यावहारिक रूप से बढ़ाने में मदद करती है और छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान को वास्तविक दुनिया के संदर्भ में देखने का मौका देती है।

आलोक कुमार, पुस्तकालय सहायक
भावना कुमारी, पुस्तकालय सहायक

युवा संसद

हम जानते हैं आज के बच्चे ही भारत के भविष्य हैं। बच्चे युवावस्था की दहलीज पर ही विधि निर्माण प्रक्रिया से रुबरु हो इसके लिए 'युवा संसद महोत्सव' की शुरुआत की गई है। नई पीढ़ी को ही भविष्य में भारत का नेतृत्व करना है इसके लिए विधि निर्माण की प्रक्रिया को ठीक से समझना जरुरी है। इसी कड़ी में देश के युवाओं को इस प्रकार के आयोजन द्वारा प्रशिक्षित करने का खुबसूरत प्रयास किया जा रहा है।

आजादी के बाद भारत ने शासन की संसदीय व्यवस्था को अपनाया,यदि हम भारतीय इतिहास और समाज का अवलोकन करें तो लोकतांत्रिक और संसदीय मूल्य भारतीय समाज में सदैव विद्यमान रहे हैं। आज आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों और भारतीय समाज में विद्यमान संसदीय मूल्यों का समावेश करके विभिन्न प्रकार के विचारों को कार्य रूप में लागू किया जा रहा है। राष्ट्रीय युवा संसद भी एक ऐसा ही विचार है।

वर्ष 1962 में 'सचेतक सम्मेलन मुंबई' के दौरान युवा संसद के विचार की उत्पत्ति हुई तथा वर्ष 1965 में संसदीय कार्यकारी मंत्रालय ने दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में युवा संसद के प्रतियोगिता की योजना तैयार की और पहली युवा संसद 1965–67 में आयोजित की गई।

राष्ट्रीय युवा संसद का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका संचालन राष्ट्रीय युवा विकास अभियान के अंतर्गत किया जाता है। इसके तहत युवाओं को अधिक सक्रिय रूप से लोकतंत्र में भागीदारी लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस संस्था का उद्देश्य नयी पीढ़ी को सक्षम और जागरूक बनाना है जिससे वे राष्ट्र के विकास में अहम भूमिका का निर्वहन कर सकें। साथ ही युवाओं को राजनीतिक जागरूकता, नेतृत्व कौशल, और देशभक्ति के संबंध में भी जानकारी प्रदान करना है।

सेन्ट्रल हॉल में आयोजित युवा संसद कार्यक्रम

राष्ट्रीय युवा संसद के उद्देश्य :

- विद्यार्थियों को संसदीय प्रक्रिया समझाना।
- विद्यार्थियों को संसद की कार्यवाहियों को सरलता से बताना।

- विद्यार्थियों का सार्वजनिक विषयों पर अध्ययन करवाना और उन्हें एक राय बनाने के लिये प्रोत्साहित करना।
- वाद–विवाद के बाद निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना।
- विद्यार्थियों को सामूहिक विचार–विमर्श का प्रशिक्षण देना।
- उनमें दूसरों के विचारों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता का विकास करना।
- देश के समक्ष समस्याओं से छात्रों को अवगत कराना।
- छात्रों में नेतृत्व कौशल का विकास करना।
- छात्रों में जनसाधारण की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना।

भारत में युवा आवाजों को एक मंच प्रदान करने के लिए 2019 से हर साल 'राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव' का आयोजन किया जाता है। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री 'श्री नरेन्द्र मोदी' के 'विकसित भारत–2047' के विजन के तहत तैयार किया गया है। इसका लक्ष्य युवाओं को सामाजिक मुद्दों पर राय व्यक्त करने, निर्णय लेने के कौशल को मजबूत करने,

युवा संसद को संबोधित करते माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा

विविध दृष्टिकोणों के प्रति सम्मान विकसित करने और लोकतांत्रिक संस्थानों में अनुशासित संवाद को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करना है। विकसित भारत युवा संसद 2017 में प्रधानमंत्री 'श्री नरेंद्र मोदी' जी द्वारा व्यक्त किये गए दृष्टिकोण को मूर्त रूप देती है, जब उन्होंने देश को आगे ले जाने के लिए एक लाख युवा नेताओं को उभरने का आह्वान किया था। उनका दृष्टिकोण इस विश्वास पर आधारित था कि भारत के युवा केवल विकास के लाभार्थी ही नहीं हैं, बल्कि इसके भविष्य के निर्माता भी हैं। इस स्पष्ट आह्वान से प्रेरित होकर, इस वर्ष की युवा संसद को फिर से परिकल्पित और विस्तृत किया गया है, जो की गतिशील, समाधान–उन्मुख और नीति–जागरूक युवा नेताओं की एक नई पीढ़ी तैयार करने के लिए विकसित भारत @2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

इसी कड़ी में राज्य स्तरीय 'विकसित भारत युवा संसद कार्यक्रम', बिहार विधान सभा के सेंट्रल हॉल में दिनांक 29.3.2025 को आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट (Viksit Bharat Youth

Parliament) भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तथा नेहरु युवा केन्द्र संगठन के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य 18 से 25 वर्ष के युवाओं को नीति निर्माण, प्रशासन और राष्ट्रीय चर्चा में शामिल करना है । इस कार्यक्रम में बिहार राज्य के विभिन्न जिलों से चुने गए 140 प्रतिभागियों ने भाग लिया जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों का चयन राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले युवा संसद के लिए किया गया।

माननीय अध्यक्ष विधानसभा, श्री नंद किशोर यादव जी के नेतृत्व में युवा संसद महोत्सव का आयोजन किया गया जिसमें कुल नौ जूरी सदस्य माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी, श्री नीतीश मिश्रा एवं श्री सुरेन्द्र मेहता तथा माननीय सदस्य श्री संजीव चौरसिया, श्री राज कुमार सिंह, सुश्री श्रेयसी सिंह, डा० निक्की हेम्ब्रम एवं श्रीमती शालिनी मिश्रा शामिल थे। इनमें से सर्वश्रेष्ठ 3 प्रतिभागी पटना की वर्तिका, अरवल के रतिकेश पुरनोदय एवं जहानाबाद के शरजील अहमद काकवी का चयन राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले 'युवा संसद' के लिए किया गया।

संभावनाएँ :

कोई भी देश एक लंबी प्रक्रिया और वक्त के पश्चात् ही संवैधानिक मूल्यों को समाज के निचले हिस्से तक पहुँचा पाता है। आजादी के 77 वर्षों बाद भी देश की एक बड़ी आबादी संविधान, संसद और लोकतांत्रिक मूल्यों से अनभिज्ञ है। राष्ट्रीय युवा संसद का विचार युवा पीढ़ी को भारत की संसदीय व्यवस्था से न सिर्फ परिचित कराने से संबंधित है बल्कि एक जागरूक नागरिक बनाने की दिशा में किया गया सकारात्मक प्रयास है।

राष्ट्रीय युवा संसद के माध्यम से ऐसे युवा जो अगले कुछ वर्षों में मतदाता के रूप में पंजीकृत होंगे उन्हें एक जागरूक मतदाता और उनके व्यक्तित्व में अंतर्निहित नेतृत्व क्षमता और संभावनाओं को सामाजिक पटल पर लाने की कोशिश है।

निष्कर्ष :

राष्ट्रीय युवा संसद एक महत्वपूर्ण मंच है, जो भारत के युवाओं को उनकी समस्याओं के समाधान और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक समाज सेवी संस्था के रूप में दिया जाता है। यह संसद युवाओं को समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय रूप से संघर्ष करने हेतु उनकी नेतृत्व, संघर्ष क्षमता एवं संगठन कौशल विकास करती है।

यह संसद युवाओं को अपने देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों के संबंध में जागरूक बनाने में मदद करती है और उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए एक मंच प्रदान करती है। यह संसद युवाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उन्हें सामाजिक न्याय, समरसता और सामाजिक संबंधों में उन्नति करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय युवा संसद एक ऐसा मंच है जो भारत के युवाओं को सक्रिय रूप से संघर्ष करने और उनके समस्याओं के समाधान के लिए प्रेरित करती है।

कुमारी चंचला, शोध/संदर्भ सहायक
गार्गी मिश्रा, पुस्तकालय सहायक

बिहार विधान सभा उप भवन में आधुनिक कैन्टीन का शुभारंभ

बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यों तथा सचिवालय कर्मियों के लिए एक और महत्वपूर्ण सुविधा की शुरुआत उस समय हुई, जब उपभवन के भूतल पर नवनिर्मित अत्याधुनिक कैन्टीन का उद्‌घाटन, अध्यक्ष बिहार विधान सभा द्वारा विधिवत रूप से किया गया। 'हरिलाल एजेंसी' द्वारा संचालित यह कैन्टीन केवल एक खानपान स्थल नहीं, बल्कि सदस्यों तथा सचिवालय कर्मियों की सुविधा, स्वास्थ्य और गरिमा का ध्यान रखने वाला सुव्यवस्थित तंत्र है, जो कार्यदिवसों की व्यस्तता के बीच उन्हें ताजगी और ऊर्जा प्रदान करता है।

उप भवन परिसर में आधुनिक कैन्टीन का उद्‌घाटन करते माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा

यह कैन्टीन अत्यंत सुव्यवस्थित, स्वच्छ और वातानुकूलित है, जहाँ आरामदायक बैठने की व्यवस्था, कुशल स्टाफ, शीघ्र सेवा और मेन्यू की विविधता इसको विशेष बनाती है। खास बात यह है कि यहां उचित दरों पर गुणवत्तापूर्ण नाश्ते और भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, ताकि सदस्य तथा सचिवालय कर्मी अपनी व्यस्त दिनचर्या के बीच स्वादिष्ट और पौष्टिक आहार प्राप्त कर सकें ।

नाश्ते में इडली–सांभर, पोहा, उपमा, पराठा–सब्जी जैसे पारंपरिक और सुपाच्य विकल्प हैं, तो वहीं दोपहर के भोजन में दाल, चावल, सब्जी, रोटी और मिठाई का संपूर्ण और संतुलित थाली के साथ नॉन वेज व्यंजन भी उपलब्ध है ।

हरिलाल एजेंसी : प्रसिद्ध खानपान सेवा प्रदाता :

इस कैन्टीन का संचालन पटना का प्रसिद्ध खानपान सेवा प्रदाता 'हरिलाल एजेंसी' द्वारा किया जा रहा है, जिसे शुद्धता, उत्कृष्टता और परंपरागत स्वाद के लिए जाना जाता है। 'हरिलाल एजेंसी' ने वर्षों से खानपान के क्षेत्र में जो विश्वास अर्जित किया है, वह अब बिहार विधान सभा परिसर में भी महसूस किया जा सकता है।

विधान सभा कैंटीन में तैयार भोजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि स्वच्छता, पोषण और समयबद्धता के मानकों पर भी खरा उतरता है। यहाँ के अनुभवी शेफ और सेवा कर्मी सदस्यों तथा सचिवालय कर्मियों के मान–सम्मान और जरूरतों को ध्यान में रखकर सेवाएँ दे रहे हैं।

बिहार विधान सभा उप भवन का आधुनिक कैंटीन

एक सराहनीय पहल :

बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यों एवं पदाधिकारियों के साथ नवनिर्मित कैंटीन का निरीक्षण करते माननीय अध्यक्ष

इस पहल के पीछे अध्यक्ष, बिहार विधान सभा की दूरदर्शी सोच और सदस्यों तथा सचिवालय कर्मियों की कार्यक्षमता के प्रति संवेदनशीलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उन्होंने जिस प्रकार विधान सभा परिसर को आधुनिक, सुव्यवस्थित और सदस्यों के अनुकूल बनाने की दिशा में कदम उठाया है, यह कैन्टीन उसी श्रृंखला की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है।

सदस्यों के अनुभव और प्रतिक्रियाएँ :

अनेक सदस्यों ने इस कैन्टीन की शुरुआत पर हर्ष और संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि अब उन्हें विधानसभा सत्र के दौरान बाहर भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। साथ ही यह सुविधा समय की बचत के साथ–साथ आत्मीयता का अनुभव भी कराती है, जहाँ सभी सदस्य एक साथ बैठकर भोजन साझा करते हैं।

अनिल वर्मा
प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा

बिहार विधान सभा उप भवन में पालना घर : एक संवेदनशील पहल

बिहार विधान सभा की गौरवशाली परंपरा में एक और ऐतिहासिक अध्याय उस समय जुड़ गया, जब अध्यक्ष, बिहार विधान सभा द्वारा विधान सभा उप भवन परिसर में पालना घर (Creche) का उद्‌घाटन किया गया। यह केवल एक औपचारिक उद्‌घाटन नहीं, बल्कि एक संवेदनशील सोच और कार्यस्थलीय समावेशिता की दिशा में एक ठोस कदम है– विशेषकर कामकाजी महिलाओं के लिए।

उप भवन परिसर में पालना घर (Creche) का उद्‌घाटन करते माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा

आज जब समाज महिला सशक्तिकरण, कार्यस्थल पर समान अवसर, और मातृत्व की गरिमा को प्राथमिकता देने की ओर अग्रसर है, ऐसे में यह पालना घर बिहार विधान सभा द्वारा समयानुकूल और दूरदर्शी निर्णय के रूप में देखा जा रहा है। यह पहल विधान सभा सचिवालय, समाज कल्याण विभाग और भवन निर्माण विभाग के आपसी समन्वय और प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण है।

पालना घर का उद्देश्य :

पालना घर में बच्चों के बीच माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा

पालना घर का उद्देश्य कामकाजी महिलाओं के पाँच वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों को कार्यालय अवधि में डे–केयर (Day-Care) की सुविधा उपलब्ध कराना है ताकि कामकाजी माताएँ अपने बच्चों की आवश्यक मातृत्व सम्बन्धी जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए अपने कार्यालय कार्य को सही तरीके से संपन्न कर सकें। पालना घर पांच वर्ष तक के बच्चों, जिन्हें दिन के समय अपने घर से दूर देखभाल और पर्यवेक्षण की जरुरत होती है, को सामूहिक देखभाल प्रदान करने के साथ–साथ प्री–स्कूल (Pre-School) के लिए भी तैयार करता है।

पालना घर की विशेषताएँ :

यह पालना घर न केवल सुव्यवस्थित है, बल्कि इसमें बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और मानसिक विकास को ध्यान में रखते हुए अत्याधुनिक सुविधाओं का समावेश किया गया है। साफ–सुथरे शयन कक्ष, सुरक्षित खेल क्षेत्र, योग्य देख–रेखकर्त्ता यथा क्रेच वर्कर एवं क्रेच हेल्पर और सीसीटीवी की व्यवस्था इस केंद्र को एक आदर्श रूप प्रदान करती

है। इस पालना घर में समुचित डे–केयर जैसे–बच्चों को खेलने, आराम एवं सोने की व्यवस्था करायी गयी है। यह पालना घर विधान सभा परिसर में कार्यरत महिलाओं को एक मानसिक राहत प्रदान करता है, जिससे वे निश्चिन्त होकर अपने कार्यों में लग सकती हैं।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा की इस पहल से यह सिद्ध होता है कि विधान सभा केवल विधायी कार्यों का केंद्र नहीं, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व और मानवीय मूल्यों को आत्मसात करने वाला संस्थान भी है। महिलाओं की जरूरतों को समझना और उन्हें कार्यस्थल पर सहयोग देना आज के समय की माँग है और इस दिशा में यह एक अनुकरणीय प्रयास है ।

पालना घर का लाभ उठातीं कार्यालय की महिला कर्मी

समाज कल्याण विभाग और भवन निर्माण विभाग की भूमिका:

इस पालना घर की स्थापना में समाज कल्याण विभाग ने तकनीकी मार्गदर्शन, मानकों का निर्धारण और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की। वहीं भवन निर्माण विभाग ने भवन की संरचना, बच्चों के अनुकूल डिजाइन और सुरक्षा मानकों का प्रभावी क्रियान्वयन किया। यह विभागीय समन्वय एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत करता है कि जब इरादे नेक हों, तो संस्थागत सहयोग कैसे असाधारण उपलब्धियाँ रच सकता है।

नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम

यह पालना घर केवल एक सुविधा नहीं, बल्कि एक दृष्टिकोण है – उस सोच का प्रतीक, जो महिलाओं के मातृत्व को उनके कार्यक्षमता में बाधा नहीं, बल्कि सहअस्तित्व के रूप में देखती है। यह पहल स्पष्ट संकेत देती है कि अब मातृत्व और कार्य दोनों को एक साथ संभालना संभव है, यदि संस्थागत समर्थन मिले ।

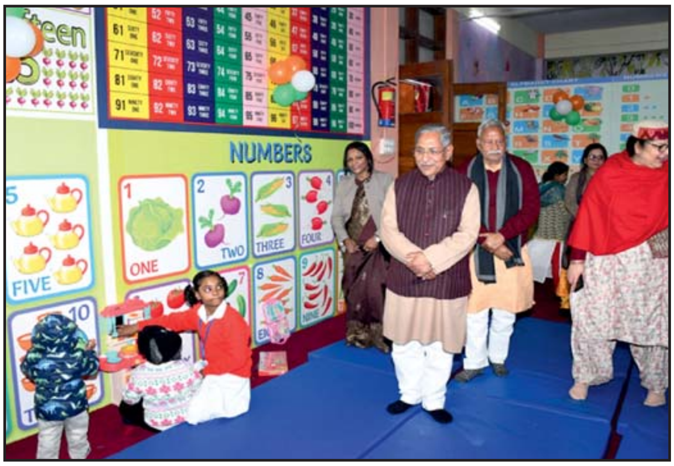

पालना घर की सुविधाओं का निरीक्षण करते हुए माननीय अध्यक्ष

बिहार विधान सभा परिसर में पालना घर की स्थापना न केवल कार्यरत महिलाओं के लिए राहत का विषय है, बल्कि यह भविष्य की पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता को भी दर्शाता है। यह पहल एक प्रेरणास्रोत है, जिसे देश के अन्य संस्थानों को भी अपनाना चाहिए। यह उपलब्धि केवल एक भवन के उद्घाटन का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, लिंग समानता और कार्यस्थल पर गरिमा की स्थापना की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया से एक महिला, ट्रिपल बौटम लाइन उपाय के रूप में, स्वयं की अस्मिता, अपने पारिवारिक दायित्वों के साथ संतुलन स्थापित करते हुए राज्यहित में अपने कर्त्तव्यों के प्रति न्याय कर सकेगी।

जयंती
प्रशाखा पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी (पालना घर),
बिहार विधान सभा

राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन : सिडनी

माननीय अध्यक्ष की संसदीय अध्ययन यात्रा

लोकतंत्र एक चेतना है, एक सतत् यात्रा है—संवाद, सहमति और सहभागिता की। यह मानव सभ्यता के विकास पथ पर वह दीपशिखा है, जो शांति, न्याय और समानता जैसे सार्वभौमिक मूल्यों को आलोकित करती है। इसकी आधारशिला जनप्रतिनिधियों की निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता पर रखी गई है, जो इसे न केवल शासन की एक प्रणाली, बल्कि जनभावनाओं की अनुगूंज बनाती है।

इस लोकतांत्रिक यात्रा में जब विभिन्न राष्ट्रों की संसदें, अपने—अपने अनुभवों को लेकर एकत्र होती हैं— तो वह मंच बन जाता है एक सजीव संवाद की धुरी, एक ऐसी संस्था जो न केवल विधायी आदान—प्रदान को प्रोत्साहित करती है, अपितु लोकतांत्रिक आदर्शों को भी सुदृढ़ करती है। यही है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन (Commonwealth Parliamentary Association) अर्थात् राष्ट्रमंडल संसदीय संघ— एक ऐसा मंच जो सीमाओं से परे जाकर लोकतंत्र के साझे स्वप्न को संजोता है, पोषित करता है और एक वैश्विक सहचर्यता का बीजारोपण करता है। यह संघ न केवल विधायिकाओं के बीच एक पुल बनाता है, बल्कि यह उन मूल्यों का उत्सव भी है, जो किसी भी समाज को उन्नति, समरसता और समृद्धि की ओर ले जाते हैं। यह संवाद की संस्कृति को पोषित करता है, जहाँ मतभेद विरोध नहीं, बल्कि नवविचारों के जनक बनते हैं।

कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन (CPA) की स्थापना सन् 1911 में हुई थी, और यह राष्ट्रमंडल में सबसे पुराने संगठनों में से एक है। इस संस्था का मूल उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों की संसदों के मध्य संवाद, सहकार्य और समझदारी को बढ़ावा देना । समय के साथ, साम्राज्य के बंधन शिथिल हुए और स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ, परंतु इस संगठन ने स्वयं को समय के अनुरूप ढालते हुए एक जीवंत लोकतांत्रिक संस्था के रूप में पुनः परिभाषित किया। आज, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन (CPA) एक सौ से अधिक संसदों और विधायिकाओं को जोड़ता है, जिनमें अफ्रीका, एशिया, कैरेबियन, यूरोप, पैसिफिक और अमेरिका के क्षेत्र शामिल हैं, जो आज स्वतंत्र, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के माध्यम से अपने नागरिकों की आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करते हैं। यह संस्था राजनीतिक भिन्नताओं से परे, लोकतंत्र की समान भावना को पोषित करती है।

कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन केवल औपचारिक संवादों का मंच नहीं है, बल्कि यह लोकतांत्रिक आदर्शों का जिंदा संग्रहालय है। यहाँ परिलक्षित होता है विविधता का अद्भुत संगम – रंग, भाषा, संस्कृति और परंपराओं की भिन्नता के बावजूद एक साझा सपना : न्यायपूर्ण, समावेशी और उत्तरदायी शासन का। सी.पी.ए. की विशिष्टता इसमें निहित है कि यह केवल संसदीय कार्यप्रणालियों तक सीमित नहीं रहती, वरन् यह संसद सदस्यों के लिए प्रशिक्षण, महिला सशक्तिकरण, युवाओं की सहभागिता तथा पारदर्शी शासन के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी करती है। इन पहलों का लक्ष्य केवल विधायी कुशलता को बढ़ाना नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की जड़ों को गहरा करना है, ताकि हर राष्ट्र अपने नागरिकों को बेहतर प्रतिनिधित्व दे सके। यह मंच संसदीय प्रक्रिया की जटिलताओं को सरलता से समझाने तथा नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने का कार्य करता है।

संविधान की मजबूत नींव पर खड़ा भारत, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन (CPA) का एक सक्रिय और प्रभावशाली सदस्य रहा है। भारत में लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली नहीं, बल्कि जीवन का उत्सव है – जहां असहमति में भी सौंदर्य है, और विविध मतों में भी एकता की गूंज है। भारत का लोकतंत्र जीवंत, जागरूक और अनंत संभावनाओं से परिपूर्ण है। भारत और कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय आदर्शों की साझा विरासत पर आधारित है। यह संबंध केवल राजनयिक औपचारिकता नहीं, बल्कि विचारों की वह अविरल धारा है, जो लोकतंत्र को संजीवनी देती है।

भारतीय संसद, अपने विशाल लोकतांत्रिक अनुभव के साथ, सी.पी.ए. के विचार–विमर्श में गहन योगदान देती रही है। भारतीय प्रतिनिधि न केवल विधायी प्रक्रियाओं के आदान–प्रदान में सहभागी रहे हैं, बल्कि विकासशील देशों के मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाते रहे हैं। सी.पी.ए. के अधिवेशनों में भारत की भागीदारी ने वैश्विक मंच पर उसकी लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता को सशक्त किया है। साथ ही, भारतीय संसद ने सी.पी.ए. के भीतर अपने अनुभवों, सुधारों और नवाचारों को साझा कर अन्य सदस्य देशों को भी सशक्त किया है। आज, जब लोकतंत्र नए–नए परीक्षणों से गुजर रहा है, भारत और सी.पी.ए. का यह संबंध विश्व में लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रसार में एक प्रकाशस्तंभ की भांति चमक रहा है। भारत और सी.पी.ए. का यह गहरा जुड़ाव आने वाले समय में भी लोकतंत्र के मूक दीपकों को प्रज्ज्वलित करता रहेगा, जहां हर देश अपनी आवाज को स्वतंत्र और गरिमामय स्वर में व्यक्त कर सकेगा।

राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की संरचना बहुस्तरीय है – इसमें एक केंद्रीय सचिवालय है जिसका मुख्यालय लंदन में स्थित है, साथ ही विभिन्न देशों में लगभग 180 शाखाएं हैं, और यह नौ क्षेत्रों में विभाजित है : अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटिश द्वीप और भूमध्य सागर, कनाडा, कैरिबियन, अमेरिका और अटलांटिक, भारत, प्रशांत और दक्षिण–पूर्व एशिया । प्रत्येक शाखा स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रम चलाती है, परंतु मूलभूत सिद्धांतों में एकरूपता बनाए रखती है।

राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन (CPC) राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (CPA) का वार्षिक सम्मेलन है। यह राष्ट्रमंडल सांसदों का सबसे बड़ा वार्षिक सम्मेलन है, जो वैश्विक संसदीय और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक साथ आते हैं। हर साल, सम्मेलन की मेजबानी एक अलग राष्ट्रमंडल संसद द्वारा की जाती है। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की बैठकों का मुख्य उद्देश्य संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करना और सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाना है।

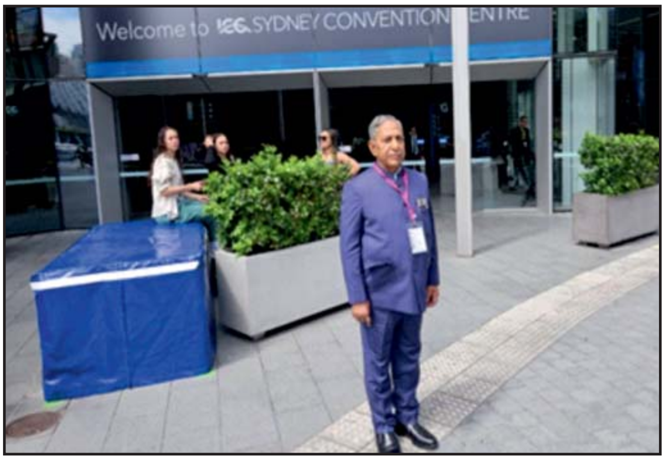

67वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन के आयोजन स्थल पर माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा

इसी क्रम में 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन (CPC) का आयोजन दिनांक 3 से 8 नवम्बर 2024 तक ऑस्ट्रेलिया के सिडनी नगर में न्यू साउथ वेल्स की संसद तथा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, न्यू साउथ वेल्स शाखा के संयुक्त तत्वावधान में किया गया था । इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बिहार विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री नन्द किशोर यादव ने भी गरिमापूर्ण सहभागिता की।

इस वैश्विक स्तर के सम्मेलन का मुख्य विषय था –"Engage, Empower, Sustain: Charting the Course for Resilient Democracy" – जो समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु अत्यंत प्रासंगिक एवं प्रेरक था। सम्मेलन के दौरान बिहार विधान सभा के माननीय अध्यक्ष ने भारत एवं विशेषतः बिहार की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए 'संसदीय प्रक्रियाओं और प्रथाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग : अवसर और चुनौतियाँ' विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। अपने वक्तव्य में उन्होंने तकनीकी नवाचारों के माध्यम से संसदीय कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुलभ और उत्तरदायी बनाने की संभावनाओं पर प्रकाश डाला, साथ ही इस नवप्रवर्तन के साथ उत्पन्न होने वाली नैतिक, सामाजिक और विधायी चुनौतियों का भी सूक्ष्म विश्लेषण किया।

उनकी उद्बोधन शैली, गहन विश्लेषण और भविष्यदृष्टि ने न केवल सम्मेलन में उपस्थित प्रतिनिधियों को प्रभावित किया, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की वैश्विक मंच पर एक सशक्त अभिव्यक्ति भी प्रदान की।

माननीय अध्यक्ष भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ

सम्मेलन के दौरान माननीय अध्यक्ष श्री नन्द किशोर यादव ने बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए प्लेनरी सत्र के द्वितीय अंतराल में 'बेंचमार्किंग, मानक और दिशानिर्देश : सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाकर संसदीय संस्थानों को मजबूत करना' विषय पर अपने विचारों की ओजस्वी अभिव्यक्ति की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की जीवंतता और उसकी प्रभावशीलता तभी सुनिश्चित हो सकती है जब संसदीय संस्थान सर्वोत्तम प्रथाओं को आत्मसात करें। जब लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली में बेंचमार्किंग, मानक और दिशा–निर्देशों का समावेश होता है, तब संस्थानों की गुणवत्ता में अभूतपूर्व वृद्धि होती है और वे जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए उनकी समस्याओं के समाधान में अधिक दक्ष बनते हैं। माननीय अध्यक्ष ने अपने भाषण में बिहार में महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में प्रदत्त 50% आरक्षण तथा भारत सरकार द्वारा 2023 में पारित ऐतिहासिक महिला आरक्षण अधिनियम – जिसमें संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है – का उल्लेख करते हुए इसे लोकतांत्रिक यात्रा की एक 'परिवर्तनकारी पहल' करार दिया। उन्होंने बलपूर्वक कहा कि लोकतांत्रिक संस्थानों की प्रासंगिकता, विश्वसनीयता और सुदृढ़ता पारदर्शिता और जवाबदेही पर निर्भर करती है। अतः आज आवश्यकता है कि हम इन मूलभूत सिद्धांतों को आत्मसात कर संसदीय संस्थानों को जनहित की सशक्त संवाहक इकाइयों के रूप में विकसित करें।

67वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन के दौरान कई अतिरिक्त सम्मेलन में और बैठकें भी हुईं, जिनमें शामिल हैं :

- CPA महासभा और बहस
- CPA कार्यकारी समिति और CPA अंतरिम कार्यकारी बोर्ड की बैठकें
- CPC कार्यशालाएं और विश्व कैफे सत्र
- 40वां CPA लघु शाखा सम्मेलन
- 8वां राष्ट्रमंडल महिला सांसद (सीडब्ल्यूपी) सम्मेलन
- राष्ट्रमंडल विकलांग सांसदों (CPwD) नेटवर्क की बैठकें
- 58वीं सोसाइटी ऑफ क्लर्क्स एट द टेबल (SoCATT) की बैठक
- वर्ष 2024 के राष्ट्रमंडल सांसद पुरस्कारों की प्रस्तुति
- द्वितीय एमिलिया मोनजोवा लिफाका व्याख्यान

67वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन के उपरांत, एक विशेष संसदीय अध्ययन यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें इटली, फ्रांस और यूनाइटेड

माननीय अध्यक्ष, श्री नन्द किशोर यादव
रोम स्थित संसद भवन का भ्रमण करते हुए

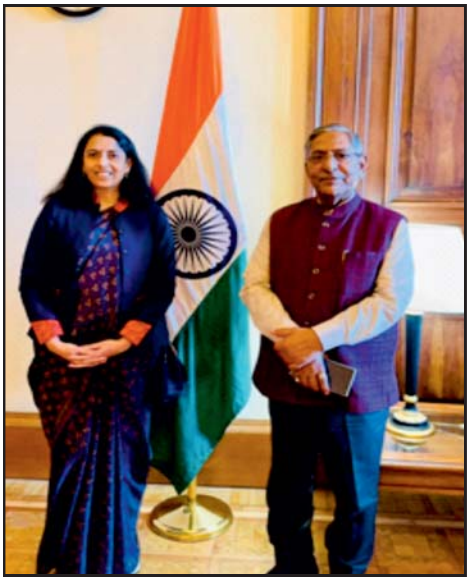

माननीय अध्यक्ष इटली में भारतीय राजदूत श्रीमती वाणी राव के साथ

किंगडम की लोकतांत्रिक संस्थाओं का अध्ययन प्रमुख रूप से सम्मिलित था।

इटली यात्रा (09 नवंबर – 12 नवंबर 2024)

67वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में प्रतिभागिता के उपरांत तीन देशों की संसदीय अध्ययन यात्रा के क्रम में माननीय अध्यक्ष सर्वप्रथम इटली के रोम पहुँचे। इस दौरान उन्होंने रोम स्थित संसद भवन का भ्रमण किया तथा वहाँ की संसदीय व्यवस्था का अवलोकन किया।

माननीय अध्यक्ष ने बताया कि इटली की संसद द्विसदनात्मक संरचना पर आधारित है, जिसमें दो सदन – 'चैंबर ऑफ डिप्टीज' तथा 'सीनेट ऑफ द रिपब्लिक' – सम्मिलित हैं। अन्य देशों की तुलना में विशिष्टता यह है कि इटली के संविधान द्वारा दोनों सदनों को समान शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जिससे देश की विधायी प्रक्रिया में दोनों सदनों की भूमिका समान रूप से महत्वपूर्ण बन जाती है ।

इसके उपरांत माननीय अध्यक्ष इटली के रोम स्थित भारतीय दूतावास पहुँचे, जहाँ भारतीय राजदूत श्रीमती वाणी राव ने उनका सम्मानपूर्वक स्वागत किया। इस अवसर पर श्रीमती राव ने उन्हें इटली की समृद्ध सभ्यता और संस्कृति से परिचित कराया तथा भारतीय दूतावास द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। माननीय अध्यक्ष ने अपने वक्तव्य में कहा कि भारत और इटली के बीच द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने में रोम स्थित भारतीय दूतावास की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने इटली में निवासरत बिहार मूल के प्रवासी भारतीयों की समस्याओं और उनके कल्याण के उपायों पर भी विचार–विमर्श किया। साथ ही, बिहार के बौद्ध सर्किट, नालंदा, श्री हरिमंदिर साहिब तथा अन्य ऐतिहासिक स्थलों के प्रचार–प्रसार पर भी गंभीर चर्चा हुई।

फ्रांस यात्रा (13 नवंबर – 15 नवंबर 2024)

संसदीय अध्ययन यात्रा के क्रम में माननीय अध्यक्ष फ्रांस की धरती पर पहुंचे। उन्होंने पेरिस नगर के हृदयस्थल पर स्थित ऐतिहासिक संसद भवन – पैलेस बॉर्बन– का भ्रमण किया, जहाँ फ्रांस की नेशनल असेंबली की बैठकें आयोजित होती हैं। साथ ही, उन्होंने पेरिस के अन्य प्रसिद्ध स्थलों – विश्वप्रसिद्ध एफिल टावर, प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले सैनिकों की स्मृति में निर्मित 'आर्क डी ट्रायम्फ', तथा फ्रांसीसी क्रांति और प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात ऐतिहासिक संधियों के साक्षी वर्साय किला – का भी अवलोकन कर फ्रांस की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से आत्मीयता पूर्वक परिचय प्राप्त किया। पैलेस बॉर्बन में माननीय अध्यक्ष ने फ्रांस की लोकतांत्रिक प्रणाली और संसदीय कार्यप्रणाली का गहन अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि फ्रांस की संसद द्विसदनात्मक संरचना पर आधारित है, जिसमें दो सदन – नेशनल असेंबली और सीनेट – सम्मिलित हैं। नेशनल असेंबली में कुल 577 सदस्य (Deputies) प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं, जिनका कार्यकाल पांच वर्षों का होता है, जबकि सीनेट में 348 सदस्य (Senators) अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के

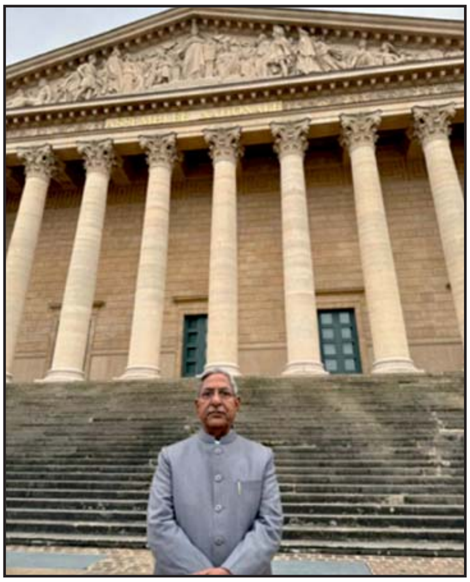

माननीय अध्यक्ष, श्री नन्द किशोर यादव पैलेस बॉर्बन का भ्रमण करते हुए

वर्साय किले का भ्रमण करते श्री नन्द किशोर यादव

माध्यम से निर्वाचित होकर छह वर्षों तक अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं।

अपने अनुभवों को साझा करते हुए माननीय अध्यक्ष ने फ्रांसीसी लोकतंत्र की परिपक्वता और उसकी गहन संस्थागत परंपराओं की सराहना की, जो आधुनिक लोकतंत्र की सशक्त आधारशिला बनाती हैं।

इसके उपरांत माननीय अध्यक्ष पेरिस स्थित भारतीय दूतावास पहुँचे, जहाँ उनका आत्मीय स्वागत एवं सम्मान किया गया ।

दूतावास के अधिकारियों ने माननीय अध्यक्ष को भारतीय दूतावास द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष ने कहा कि भारत और फ्रांस के मध्य प्रगाढ़ होते द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ बनाने में पेरिस स्थित भारतीय दूतावास की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

श्री नन्द किशोर यादव पेरिस में बिहार मूल के लोगों के संगठन स्पन्दन के सहयोग से आयोजित एक मिलन समारोह में

माननीय अध्यक्ष के आगमन के उपलक्ष्य में दूतावास द्वारा पेरिस में बसे बिहार मूल के प्रवासी भारतीयों के संगठन स्पन्दन के सहयोग से एक विशेष मिलन समारोह का आयोजन किया गया।

इस आत्मीय मिलन में बिहार की माटी से जुड़े अनेक प्रवासी भारतीयों ने माननीय अध्यक्ष का भव्य अभिनंदन किया तथा अपने अनुभवों और भावनाओं को उनके साथ साझा किया।

यह आयोजन एक भावनाप्रवण क्षण बन गया, जहाँ अपनी जड़ों से जुड़े रहने की भावना और बिहार की संस्कृति के प्रति गर्व का भाव स्पष्ट झलक रहा था। माननीय अध्यक्ष ने भी प्रवासी भारतीयों के योगदान की सराहना करते हुए उन्हें बिहार और भारत के गौरवमयी विकास गाथा में सहभागी बनने का आह्वान किया।

यूनाइटेड किंगडम यात्रा (16 नवंबर – 19 नवंबर 2024)

तीन देशों की संसदीय अध्ययन यात्रा के क्रम में माननीय अध्यक्ष यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन पहुँचे। अपने लंदन प्रवास के दौरान उन्होंने विश्वविख्यात ब्रिटिश संसद भवन वेस्टमिंस्टर पैलेस का भ्रमण किया और वहां की गौरवशाली संसदीय परंपराओं का गहन अध्ययन किया। माननीय अध्यक्ष ने अवगत कराया कि यूनाइटेड किंगडम की संसदीय प्रणाली द्विसदनात्मक संरचना पर आधारित है, जिसके दो सदन – हाउस ऑफ कॉमन्स एवं हाउस ऑफ लॉर्ड्स – लोकतांत्रिक विमर्श के दो सशक्त स्तम्भ हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दीर्घ इतिहास के कारण विश्व के अनेक देशों ने, यद्यपि कुछ स्थानीय संशोधनों सहित, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को ही अपने लोकतांत्रिक शासन तंत्र का आधार बनाया है। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था का मूलाधार संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत संसद को शासन के तीनों अंगों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इसके विपरीत भारतीय लोकतंत्र ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के संतुलन और परस्पर नियंत्रण का सिद्धांत अंगीकृत किया है, जिससे लोकतंत्र को अधिक समतुल्य और संतुलित स्वरूप प्रदान किया गया है।

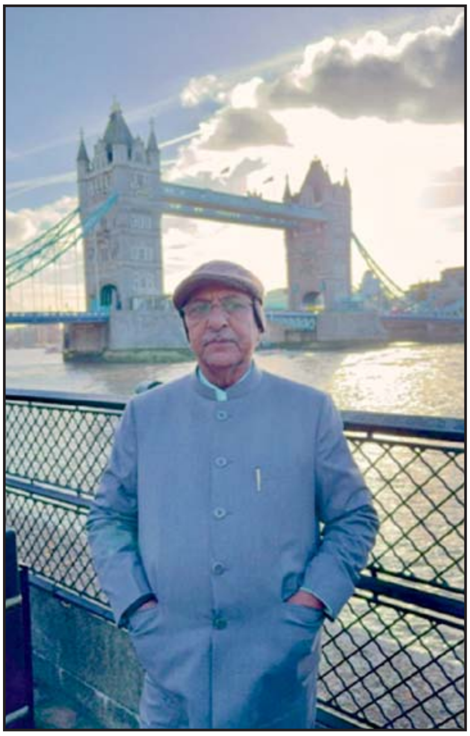

माननीय अध्यक्ष, श्री नन्द किशोर यादव विश्व प्रसिद्ध लंदन ब्रिज का भ्रमण करते हुए

लंदन प्रवास के दौरान माननीय अध्यक्ष ने केवल ब्रिटिश संसद भवन तक ही अपनी जिज्ञासा को सीमित नहीं रखा, अपितु उन्होंने टावर ऑफ लंदन, लंदन ब्रिज और अन्य ऐतिहासिक स्थलों का भी भ्रमण कर ब्रिटेन की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का सजीव अनुभव किया। इन स्थलों के वैभवशाली अतीत से साक्षात्कार कर उन्होंने सभ्यता, इतिहास और लोकतंत्र के गहन अंतर्संबंधों को और निकटता से अनुभव किया।

लोकतांत्रिक विमर्श के वैश्विक मंच पर बिहार की गरिमामयी उपस्थिति का शुभ समापन

माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा, ने जब ऑस्ट्रेलिया के सिडनी नगर में आयोजित 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में अपनी सारगर्भित सहभागिता के माध्यम से लोकतंत्र की सार्वभौमिक चेतना में बिहार की स्वरध्वनि जोड़ी, तो वह क्षण न केवल गर्व का था, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की सजीवता का भी प्रतीक बना।

इस गौरवपूर्ण सहभागिता के उपरांत माननीय अध्यक्ष ने तीन देशों की व्यापक संसदीय अध्ययन यात्रा पूर्ण की और 21 नवम्बर 2024 को जब वे पटना की पुण्यभूमि पर लौटे, तो बिहार में उनका स्वागत आत्मीयता और सम्मान के साथ किया। पटना एयरपोर्ट पर प्रभारी सचिव सहित वरीय पदाधिकारियों ने पुष्पगुच्छ अर्पित कर उनका हार्दिक अभिनंदन किया। यह स्वागत मात्र एक शिष्टाचार नहीं, बल्कि उस गरिमा का प्रतीक था, जो एक लोकतांत्रिक प्रतिनिधि की वैश्विक स्तर पर उपलब्धियों को नमन करता है।

माननीय अध्यक्ष की यह यात्रा विधायी सहयोग, अंतरराष्ट्रीय संसदीय संवाद एवं लोकतांत्रिक आदर्शों के सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक सशक्त पहल रही, जो आने वाले समय में बिहार विधान सभा के कार्य–व्यवहार और दृष्टिकोण को और अधिक समृद्ध बनाएगी।

इस अध्ययन यात्रा का उद्देश्य केवल भौगोलिक सीमाओं का लंघन नहीं था, अपितु ज्ञान, अनुभव और लोकतांत्रिक आदर्शों के गहन आदान–प्रदान का सेतु निर्मित करना था। इस यात्रा के विविध आयाम निम्नलिखित रूप में प्रत्यक्ष हुए :

1. **ज्ञान और अनुभव का आदान–प्रदान :** इन संसदीय यात्राओं ने प्रतिभागियों को विभिन्न देशों की विधायी प्रणालियों, नीतियों और कार्यप्रणालियों की गहराई से समझ प्राप्त करने का अनमोल अवसर प्रदान किया। इस आपसी बौद्धिक संवाद से न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों की जड़ें और गहरी हुईं, बल्कि वैश्विक लोकतंत्र के ताने–बाने में भी नवीन ऊर्जा का संचार हुआ।
2. **सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान :** प्रतिभागियों ने विदेशों में लागू की जा रही उत्कृष्ट विधायी और प्रशासनिक प्रथाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन किया, जो उन्हें अपने–अपने देशों में नवाचार और सुशासन के नए प्रतिमान स्थापित करने की प्रेरणा प्रदान करती हैं।
3. **क्षमता निर्माण :** यह यात्रा नीति–निर्माण के शिल्पकारों के लिए एक जीवंत पाठशाला सिद्ध हुई। जमीनी स्तर पर संचालित परियोजनाओं, योजनाओं और उनके दीर्घकालिक प्रभावों का अवलोकन कर प्रतिभागियों की दृष्टि और समझ का दायरा व्यापक और समृद्ध हुआ।
4. **सांस्कृतिक और राजनीतिक विविधता का सम्मान :** संसदीय अध्ययन यात्रा ने प्रतिभागियों को विभिन्न कॉमनवेल्थ देशों की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विविधताओं से साक्षात्कार कराया। इस विविधता को जानने और सराहने से परस्पर सम्मान, सहिष्णुता और वैश्विक एकात्मता का भाव और अधिक प्रगाढ़ हुआ।
5. **सहयोग और नेटवर्किंग :** इस यात्रा ने राष्ट्रों के बीच सहयोग, साझेदारी और संसदीय नेटवर्किंग के नए द्वार खोले। साझा अनुभवों और उद्देश्यों ने देशों के मध्य आपसी विश्वास को सुदृढ़ किया और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक नवीन ऊर्जा का संचार किया।

इस प्रकार, यह संसदीय अध्ययन यात्रा लोकतंत्र की विविध छवियों का सजीव दर्शन कराती हुई, प्रतिभागियों के बौद्धिक और संवेदनात्मक क्षितिज का विस्तार करने वाली एक प्रेरणादायी पहल सिद्ध हुई।

धनंजय कुमार, शोध/संदर्भ सहायक
रागिनी सिंह, पुस्तकालय सहायक

साइबर फ्रॉड की चुनौती : विधायिका एवं विधायकों की भूमिका

राजीव कुमार

निदेशक, बिहार विधान सभा

21वीं सदी को डिजिटल युग के रूप में पहचाना जा रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित किया है। संचार, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा से लेकर शासन व्यवस्था तक, सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निर्भर हो चुका है। यह परिवर्तन जहाँ एक ओर सुविधाएँ और अवसर लेकर आया है, वहीं दूसरी ओर साइबर अपराधों के खतरे भी सामने आए हैं। साइबर फ्रॉड ने न केवल आर्थिक नुकसान पहुँचाया है बल्कि लोगों की निजता, सुरक्षा और विश्वास को भी चुनौती दी है।

साइबर अपराध (Cyber Crime) का अर्थ है –कंप्यूटर, इंटरनेट या डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके अपराध करना।

इसमें डाटा चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी, हैकिंग, फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन धमकी, पहचान चुराना, बैंकिंग फ्रॉड, गलत सूचना फैलाना आदि शामिल हैं।

भारत में साइबर अपराधों में प्रतिवर्ष तेजी से वृद्धि हो रही है। विशेष रूप से ग्रामीण और छोटे शहरों के लोग, जो डिजिटल माध्यम से हाल ही में जुड़े हैं, अधिक संवेदनशील हैं।

विधायिका की भूमिका

विधायिका यानी संसद और राज्य विधान सभाएँ देश में कानून बनाकर, संशोधित कर और उन्हें लागू कर साइबर अपराध से लड़ने की नींव तैयार कर सकती है। विधायिका की भूमिका निम्नलिखित पहलुओं में महत्वपूर्ण है :

डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भारतीय कानूनों के अनुरूप काम करने के लिए बाध्य करना।

भारत में साइबर अपराध से निपटने के प्रमुख कानून :

1. **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act, 2000)**

   यह भारत का मुख्य कानून है जो डिजिटल लेनदेन और साइबर अपराधों को नियंत्रित करता है।

   इसमें डाटा सुरक्षा, हैकिंग, पहचान चोरी, वायरस फैलाने, फर्जी दस्तावेज बनाने, साइबर आतंकवाद आदि पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है।

2. भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की कुछ धाराएँ भी साइबर अपराध से निपटने में इस्तेमाल होती हैं, जैसे :–

   धारा 319 :– धोखाधड़ी से जुड़ी सजा (फेक प्रोफाइल या फर्जी पहचान से अपराध)।

   धारा 318 :– धोखाधड़ी और विश्वासघात से धन ऐंठना (फ्रॉड)।

   धारा 356 :– ऑनलाइन मानहानि (defamation)।

   धारा 351 :– ऑनलाइन धमकी देना (criminal intimidation)।

3. **साइबर आतंकवाद से निपटने के लिए आईटी एक्ट का प्रावधान :–**

   जब अपराधी का लक्ष्य सिर्फ डेटा चोरी नहीं बल्कि राष्ट्र की एकता, सुरक्षा या जनजीवन को खतरा पहुँचाना हो तब ऐसे अपराध को साइबर आतंकवाद की श्रेणी में रखा जाता है जिसके लिए आईटी एक्ट की धारा 66F के तहत उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है।

विधायकों की भूमिका

सत्रहवीं बिहार विधान सभा में सदन में आए माननीय सदस्य इस साइबर अपराध के प्रति काफी संवेदनशील रहे हैं। पिछले बजट सत्र में कतिपय माननीय सदस्यों द्वारा साइबर ठगी के संबंध में कुछ प्रश्न पूछे गए और सरकार के द्वारा पूरी मुस्तैदी से उनके उत्तर भी दिये गये हैं, जो निम्नवत हैंः–

श्री अरूण शंकर प्रसाद, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 03 मार्च, 2025 को सदन में साइबर अपराध विषय पर पूछा गया तारांकित प्रश्नः–

स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में दिनांक–21.01.2025 को प्रकाशित समाचार शीर्षक 'सऊदी और पाक से मैथिली–भोजपुरी में आ रहे ठगों के कॉल' को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–

श्री अरूण शंकर प्रसाद
स०वि०स०

क्या यह बात सही है कि सऊदी अरब व पाकिस्तान सहित अन्य देशों के साइबर ठग बिहार में औसतन 600 कॉल प्रतिदिन दूर दराज के गाँवों के लोगों के पास क्षेत्रीय भाषाओं यथा भोजपुरी, मैथिली और मगही में कर रहे हैं जिस कारण डेढ़ वर्ष में 22 हजार से अधिक लोग ठगी के शिकार हो गये हैं, यदि हाँ तो सरकार विदेश में बैठे साइबर ठगों के कॉल पर रोक लगाने तथा ठगी से बचाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहती हैं, नहीं तो क्यों?

सरकार से प्राप्त उत्तर

वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य में साइबर अपराध से संबंधित 210–215 शिकायत प्रतिदिन प्रतिवेदित किये जा रहे हैं, परन्तु उक्त अपराध करने में क्षेत्रीय भाषाओं यथा भोजपुरी, मैथिली और मगही का प्रयोग किये जाने के संबंध में कोई प्रामाणिक ऑकड़ा उपलब्ध नहीं हैं। इसी प्रकार सऊदी अरब एवं पाकिस्तान से बिहार राज्य में साइबर ठगी किये जाने के मामले सामने नहीं आये हैं, हालांकि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों यथा थाइलैण्ड, मलेशिया, लाओस, कम्बोडिया आदि देशों से भारतीय नागरिकों से साइबर ठगी के मामले सामने आये हैं, जिसमें विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं को प्रलोभन देकर उक्त देशों में ले जाकर उनका पासपोर्ट जब्त कर एवं भयादोहन कर वहां

साइबर अपराध से बचने के लिए जरूरी एहतियात :

1. समय–समय पर पासवर्ड बदलते रहें।
2. जहाँ भी संभव हो, लॉगिन के लिए OTP या अतिरिक्त कोड का उपयोग करें।
3. ईमेल, SMS या सोशल मीडिया पर संदिग्ध लिंक से सावधान रहें।
4. HTTPS (SSL) वाली वेबसाइट पर ही लेन–देन करें।
5. एंटीवायरस और फायरवॉल सक्रिय रखें
6. सॉफ्टवेयर और एप्लिकेशन अपडेट करें, क्योंकि पुराने वर्जन में सुरक्षा कमजोरियाँ होती हैं, अपडेट से ये दूर होती हैं।
7. फ्री Wi-Fi का उपयोग करते समय संवेदनशील जानकारी साझा न करें।
8. सोशल मीडिया पर सीमित जानकारी साझा करें।
9. बैंकिंग और लेन–देन सतर्कता से करें। OTP, पासवर्ड, UPI पिन किसी के साथ भी साझा न करें।
10. संदेहास्पद गतिविधि दिखने पर तुरंत cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं।

से उनसे जबरन भारत में साइबर ठगी का कार्य करवाया जा रहा है। उक्त मामलों में कार्रवाई हेतु भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र (I4C), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देशन में आर्थिक अपराध इकाई में एक विशेष समर्पित साइबर स्लेवरी हेल्प डेस्क का गठन किया गया है, जिसके द्वारा नियमित रूप से POE (Protectors of Emigration) से समन्वय स्थापित कर विदेश भेजने वाले एजेन्ट्स का जाँच सत्यापन कराया जा रहा है। साथ ही अवैध एजेंट के विरुद्ध संबंधित जिलों के माध्यम से विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र (I4C) नई दिल्ली द्वारा साइबर स्लेवरी में बिहार राज्य से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में गये वैसे भारतीय नागरिकों की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जो कि वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी वापस नहीं लौटे हैं। साथ ही बिहार राज्य के वैसे POS (Point of sale) की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिनके द्वारा निर्गत मोबाईल नम्बर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में सक्रिय है। उक्त नागरिकों तथा POS की जाँच सत्यापन संबंधित जिला से करायी जा रही है। इसके अतिरिक्त आर्थिक अपराध इकाई के स्तर से पटना में तथा इकाई के निर्देशन में सभी साइबर थाना द्वारा नियमित रूप से साइबर जागरूकता से संबंधित कार्यक्रम, पोस्टर बैनर आदि का परिचालन तथा नियमित रूप से शिक्षण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है।

श्री अरूण शंकर प्रसाद, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 24 मार्च, 2025 को सदन में साइबर अपराध विषय पर पूछा गया तारांकित प्रश्न :–

स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में दिनांक–19.02.2025 को प्रकाशित शीर्षक '50 लाख से अधिक, ठगी मामले 25 गुणा बढ़े' को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में पिछले तीन वर्षों में 50 लाख या इससे अधिक राशि की साइबर ठगी की घटनाओं में 25 गुणा बढ़ोत्तरी हुई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2022 में 2, वर्ष 2023 में 12 तथा वर्ष 2024 में 49 मामला ठगी का दर्ज किया गया है, जिसमें 72 करोड़ 65 लाख 37 हजार रूपये की साइबर ठगी की जा चुकी है;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उक्त साइबर ठगी पर अंकुश लगाने हेतु कौन–सी उपाय करना चाहती हैं, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?

<u>सरकार द्वारा दिया गया उत्तर</u> :–

(1) वस्तुस्थिति यह है कि NCRP Portal पर विगत तीन वर्षों में 50 लाख या उससे अधिक राशि के साइबर ठगी के वर्ष–2022 में कुल–02, वर्ष–2023 में कुल–14 एवं वर्ष 2024 में कुल–49 शिकायत प्रतिवेदित किये गए हैं।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि विगत तीन वर्षों में 50 लाख या उससे अधिक राशि के साइबर ठगी के शिकायत के संबध में कुल 65 मामले दर्ज किए गए हैं जिसकी कुल प्रतिवेदित राशि 71,49,84,103.9 है।

(3) राज्य में बढ़ते साइबर अपराध को देखते हुए बिहार के सभी 44 पुलिस जिलों में साइबर थाना की स्थापना की गई है तथा माह जून, 2023 से सभी साइबर थाना क्रियाशील है। प्रत्येक साइबर थानों में पुलिस उपाधीक्षक–01, पुलिस निरीक्षक–04, पुलिस अवर निरीक्षक–03, प्रोग्रामर–01, सिपाही–02 डाटा सहायक–03, चालक–01 का पद आवंटित किया गया है। इसके अतिरिक्त साइबर से संबंधित काण्डों के अनुपात में पर्याप्त मात्रा में पदाधिकारी/कर्मियों की पदस्थापना/ प्रतिनियुक्ति संबंधित जिलों के द्वारा की गई है। आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना जो साइबर अपराध से संबंधित मामलों के लिए राज्य की नोडल इकाई है। साथ ही आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना के परिसर में NCRP Helpline-1930 का संचालन प्रारंभ किया गया है जो 26 फरवरी, 2023 से क्रियाशील है। हेल्पलाइन–1930 में कार्यरत पदाधिकारी/कर्मियों के द्वारा शिफ्टवाइज 24×7 सक्रिय रहकर

हेल्पलाइन–1930 पर साइबर अपराध से सम्बंधित शिकायतों को ऑनलाईन दर्ज किया जाता है। सभी साइबर थानों द्वारा साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु साप्ताहिक स्तर पर विशेष छापामारी अभियान साइबर प्रहार का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2023 में 304 एवं वर्ष 2024 में 851 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। साइबर अपराध में प्रयुक्त वर्ष 2023 में कुल 8095 मोबाइल नम्बरों तथा 3927 IMEIs एवं वर्ष–2024 में कुल 6932 मोबाइल नम्बरों तथा 6272 IMEIs को आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना के स्तर से ब्लॉक कराया गया है। आर्थिक अपराध इकाई के निर्देशन में सभी साइबर थानों द्वारा नियमित रूप से साइबर जागरूकता से सबंधित कार्यक्रम, पोस्टर, बैनर आदि का परिचालन तथा नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2025 को सदन में साइबर अपराध विषय पर पूछा गया तारांकित प्रश्न :–

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह
स0वि0स0

(क) क्या यह बात सही है कि राज्य के हर जिलों के साइबर थानों में हर माह लगभग 250 केस होते हैं ;

(ख) क्या यह बात सही है कि साइबर थानों में कर्मियों, पदाधिकारियों, तकनीकी एक्सपर्ट के अभाव के कारण साइबर ठगों द्वारा निकासी किए गये करोड़ो रूपये की राशि पर न तो होल्ड लगाया जा रहा है और न ही पीड़ितों के खाते में धन राशि वापस आ रही है ;

(ग) क्या यह बात सही है कि अकेले पटना साइबर थाने में एक इंस्पेक्टर पर 250 एवं ए0एस0आई पर 100 केस का बोझ है ;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार साइबर थानों में पर्याप्त कर्मियों की नियुक्ति एवं आधुनिकतम तकनीक उपलब्ध कराते हुए राशि वापस करने का विचार रखती है यदि हाँ, तो कब तक ?

सरकार से प्राप्त उत्तर

(क) वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के सभी 44 जिलों में साइबर थाना क्रियाशील है। साइबर थाना की स्थापना के उपरान्त सभी साइबर थानों में वर्ष 2023 में कुल 2603 प्राथमिकी दर्ज की गई, जबकि वर्ष 2024 में कुल 5394 प्राथमिकी दर्ज किये गये।

(ख) वस्तुस्थिति यह है कि NCRP पोर्टल पर वर्ष 2023 में जहाँ (ऑनलाईन वित्तीय धोखाधड़ी) के कुल 51,427 मामले प्रतिवेदित हुए, वहीं वर्ष 2024 में कुल 81,185 मामले प्रतिवेदित हुए। उक्त शिकायतों में वर्ष 2023 में कुल 240.21 करोड़ रूपये की साइबर ठगी प्रतिवेदित हुई, जिसके विरूद्ध कुल 27.79 करोड़ रूपये को बचाया (होल्ड) गया। वहीं वर्ष 2024 में कुल प्रतिवेदित 429.83 करोड़ रूपये के विरूद्ध कुल 72.83 करोड़ रूपये को बचाया (होल्ड) गया।

(ग) वस्तुस्थिति यह है कि माह–जनवरी 2025 के आँकड़ों के अनुसार पटना साइबर थाना में पदस्थापित 04 पुलिस निरीक्षक के पास 200 से अधिक, 02 पुलिस निरीक्षक के पास 150 से अधिक एवं 06 पुलिस अवर निरीक्षक के पास 100 से अधिक कांड अनुसंधान हेतु दिये गये हैं।

(घ) कंडिका 02 एवं 03 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

श्री मुकेश कुमार यादव, मा० सदस्य, वि०स० द्वारा दिनांक 03 मार्च, 2025 को सदन में साइबर अपराध विषय पर पूछा गया तारांकित प्रश्न–

क्या यह बात सही है कि साइबर अपराधी द्वारा ठगी की जाने वाली राशि पटना स्थित छः निजी बैंक तथा पटना में पश्चिम गाँधी मैदान स्थित एक सरकारी बैंक, अररिया में डी.ए.वी. चौक स्थित एक सरकारी बैंक एवं बेतिया के सुप्रिया

श्री मुकेश कुमार यादव
स0वि0स0

रोड स्थित सरकारी बैंक में वृहद पैमाने पर राशि का जमा व निकासी किया गया है, यदि हाँ तो सरकार उक्त बैंकों के खिलाफ कब तक तथा क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

सरकार द्वारा दिया गया उत्तर :–

यह स्वीकारात्मक है।

वस्तुस्थिति यह है कि साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए माह जनवरी 2024 से नवम्बर 2024 तक प्रतिवेदित ऑनलाईन वित्तीय धोखाधड़ी के शिकायतों में साइबर अपराध में प्रयुक्त बैंक खातों का विश्लेषण करते हुए बिहार राज्य के सर्वाधिक Mule Accounts से सम्बन्धित 10 बैंक शाखाओं को चिह्नित किया गया है। चिह्नित किए गए उक्त 10 सरकारी/निजी बैंक शाखाओं में से पटना शहर में 06, अररिया में 01, पूर्णियाँ में 01, बेतिया में 01 एवं सिवान में 01 बैंक खाता संचालित हैं।

उपर्युक्त बैंक शाखाओं पर कार्रवाई करने हेतु आर्थिक अपराध इकाई, बिहार के पत्रांक–1683/NCRP/EOU, दिनांक–26.12.2024 के माध्यम से उप निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, पटना से अनुरोध किया गया है।

इसके अलावा माननीय सदस्य जनता के प्रतिनिधि होने के नाते, जमीनी स्तर पर साइबर सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं :

1. **जागरूकता अभियान चलाना** : अपने निर्वाचन क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा पर कार्यशालाएँ, सेमिनार और नुक्कड़ नाटक आयोजित करना। स्थानीय स्कूलों, पंचायत भवनों और सामाजिक संगठनों के माध्यम से जनजागरण अभियान चलाना।
2. **स्थानीय साइबर सेल स्थापित कराने में पहल करना** : जिलों में साइबर अपराध जांच इकाइयाँ स्थापित कराने के लिए पहल करना। पुलिस बल को साइबर अपराध जाँच में प्रशिक्षित कराने की मांग करना।
3. **प्रभावी प्रतिनिधित्व** : विधान सभा में जनता से जुड़े साइबर अपराध के मुद्दों को उठाना। पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कानूनी और प्रशासनिक सहायता सुनिश्चित कराना।
4. **डिजिटल सेवाओं की निगरानी** : सरकारी योजनाओं और सेवाओं के डिजिटल माध्यम से निष्पादन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना। सरकारी वेबसाइटों और एप्स की साइबर सुरक्षा की नियमित समीक्षा करना।

साइबर अपराध के शिकार होने पर क्या करें :–

1. स्क्रीनशॉट लें, ईमेल या मैसेज सेव करें, संदिग्ध नंबर या अकाउंट की डिटेल्स संभाल कर रखें।
2. नजदीकी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में या भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर (cybercrime.gov.in) तुरंत शिकायत दर्ज करें।
3. साइबर अपराध से जुड़ी तत्काल मदद के लिए भारत सरकार का हेल्पलाइन नंबरः 1930 पर कॉल करें।
4. बैंकिंग फ्रॉड हो तो तुरंत बैंक को सूचित करें, कार्ड ब्लॉक कराएं, शिकायत नंबर लें।
5. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शिकायत दर्ज करें।

समग्रतः मजबूत कानून, व्यापक जागरूकता और चुस्त प्रशासकीय व्यवस्था के माध्यम से आम जनता को साइबर अपराधों से सुरक्षित किया जा सकता है। एक जागरूक नागरिक और सक्रिय जनप्रतिनिधि ही मिलकर एक सुरक्षित डिजिटल भारत का निर्माण कर सकते हैं, जहाँ विज्ञान का उपयोग विकास के साधन के रूप में हो, न कि धोखाधड़ी के उपकरण के रूप में।

•••

अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन (AIPOC)

संक्षिप्त परिचय एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :

अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों का एक प्रतिष्ठित मंच है, जिसकी स्थापना वर्ष 1921 में हुई थी। देश के विधायी और लोकतांत्रिक ढांचे को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों पर विचार–विमर्श के लिए यह एक प्रभावी मंच के रूप में कार्य करता रहा है। यह सम्मेलन पीठासीन अधिकारियों को विचारों का आदान–प्रदान करने, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और संसदीय शासन से संबंधित चुनौतियों पर चर्चा करने में सक्षम बनाता है। अपनी सौ साल पुरानी विरासत के माध्यम से AIPOC ने विधायी प्रक्रिया को मजबूत करने, विधायी निकायों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने तथा संसदीय नैतिकता, समावेशिता और शासन में प्रौद्योगिकीय प्रगति जैसे मुद्दों का समाधान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन (AIPOC) ने वर्ष 2021 में अपने सौ वर्ष पूरे किये हैं। 1921 में आयोजित पहले सम्मेलन की भांति सौ वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्ष 2021 में 82वें AIPOC को शिमला में ही आयोजित किया गया था। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 10 से 12 जनवरी 2023 तक जयपुर स्थित राजस्थान विधान सभा परिसर में एवं 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 27 से 28 जनवरी 2024 तक मुंबई स्थित महाराष्ट्र विधानमंडल परिसर में आयोजित किया गया था। महत्वपूर्ण मुद्दों के प्रति अपनी संवेदनशीलता का प्रदर्शन करते हुए AIPOC ने विगत वर्षों में छः आपातकालीन सम्मलेन भी आयोजित किये हैं, जो तात्कालिक और महत्वपूर्ण मुद्दों का प्रभावी ढंग से निराकरण करने की इसकी क्षमता को रेखांकित करते हैं ।

> भारत में पीठसीन अधिकारियों (Presiding Officers) का अखिल भारतीय सम्मेलन संसदीय लोकतंत्र की परंपरा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल रहा है। पहला अखिल भारतीय पीठसीन अधिकारी सम्मेलन (All India Presiding Officers' Conference) 15-16 सितंबर, 1921 को शिमला (Shimla) में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन केंद्रीय विधान सभा (आज की लोक सभा) के अध्यक्ष सर फ्रेडरिक व्हाइट (Sir Frederick Whyte) ने किया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य-विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों और केंद्रीय विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों को एक मंच पर लाकर उनके अनुभव साझा करना, विधायी प्रक्रिया में एकरूपता और दक्षता लाना तथा नियम, प्रक्रिया और संचालन में सुधार पर विचार करना था।

बिहार में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन :

बिहार में वर्ष 1964 में पहली बार अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आयोजित किया गया था। राज्य ने वर्ष 1982 में दूसरी बार इस सम्मेलन की मेजबानी की थी। पहली बार लक्ष्मीनारायण सुधांशु और दूसरी बार राधानंदन झा बिहार विधान सभा अध्यक्ष थे । 43 वर्षों के अंतराल के बाद दिनांक 19 –21 जनवरी 2025 तक बिहार को एक बार फिर इस सम्मेलन की मेजबानी का अवसर मिला जिसका सफल आयोजन श्री नंदकिशोर यादव के अध्यक्षीय कार्यकाल में किया गया।

85वाँ अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन :

विधायी निकायों के सचिवों का सम्मेलन

भारत में विधायी निकायों के सचिवों का सम्मेलन एक ऐसा महत्वपूर्ण मंच है जो देश भर के विधायी निकायों के प्रशासनिक प्रमुखों के मध्य विचारों, परिपाटियों और नवाचारों के आदान–प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। इसकी शुरूआत वर्ष 1950 में नई दिल्ली में लोक सभा के पहले अध्यक्ष श्री जी.वी. मावलंकर के दूरदर्शी नेतृत्व में की गई थी। भारत में विधायी निकायों के सचिवों की पहली बैठक 23 अक्टूबर, 1953 को ग्वालियर में हुई थी, तब से यह एक नियमित कार्यक्रम बन गया है जो आमतौर पर पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन से पहले आयोजित किया जाता है। यह सम्मेलन विभिन्न राज्य विधान सभाओं, केंद्र शासित प्रदेशों और संसद के दोनों सदनों के सचिवों को एक साथ लाता है। यह इन अधिकारियों को परस्पर सहयोग करने, अनुभव साझा करने और विधायी प्रक्रियाओं और प्रशासनिक कार्यों के प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। यह सम्मेलन आम मुद्दों का निवारण करने, परिपाटियों को मानकीकृत करने और भारत में विधायी प्रशासन की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

भारत के विधायी निकायों के सचिवों का 61वां सम्मेलन लोक सभा के महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में दिनांक 19 जनवरी 2025 को 19:30 बजे होटल मौर्या, दक्षिण गाँधी मैदान, पटना में आयोजित किया गया। इस बैठक में 'विधायी निकायों में अधिक दक्षता, प्रभावशीलता और उत्पादकता के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाये जाने संबंधी विषय पर विचार–विमर्श हुआ । लोक सभा के महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने कहा कि विधायी निकायों में अधिक दक्षता, प्रभावशीलता और उत्पादकता के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाया जाना चाहिए। इससे कार्य निष्पादन में सुविधा होगी और इसके परिणाम सकारात्मक होंगे।. उन्होंने सभी से अत्याधुनिक तकनीक अपनाने के लिए पहल करने की अपील की। इससे पहले उद्घाटन भाषण में राज्य सभा के महासचिव प्रमोद चन्द्र मोदी ने कहा कि आधुनिक तकनीक को अपनाने से संसदीय और विधायी कार्य और आसान हो जाते हैं तथा पूरी प्रक्रिया भी सहज हो जाती है । बिहार विधान सभा की सचिव (प्रभारी) श्रीमती ख्याति सिंह ने स्वागत भाषण दिया एवं बिहार विधान परिषद् के सचिव अखिलेश कुमार झा ने धन्यवाद ज्ञापन किया । सम्मलेन में बिहार विधान मंडल द्वारा किये जा रहे तकनीकी कार्यों की भी जानकारी दी गयी । इस सम्मलेन में देश भर से कुल 31 विधायी निकायों के सचिवों ने भाग लिया ।

अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की स्थायी समिति की बैठक

अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन (AIPOC) की स्थायी समिति भारत के विधायी निकायों के प्रशासन और समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सितंबर 1989 में भोपाल में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में नटवरलाल सी. शाह समिति की रिपोर्ट के अनुमोदन के बाद अप्रैल 1990 में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन (AIPOC) की स्थायी समिति की स्थापना की गई। लोक सभा के अध्यक्ष, राज्य सभा के उपसभापति एवं लोक सभा के महासचिव क्रमशः इस समिति के पदेन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव की भूमिका निभाते हैं। समिति आगामी एआईपीओसी के लिए तारीखों और स्थानों का निर्धारण करने के साथ साथ सम्मेलन के लिए एजेंडा, कार्यक्रम और विषयों को अंतिम रूप देने के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा, यह सम्मेलन के दौरान लिए गए निर्णयों और प्रस्तावों से संबधित अनुवर्ती कार्रवाइयों की देखरेख करती है। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की स्थायी समिति की बैठक 20 जनवरी, 2025 को लोक सभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस बैठक में भारत में संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। बैठक में सम्मिलित देश भर के विभिन्न विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों ने 'विधायी दक्षता बढ़ाने,

माननीय लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला की अध्यक्षता में स्थायी समिति की बैठक

समावेशिता को बढ़ावा देने और बेहतर शासन के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने' पर हुए रचनात्मक विचार–विमर्श में भाग लिया। अपने समापन संबोधन में श्री ओम बिरला ने प्रतिभागियों के योगदान की सराहना की और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए सामूहिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, यह बैठक विचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान–प्रदान का एक मंच रही है जो यह सुनिश्चित करेगी कि हमारी विधायी संस्थाएँ मजबूत, पारदर्शी और जवाबदेह बनी रहें। हम सब मिलकर एक अधिक समावेशी और सहभागी लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं।

विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के 85वें सम्मेलन का उद्घाटन

भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के 85वें सम्मेलन का उद्घाटन दिनांक 20 जनवरी, 2025 को लोक सभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने किया। इस कार्यक्रम में राज्य सभा के माननीय उपसभापति श्री हरिवंश, बिहार के माननीय उपमुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी, बिहार विधान परिषद् के माननीय सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह, बिहार विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री नंद किशोर यादव, बिहार विधान परिषद् के माननीय उप सभापति प्रो. डॉ. रामवचन राय, बिहार विधान सभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र नारायण यादव तथा बिहार के ग्रामीण विकास विभाग के माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे ।

बिहार विधान सभा परिसर पहुंचने पर माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला को बिहार पुलिस की 'महिला बटालियन' द्वारा भव्य गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।

बिहार विधान मंडल विस्तारित भवन के केन्द्रीय कक्ष में आयोजित उद्घाटन समारोह में विभिन्न राज्य विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों और अन्य विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति ने इसे और भी भव्य बना दिया । उद्घाटन सत्र की शुरुआत से पूर्व सेंट्रल हॉल में बिहार की विरासत और विकास पर एक वृत्तचित्र का प्रदर्शन किया गया।

बिहार विधान सभा के अध्यक्ष श्री नंद किशोर यादव ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि बिहार को भारत की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और बौद्धिक धरोहर का केंद्र माना जाता है। बिहार का सीतामढ़ी माँ सीता का जन्मस्थान है, जो

85वें अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन

एक धार्मिक, ऐतिहासिक और आधुनिक पर्यटन स्थल है। यहाँ की धरती ने भगवान बुद्ध की करुणा ,महावीर की अहिंसा और गुरु गोबिंद सिंह जी के साहस को जन्म दिया है। बिहार वही भूमि है जहाँ चाणक्य ने राजनीति के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और सम्राट अशोक ने शासन में शिष्टता का संदेश दिया। इस सम्मेलन का आयोजन लोकतंत्र की मजबूती और जनप्रतिनिधियों के बीच संवाद और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के संवर्धन में विधान सभाओं और विधान परिषदों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है । यह सम्मेलन न केवल विचारों के आदान–प्रदान का एक मंच है, बल्कि एक अवसर भी है कि हम अपने अनुभव साझा करें और संसदीय कार्य प्रणाली को और अधिक प्रभावशाली बनाने के उपायों पर चर्चा करें ।

अपने उद्घाटन संबोधन में **लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला** ने विधानमंडलों की बैठकों की घटती संख्या तथा उनकी गरिमा और मर्यादा में कमी की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि विधानमंडल चर्चा और संवाद का मंच हैं और जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा की जाती है कि वे लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करें । लोक सभा अध्यक्ष ने आगाह किया कि बैठकों की संख्या कम होने के कारण विधानमंडल अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने में विफल हो रहे हैं। उन्होंने विधिनिर्माताओं से आग्रह किया कि वे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों के समाधान के लिए कुशलता से कार्य करते हुए सदन में समय का उपयोग प्रभावी ढंग से करने को प्राथमिकता दें और सुनिश्चित करें कि जनता की आवाज पर्याप्त रूप से उठाई जाए । उन्होंने यह भी कहा कि हमारे सदनों की गरिमा और प्रतिष्ठा को बढ़ाना अति आवश्यक है। उन्होंने सुझाव दिया कि सभी दलों को सदन में सदस्यों के आचरण के संबंध में अपनी आचार संहिता बनानी चाहिए ताकि लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान हो । श्री बिरला ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को राजनीतिक विचारधारा और संबद्धता से ऊपर उठकर संवैधानिक मर्यादा का पालन करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जनप्रतिनिधियों को अपनी विचारधारा और दृष्टिकोण व्यक्त करते समय स्वस्थ संसदीय परंपराओं का पालन करना चाहिए। पीठासीन

अधिकारियों को सदनों में अच्छी परंपराएं और परिपाटियाँ स्थापित करनी चाहिए और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाना चाहिए। लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करते हुए विधानमंडलों को लोगों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाना चाहिए और उनके माध्यम से लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करना चाहिए। उन्होंने आग्रह किया कि AIPOC की तरह राज्य विधान सभाओं को भी अपने स्थानीय निकायों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का मंच तैयार करने चाहिए। विधानमंडलों को अधिक प्रभावी और कुशल बनाने पर जोर देते हुए श्री बिरला ने पीठासीन अधिकारियों से विधानमंडलों के कामकाज में प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और सोशल मीडिया के उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। इस बात पर जोर देते हुए कि संसद और राज्य विधानमंडलों को जनता के लिए अधिक सुलभ बनाना समय की मांग है, उन्होंने सुझाव दिया कि तकनीकी नवाचारों के माध्यम से विधायी कार्यों की जानकारी आम जनता को उपलब्ध कराई जा सकती है। यह टिप्पणी करते हुए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित साधनों से संसदीय और विधायी कार्यवाही में पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ाई जा सकती है, श्री बिरला ने कहा कि भारत की संसद ने इस प्रक्रिया की शुरुआत पहले से ही कर दी है जिसके सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। इस संदर्भ में श्री बिरला ने बताया कि 2025 के अंत तक एक राष्ट्र, एक विधायी मंच का कार्य पूरा हो जाएगा । श्री बिरला ने इस बात पर बल दिया कि सहमति और असहमति के बीच सदनों में अनुकूल वातावरण में काम होना चाहिए ताकि कार्योत्पादकता अधिक हो । उन्होंने बेहतर जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए सदनों और समितियों की दक्षता में सुधार करने पर भी जोर दिया। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हमारी संसदीय समितियों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए सभी विधानमंडलों की समितियों के बीच संवाद होना चाहिए तथा समितियों का कार्य वास्तविक तथ्यों पर आधारित होना चाहिए ताकि जनता के धन का उपयोग बेहतर ढंग से हो तथा अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो । राज्य विधान सभाओं की स्वायत्तता को संघीय ढांचे का आधार बताते हुए श्री बिरला ने कहा कि संविधान की सातवीं अनुसूची में उल्लिखित यह शक्ति तभी सार्थक होगी जब राज्य विधानमंडल निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा के साथ अपना कार्य करेंगे। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि

माननीय लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला को अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए बिहार विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री नंद किशोर यादव

राज्यों के विधायी निकायों को अपनी शक्तियों का उपयोग इस प्रकार की नीतियां बनाने में करना चाहिए जो स्थानीय आवश्यकताओं और लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप हों तथा देश की सर्वांगीण प्रगति में भी सहायक हों। भारत को मजबूत बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान करते हुए श्री बिरला ने कहा कि राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर केंद्र और राज्यों दोनों को 'एक भारत ,श्रेष्ठ भारत' की भावना के साथ मिलकर काम करना चाहिए। इस संबंध में विधानमंडलों की भूमिका का उल्लेख करते हुए श्री बिरला ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्र को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने में विधानमंडलों को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए माननीय लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला

इस अवसर पर बोलते हुए **राज्य सभा के उप सभापति श्री हरिवंश** ने बिहार के समृद्ध इतिहास को याद किया। उन्होंने कहा कि यह इतिहास बिहार के लोगों के स्वतंत्रता संग्राम और संविधान निर्माण के योगदान में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उन्होंने आगे कहा कि देश अपनी विकास यात्रा के एक महत्वपूर्ण चरण पर है और हमारे विधायी संस्थानों को गतिशील होना होगा ताकि संवैधानिक मूल्यों को भविष्य के लिए प्रासंगिक रखा जा सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीय संविधान समय के साथ लचीला हुआ है और समय की कसौटी पर खरा उतरा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आने वाले वर्षों में देश के विधायी संस्थानों को देश की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भविष्य की ओर देखना होगा।

सत्र को संबोधित करते हुए **बिहार विधान परिषद् के सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह** ने कहा कि बिहार चार दशकों बाद AIPOC का आयोजन करके गौरवान्वित है। उन्होंने उल्लेख किया कि लोक सभा अध्यक्ष ने लोकतंत्र को सशक्त करते हुए और लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीच संवाद को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है। उन्होंने कहा कि श्री बिरला की अध्यक्षता में AIPOC सभी पीठासीन अधिकारियों को उनके कर्तव्यों का पालन करने में बहुमूल्य मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है। उन्होंने बिहार के गौरवमयी इतिहास और राष्ट्र निर्माण में बिहार के योगदान का भी जिक्र

किया। श्री सिंह ने आशा व्यक्त की कि दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान होने वाली बहस और चर्चाएँ पीठासीन अधिकारियों के साथ सम्पूर्ण राज्य विधायिका के कार्यों में दक्षता लाने में सहायक होंगी।

बिहार के उपमुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी और बिहार सरकार में मंत्री श्री श्रवण कुमार ने भी इस अवसर पर प्रतिभागियों को सम्बोधित किया । श्री सम्राट चौधरी ने प्रतिभागियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पिछले दो दशक में बिहार के विकास के लिए किये गए प्रयासों और उपलब्धियों से अवगत कराया । श्री श्रवण कुमार ने बिहार की आतिथ्य परंपरा का जिक्र करते हुए प्रतिभागियों का स्वागत किया। बिहार विधान सभा के उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र नारायण यादव ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

पूर्ण सत्र (प्लेनरी सेशन)

संविधान की 75वीं वर्षगाँठः संवैधानिक मूल्यों को सशक्त बनाए रखने में संसद और राज्य विधानमंडलों का योगदान पर सत्र :—

भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को सुनिश्चित करते हुए विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रशासन के लिए आधारभूत ढांचा तैयार किया । यह महत्वपूर्ण अवसर भारत के लोकतान्त्रिक विकास की उल्लेखनीय यात्रा को दर्शाता है, जो औपनिवेशिक अतीत से लोकतांत्रिक गणराज्य में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करता है। संविधान न केवल सरकार की संरचना को परिभाषित करता है, बल्कि अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी भी देता है, जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा मिलता है । 75 वर्षों के दौरान भारतीय संविधान राजनीतिक क्षेत्र से लेकर सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों तक विभिन्न चुनौतियों और परिवर्तनों के माध्यम से देश का मार्गदर्शन करने के लिए एक सुदृढ़ आधारशिला रहा है। इसकी स्थायी प्रासंगिकता और अनुकूलनशीलता ने भारत को प्रमुख वैश्विक घटनाओं से निपटने में मदद की है और यह प्रत्येक नागरिक के अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन 75 वर्षों के दौरान कई महत्वपूर्ण

बिहार विधान सभा वेश्म में आयोजित प्लेनरी सत्र

प्लेनरी सत्र के दौरान सदन का दृश्य

संशोधन लिए गए हैं जो लोगों की बदलती जरूरतों और अपेक्षाओं को दर्शाते हैं। आज तक संविधान में 106 बार संशोधन किया जा चुका है।

20 जनवरी, 2025 को सम्मेलन के प्रथम दिवस के पूर्ण सत्र (प्लेनरी सेशन) में 'संविधान की 75वीं वर्षगांठः संवैधानिक मूल्यों को सशक्त बनाए रखने में संसद और राज्य विधानमंडलों का योगदान' विषय पर विचार—विमर्श किया गया। दशकों से संसद और राज्यों के विधायी निकायों ने लोकतंत्र की आधारशिला के रूप में काम किया है। समावेशी शासन को बढ़ावा दिया है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की है। जीवंत बहसों, प्रगतिशील कानून निर्माण और जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से उन्होंने संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संवैधानिक ढांचे की शुचिता सुनिश्चित करते हुए राष्ट्र की उभरती सामाजिक—आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने में भी विधानमंडलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस चर्चा में श्री सतीश महाना, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विधान सभा, डॉ. रमन सिंह, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभाः श्री बिमान बनर्जी, अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल विधान सभा : थिरु एम. अप्पावु, अध्यक्ष, तमिलनाडु विधान सभाः श्री राहुल नार्वेकर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधान सभाः श्रीमती सुरमा पाढ़ी, अध्यक्ष, ओडिशा विधान सभाः श्री तेसम पोंगटे, अध्यक्ष, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा, श्री सेल्वम आर., अध्यक्ष, पुंडुचेरी विधान सभाः सरदार कुलतार सिंह संधवान, अध्यक्ष, पंजाब विधान सभा, श्री बंदा प्रकाश, उपसभापति, तेलंगाना विधान परिषदः श्री चिंताकयाला अय्यन्ना पात्रुडू, अध्यक्ष, आंध्र प्रदेश विधान सभा, श्री विश्वजीत दैमारी, अध्यक्ष, असम विधान सभा : श्री गद्दाम प्रसाद कुमार, सभापति, तेलंगाना विधान परिषद : गुथा सुकेन्दर रेड्डी, सभापति,तेलंगाना विधान परिषद् : अब्दुल रहीम राथर, अध्यक्ष,जम्मू—कश्मीर विधान सभा : श्री राम शिंदे, सभापति, महाराष्ट्र विधान परिषद् : डॉ. नीलम दिवाकर गोरहे, उपसभापति, महाराष्ट्र विधान परिषद् : श्री कनुमुरु रघु राम कृष्ण

बिहार विधान सभा वेश्म में प्लेनरी सत्र को संबोधित करते माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा श्री नन्द किशोर यादव

राजू, उपाध्यक्ष, आंध्र प्रदेश विधान सभा : श्री रवींद्र नाथ महतो, अध्यक्ष, झारखंड विधान सभाः श्री मिंगमा नोरबू शेरपा, अध्यक्ष, सिक्किम विधान सभा और श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह, सभापति,उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने भाग लिया।

संविधान की 75वीं वर्षगांठ : संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में 'संसद और राज्य विधान निकायों का योगदान' विषय पर पूर्ण सत्र में चर्चा दूसरे दिन भी जारी रही। चर्चा संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में संसद और राज्य विधान निकायों की स्थायी विरासत पर केंद्रित थी। ये संस्थाएँ लोकतंत्र की जीवनदायिनी के रूप में काम करती हैं और संवैधानिक सिद्धांतों को कार्रवाई योग्य नीतियों और कानूनों में रूपांतरित करती हैं। जीवंत बहसों, समावेशी प्रतिनिधित्व और मजबूत कानून बनाने की प्रक्रियाओं के माध्यम से उन्होंने न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आदर्शों को लगातार कायम रखा है। चाहे सामाजिक आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाले सुधारों को लागू करना हो या लोकतांत्रिक शासन के लिए चुनौतियों का समाधान करना हो, इन निकायों ने संवैधानिक नैतिकता के संरक्षक के रूप में काम किया है। संघवाद को बनाए रखने, अधिकारों की रक्षा और जवाबदेही को बढ़ावा देने के प्रति उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता भारत को एक लचीले और प्रगतिशील लोकतंत्र के रूप में आकार दे रही है। चर्चा में तमिलनाडु विधान सभा के उपाध्यक्ष थिरु के. पिचंडी,मेघालय विधान सभा के उपाध्यक्ष श्री टिमोथी डी. शिरा,मिजोरम विधान सभा के अध्यक्ष श्री लालबियाकजमा,असम विधान सभा के उपाध्यक्ष डॉ. नुमाल मोमिन और हरियाणा विधान सभा के उपाध्यक्ष श्री कृष्ण लाल मिड्ढा ने भाग लिया।

विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के 85वें सम्मेलन का समापन

माननीय राज्यपाल, बिहार श्री आरिफ मोहम्मद खान का संबोधन :

भारतीय लोकतंत्र की प्राचीन विरासत का उल्लेख करते हुए श्री खान ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था की उत्पत्ति प्राचीन भारतीय गणराज्यों से हुई है, जहाँ शासन प्रणाली लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित थी। उन्होंने कहा कि प्राचीन भारत में राजतंत्र के बजाय लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ प्रचलित थीं,जैसे वैशाली में,जहाँ शासकों को जनता द्वारा चुना जाता था। उन्होंने यह भी कहा कि 'डॉ. भीमराव अंबेडकर' ने भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान भारतीय लोकतंत्र की प्राचीन धरोहर को उद्धृत किया था। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम और संविधान निर्माण में बिहार के योगदान की भी सराहना की, जिसकी 75वीं वर्षगांठ देशभर में मनाई जा रही है। यह उल्लेख करते हुए कि भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि देश के आदर्शों और उद्देश्यों का प्रतीक भी है। श्री खान ने कहा कि यह प्राचीन भारतीय मूल्यों और आदर्शों को दर्शाता है, जो आज भी प्रासंगिक और प्रेरणादायक हैं। उन्होंने मानवतावाद और समानता जैसे भारतीय मूल्यों की चर्चा की, जो प्राचीन गुरुओं जैसे–'आदि शंकराचार्य' के कार्यों में निहित हैं, जिन्होंने देशभर में आध्यात्मिक एकता का प्रसार किया। उन्होंने कहा कि 'विविधता में एकता' और 'बंधुत्व, समानता, न्याय' जैसे मूल्य भारत के सभ्यतागत मूल्यों में समाहित है। आत्मा का उदाहरण देते हुए श्री खान ने कहा कि भारतीय सभ्यता, आत्मा की भाँति शाश्वत और अपरिवर्तनीय है जो उसे विश्व में एक अनुपम स्थान प्रदान करता है। उन्होंने विधायी निकायों से अपील की कि वे 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे।

समापन सत्र को सम्बोधित करते माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान

लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला का संबोधन :

लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कहा कि विधानमंडलों में बाधा रहित एवं व्यवस्थित चर्चा तथा श्रेष्ठ संवाद की परंपरा बनाये रखना चाहिए। बैठकों की कम होती संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए लोक सभा अध्यक्ष ने कहा कि यह सभी पीठासीन अधिकारियों का प्रयास होना चाहिए कि सदनों में व्यवधान ना हो,सहमति असहमति के बावजूद हमारे

सदन बेहतर वातावरण में व्यापक जनहित में कार्य निष्पादन करें ताकि हम अपने सदनों के माध्यम से अपने संवैधानिक दायित्वों का बेहतर निर्वहन कर जनसेवा एवं सुशासन में बेहतर योगदान दे पाए। श्री बिरला ने कहा कि संविधान की 75वीं वर्षगांठ को उत्सव के रूप में मनाने को लेकर सभी पीठासीन अधिकारियों ने CREATIVE IDEAS दिए हैं। उन्होंने कहा कि भारत की संसद और सभी राज्यों के विधानमंडल स्थानीय निकायों की सक्रिय भागीदारी से संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाएँगे और इसके लिए पूरे वर्ष देश के हर कोने में हमारे महान लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाएँगे। विधि निर्माताओं के लिए उत्कृष्ट रिसर्च सपोर्ट पर जोर देते हुए श्री बिरला ने कहा कि सदस्यों के क्षमता निर्माण और सहायता के लिए विधायी संस्थाओं में उत्कृष्ट RESEARCH और REFERENCE विंग होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हमारी योजना है कि राज्यों की विधान सभाओं/विधान परिषदों के लिए हम लोक सभा में एक RESEARCH POOL स्थापित करें जिससे विधायिकाओं को संसद द्वारा RESEARCH SUPPORT की सुविधा भी उपलब्धी करवायी जा सके। विधानमंडलों में समिति व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने पर जोर देते हुए श्री बिरला ने उल्लेख किया कि हमने संसदीय समितियों की कार्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए सार्थक पहल की है। उन्होंने आगे बताया कि इस वर्ष AIPOC के बैनर के तहत सभी राज्य विधायिकाओं की समितियों के लिए भी TRAINING O CAPACITY BUILDING के कार्यक्रम आयोजित किये जाएँगे। प्रधान मंत्री 'नरेन्द्र मोदी' जी के विज़न – "ONE NATION ONE LEGISLATIVE PLATFORM" का उल्लेख करते हुए श्री बिरला ने कहा कि इस दिशा में पिछले वर्ष में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। जहां संसद की DEBATES को हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में TRANSLATE कर ONLINE उपलब्ध करवाया जा रहा है, वहीं राज्यों की विधायिकाओं द्वारा भी अपनी वर्तमान व पूर्व की DEBATES के DIGITIZATION के कार्य में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की गयी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2025 में हम माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसार भारत के नागरिकों को एक ऐसा अद्वितीय PLATFORM उपलब्ध करवा पाएँगे जहां वे KEY WORD, META DATA - AI EMPOWERED SEARCH के माध्यम से किसी भी विषय पर न केवल संसद की DEBATES अपितु विधायिकाओं में होने वाली DEBATES को भी ACCESS कर पाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत की संसद प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में अग्रणी है। उन्होंने बताया कि एआई के उपयोग से भारत की संसद में 22 आधिकारिक भाषाओं में से दस में एक साथ अनुवाद किया जा रहा है और जल्द ही यह सुविधा सभी बाईस भाषाओं में सदस्यों के लिए उपलब्ध होगी। यह बताते हुए कि भारत की संसद में सदस्यों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के माध्यम से सभी प्रकार के संसदीय कागजात दस क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। श्री बिरला ने खुशी व्यक्त की कि भारत दुनिया का एकमात्र लोकतंत्र है जिसमें हम सभी बहसों का अनुवाद करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। श्री बिरला ने पीठासीन अधिकारियों को सूचित किया कि भारत की संसद उनकी दक्षता और उत्पादकता में सुधार के लिए राज्य विधानमंडलों के साथ तकनीक साझा करेगी। श्री बिरला ने आगे कहा कि यह पीठासीन अधिकारियों का संकल्प है कि भारत की संसद, राज्यों की विधायिकाएं, पंचायती राज संस्थाएं, नगरीय निकाय, सहकारी संस्थाएं व समस्त लोकतान्त्रिक संस्थाओं के सशक्तीकरण के लिए हम निरंतर कार्य करते रहें। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकतान्त्रिक संस्थाएं जितनी सशक्त होंगी उतना ही राष्ट्र के विकास एवं जनकल्याण में भारत के नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो पाएगी। श्री बिरला ने कहा कि ये हमारा संकल्प होना चाहिए कि ये विधायी संस्थाएँ देश में चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति के साथ देश को आगे बढ़ाते हुए 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करें। सम्पूर्ण विश्व में विधि निर्माताओं और संसदीय अधिकारियों के प्रशिक्षण में लोक सभा सचिवालय की PRIDE संस्था की भूमिका की प्रशंसा करते हुए श्री बिरला ने कहा कि PRIDE के माध्यम से हम 100 से अधिक विभिन्न राष्ट्रों की संसदों एवं लगभग सभी राज्य विधायिकाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर चुके हैं। हमने 25 राज्य विधायिकाओं के लिए Legislative Drafting पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। अब हम PRIDE के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं, नगरीय निकाय, सहकारी संस्थाओं व समस्त लोकतान्त्रिक संस्थाओं के सशक्तीकरण के लिए

भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। श्री बिरला ने कहा PRIDE सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए पूरे वर्ष विधायी प्रारूपण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करेगा। पीठासीन अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी और उनके बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने की सराहना करते हुए श्री बिरला ने कहा कि पटना में 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन (AIPOC) पीठासीन अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों को और अधिक प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के मार्गदर्शन करने में निर्णायक होगा तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करेगा। श्री बिरला ने कहा कि सम्मेलन में सूचनाओं और अनुभवों को साझा करने से पीठासीन अधिकारियों को अपने–अपने सदनों में नवाचारों के लिए प्रेरणा मिलेगी जिससे शासन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी।

उप सभापति, राज्यसभा श्री हरिवंश का संबोधन :

अपने संबोधन में **राज्य सभा के उप सभापति श्री हरिवंश** ने विधायकों को सदन में अपने आचरण पर आत्मचिंतन करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पुराने समय में भारी बहुमत वाली सरकारें हुआ करती थीं, फिर भी विपक्ष में चुने हुए सदस्य अपने विचार प्रभावी ढंग से रखने और अपनी असहमति को गरिमापूर्ण तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम थे। आज व्यवधान की प्रकृति दर्शाती है कि हम सम्मानपूर्वक असहमति जताना भूल गए हैं। उपसभापति ने लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में संविधान सभा के काम और इस प्रक्रिया में बिहार के सदस्यों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को याद किया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत का संविधान लचीला रहा है और समय की जरूरतों के अनुकूल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि विधानमंडलों को संविधान के इस विकास को एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए और भविष्य के लिए कानूनों पर भी विचार–विमर्श करना चाहिए।

सभापति, बिहार विधान परिषद् श्री अवधेश नारायण सिंह का संयोजन :

बिहार विधान परिषद् के सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह ने लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला को उनके मार्गदर्शन और प्रेरणादायक उपस्थिति के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और श्री ओम बिरला का आभार व्यक्त किया,जिन्होंने हाल ही में आयोजित 10वें संविधान दिवस समारोह में संसद के केन्द्रीय कक्ष में भारतीय संविधान के संस्कृत और मैथिली संस्करण जारी किए। AIPOC के विषय पर श्री सिंह ने कहा कि संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में केंद्र और राज्यों के आपसी संबंधों पर चर्चा होनी चाहिए, विशेषतः राज्यों के विधान मंडलों की स्वायत्ता विषय में। यह कहते हुए कि विधानमंडल का मूल्यवान समय जनकल्याण और विधायी कार्यों में उपयोग किया जाना चाहिए, न कि राजनीतिक दबाव बनाने के लिए, श्री सिंह ने इस बात पर बल दिया कि सदन की कार्यवाही में जनहित को प्राथमिकता देना सार्वजनिक सेवा के लिए आवश्यक है। उन्होंने विधायी और राजनीतिक प्रक्रियाओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर भी जोर दिया। उन्होंने प्रधान मंत्री द्वारा लॉन्च किए गए राष्ट्रीय ई–विधान एप्लिकेशन (NeVA) की सराहना की, जिसने संसदीय प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और डिजिटल बना दिया है। उन्होंने इसका उपयोग स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में विस्तार करने का सुझाव दिया।

अध्यक्ष बिहार विधान सभा श्री नंद किशोर यादव का संबोधन :

इस अवसर पर **बिहार विधान सभा के अध्यक्ष श्री नंद किशोर यादव** ने कहा कि इस सम्मेलन का उद्देश्य न केवल हमारी संसदीय प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बनाना है, बल्कि हमारी संसदीय प्रणाली की पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देना भी है। उन्होंने आगे कहा कि पूर्व में इस सम्मेलन में विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों, जैसे कि विधायी कार्यों की गुणवत्ता में सुधार, संसदीय आचार संहिता का पालन और विधायिकाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा होती रही है और यह सम्मेलन निश्चित रूप से पीठासीन अधिकारियों को सदन की कार्यवाही को अधिक सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन हमें इस बात की याद दिलाता है कि हम सभी, चाहे किसी भी स्तर पर हों, एक ही लक्ष्य की ओर कार्य कर रहे हैं और वह है एक

सशक्त, पारदर्शी और न्यायपूर्ण लोकतंत्र का निर्माण। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे सामने जो चुनौतियाँ हैं, वे किसी एक व्यक्ति या संगठन की नहीं हैं, बल्कि हम सभी को मिलकर इनका समाधान निकालना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे कार्य संविधान के मूल्यों और आदर्शों के अनुरूप हों और हम जनता का विश्वास बनाए रखें।

उपमुख्यमंत्री, बिहार श्री विजय कुमार सिन्हा का संबोधन :

अपने संबोधन में **उपमुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा** ने 2021 में बिहार विधान सभा की 100वीं वर्षगांठ समारोह का स्मरण किया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि संविधान में अंकित ऐतिहासिक चित्र संविधान निर्माताओं की उस दूरदृष्टि को दर्शाते हैं, जो संविधान को भारत के लोगों से अटूटता के साथ जोड़े रखते हैं। संविधान को एक जीवंत और विकसित इकाई बताते हुए श्री सिन्हा ने इसकी तुलना वैदिक साहित्य के ज्ञान से की और इसकी कालातीत प्रासंगिकता पर जोर दिया।

उप सभापति, बिहार विधान परिषद् श्री रामवचन राय का संबोधन :

बिहार विधान परिषद् के उप सभापति श्री रामवचन राय ने 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन सत्र में धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। भावपूर्ण समानता बताते हुए उन्होंने 85वें AIPOC की तुलना प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ से की तथा महाकुंभ का वर्णन आध्यात्मिक समागम और AIPOC का वर्णन ज्ञान और बुद्धि के समागम के रूप में किया। श्री राय ने संविधान को कलात्मक चित्रों से सजाने वाले बिहार में जन्मे नंदलाल बोस के योगदान को याद किया। उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिभागियों का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए अपने संबोधन का समापन किया।

माननीय अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा प्रेस कांफ्रेंस

समापन सत्र के उपरांत प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते माननीय लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला

श्री बिरला ने बताया कि दो दिन तक चले 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में देश भर से 23 विधान मंडलों के 41 पीठासीन अधिकारियों ने भाग लिया। सभी पीठासीन अधिकारियों ने व्यापक विचार–विमर्श कर सर्वसम्मति से 5 महत्वपूर्ण संकल्प लिए :

- संविधान निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धांजलि।
- संविधान में निहित मूल्यों और आदर्शों के अनुरूप सदन का संचालन करने का संकल्प।
- विधायी संस्थाओं में बाधा रहित, व्यवस्थित चर्चा एवं श्रेष्ठ संवाद का संकल्प।
- संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर अभियान व कार्यक्रम चलाने का संकल्प।
- टेक्नोलॉजी व AI के उपयोग से प्रभावी सेवाएं सुनिश्चित करने का संकल्प।

85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की उपलब्धियां :

पुस्तक का विमोचन : 'संसदीय पद्धति और प्रक्रिया' का 8वां अंग्रेजी संस्करण और 5वां हिंदी संस्करण

लोक सभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने लोक सभा के प्रतिष्ठित प्रकाशन संसदीय पद्धति और प्रक्रिया के हिंदी के 5वें और अंग्रेजी 8वें संस्करण का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक एम.एन. कौल और एस.एल. शकधर हैं। इस संस्करण का संपादन लोक सभा के महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने किया है।

पुस्तक विमोचन समारोह बिहार विधानमंडल भवन के केन्द्रीय कक्ष में 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के उद्घाटन समारोह के तुरंत बाद आयोजित किया गया, जिसमें अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।

लोक सभा सचिवालय के सर्वाधिक प्रतिष्ठित प्रकाशनों में से एक 'संसदीय पद्धति और प्रक्रिया' संविधान, सदन के नियमों, अध्यक्ष के निदेशों, पूर्वोदाहरणों और परिपाटियों पर आधारित हैं। हालांकि संसदीय प्रथाओं और प्रक्रियाओं की

पुस्तक विमोचन करते हुए माननीय लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला

पहचान समय के साथ सुधार अनुकूलन और विकास की उनकी क्षमता है। इस नवीनतम संस्करण में 2016 में अपने सातवें अंग्रेजी संस्करण के प्रकाशन के बाद से सभी उल्लेखनीय घटनाक्रमों और विकासों को शामिल करने और उन्हें संजोने का प्रयास किया गया है। इस लोकप्रिय पुस्तक ने भारत और विदेशों में विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों, सांसदों, अधिकारियों, विधि निर्माताओं, न्यायविदों, विद्वानों तथा विधायी सस्थाओं के कामकाज में रुचि रखने वाले सभी लोगों के बीच एक समर्पित पाठक वर्ग विकसित किया है। वर्ष 1968 में प्रकाशित प्रथम संस्करण का संकलन श्री एम.एन. कौल तथा श्री एस.एल. शकधर द्वारा किया गया था। वर्ष 1991 में प्रकाशित चौथे संस्करण के साथ यह पुस्तक लोक सभा सचिवालय का आधिकारिक प्रकाशन बन गई है। पहला हिंदी संस्करण 1972 में मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल द्वारा निकाला गया था। इसके बाद के हिंदी संस्करण लोक सभा सचिवालय द्वारा निकाले गए हैं। पहली बार अंग्रेजी और हिंदी संस्करण एक साथ निकाले जा रहे हैं।

नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन

माननीय लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। नेशनल ई–विधान एप्लिकेशन (NeVA) केन्द्र प्रायोजित परियोजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न विधान मंडलों के कार्य को डिजीटलाईज करते हुए इन्हें पूर्णतः पेपरलेस बनाना है। इसके प्रमुख लाभों में सूचना का त्वरित स्थानांतरण शामिल है। बिहार विधान सभा द्वारा माननीय सदस्यों सहित अन्य हितधारकों को नेवा एप्लिकेशन उपयोग में सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक अत्याधुनिक नेवा सेवा केन्द्र तैयार किया गया है।

सम्मेलन के दौरान बिहार विधान सभा में अन्य महत्त्वपूर्ण आयोजन

संसद ग्रंथालय द्वारा प्रदर्शनी

संसद ग्रंथालय द्वारा 85वें AIPOC के प्रतिनिधियों के लिए चुनिंदा पुस्तकों की एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में लोक सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित उल्लेखनीय प्रकाशनों, बिहार के इतिहास और संस्कृति पर आधारित पुस्तकों, संसदीय लोकतंत्र, भारत के संविधान और अन्य अंतरराष्ट्रीय विषयों पर प्रकाश डालने वाली कृतियों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित की गई। एक मुख्य आकर्षण भारत के मूल सुलेखित संविधान की प्रतिकृति का प्रदर्शन था, जो सम्मेलन में भाग लेने वाले गणमान्य व्यक्तियों को भारत की लोकतांत्रिक विरासत और सांस्कृतिक विरासत की समृद्ध झलक प्रदान कर रही थी। यह पहल, संसद ग्रंथालय की अपने संग्रहित सग्रहों के माध्यम से भारत की संसदीय परंपराओं और सांस्कृतिक समृद्धि की बेहतर समझ और जानकारी को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित कर रही थी।

विक्रय फलक

लोक सभा सचिवालय द्वारा संसदीय प्रकाशनों की बिक्री के लिए एक विक्रय फलक स्थापित किया गया । यह सभी प्रतिनिधियों को लोक सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित प्रकाशनों को देखने और खरीदने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। इस फलक पर सबसे उल्लेखनीय प्रकाशनों में से एक हिंदी और अंग्रेजी दोनों में सुलेखित भारतीय संविधान की प्रति थी, जो A.3 और A.4 आकारों में उपलब्ध थीं। बिक्री के लिए उपलब्ध लोक सभा के कुछ हालिया प्रकाशनों में शामिल था : कॉन्स्टीच्यूएंट असेम्बली डिबेट्स, भारत का संविधान (सभी आकार) (2024), एम. एन. कौल और एस. एल. शकधर द्वारा संसदीय पद्धति और प्रक्रियाएँ (आठवां संस्करण, 2024), इंडियन पार्लियामेंटरी कम्पेनियनः मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टीट्यूएंट असेम्बली, प्रोविजनल पार्लियामेंट एड फर्स्ट टु सेवेन्टिंथ लोक सभा' (2024), इंस्क्रिप्शंस इन पार्लियामेंट हाउस एंड संविधान सदन (2024), कॉन्स्टिट्यूशनल एमेंडमेंट्स इन इंडिया' (2024), डायरेक्शन्स बाई चेयर,

बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन करते माननीय अध्यक्ष, लोकसभा एवं माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा

कस्टोडियन ऑफ डेमोक्रेसी : ए कॉफी टेबल बुक' (2024), अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के चुनिंदा भाषण (2023), संसद में अटल बिहारी वाजपेयी (द्विभाषी) (2019)। विक्रय फलक में अन्य लोकप्रिय प्रकाशन भी बिक्री के लिए उपलब्ध था, जैसे डॉ. राम मनोहर लोहियाः ए मोनोग्राफ (हिंदी और अग्रेजी) : वित्त मंत्रियों के बजट भाषण (3 खंड) (1947–2011), मधु दण्डवते इन पार्लियामेंटः ए कमेमोरेटिव वॉल्यूम (2008), इंद्रजीत गुप्ता इन पार्लियामेंट : ए कमेमोरेटिव वॉल्यूम (2007), संविधान निर्माण (हिंदी और अंग्रेजी) (2016), चंद्र शेखर इन पार्लियामेंटः ए कमेमोरेटिव वॉल्यूम (2016)।

वृत्तचित्र का प्रदर्शन

सम्मलेन के उद्घाटन सत्र के दौरान दोपहर 12:30 बजे बिहार की विरासत और विकास पर वृत्तचित्र का प्रदर्शन किया गया ।

सांस्कृतिक कार्यक्रम

पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के दोनों दिन प्रतिनिधियों के लिए आयोजित रात्रिभोज के दौरान 'सांस्कृतिक संध्या' कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार की समृद्ध परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के साथ–साथ भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराओं का जीवंत प्रदर्शन किया गया ।

प्रथम दिवस (20 जनवरी 2025) को आयोजित सांस्कृतिक संध्या में निम्न कार्यक्रम प्रस्तुत किये गए :

बिहार गौरव गान :

बिहार के लोक परंपराओं, त्यौहारों और अलग–अलग ऋतुओं में गाए जाने वाले यहाँ के पारंपरिक गीतों के रंगीन छटा से सजा है बिहार का गौरव गान। बिहार के प्राकृतिक, भौगोलिक सौंदर्य के अलावा, यहां के पांच भाषीय जनजीवन

की मीठी बोली और अलग–अलग पर्व त्यौहार को एक सूत्र में बांधते हुए दिखता है हमारा गौरवशाली बिहार, जिसमें समाहित है बिहार के मनीषियों, विद्वानों की गाथा और स्वतंत्रता सेनानियों, देश नायकों के बलिदान की गाथा। यह गान बिहार में सर्वधर्म समानता की भावना को दर्शाता है और यहाँ की भूमि में व्याप्त अनेकता में एकता का गुणगान भी करता है।

बिहार की प्रख्यात लोकगायिका मैथिली ठाकुर द्वारा लोकगीतों की भावपूर्ण प्रस्तुति

सीताराम विवाह :

बिहार की पावन भूमि पर जन्म लिया था माता सीता ने और यहीं पुरुषोत्तम राम से मिथिला में संपन्न हुआ था उनका विवाह। बिहार के इस पारंपरिक विवाह में कुटुंब प्रबोधन के साथ नागरिक कर्त्तव्य बोध, जनमानस की चेतना और वैभव की परंपरा परिलक्षित होती है। बिहार की पारंपरिक विवाह पद्धति को दर्शाती राम–सीता विवाह की मनमोहक प्रस्तुति इसकी समृद्ध विरासत और शाश्वत परम्पराओं की झलक प्रस्तुत करती है।

लोकरंग :

यह भारत भूमि विविधताओं में एकता का समृद्ध उदाहरण है, जहाँ हर प्रांत में अलग बोली, वेशभूषा, पर्व, त्यौहार बिखरे पड़े हैं। सुदूर दक्षिण के उत्सव हो या हमारे उत्तर के सुंदर गीत–नृत्य, पूरब की संस्कृति का अनुपम सौंदर्य हो या पश्चिम के सप्त स्वर में गीत–संगीत यह सब एक सूत्र में बंध कर हमें एकता और सद्भावना का वैभवशाली भारतीयता का रूप दिखाते हैं। लोकरंग की प्रस्तुति भारत के पारंपरिक नृत्यों से सजी प्रस्तुति है जिसमे गिद्धा, घूमर, जाड़िया, झूमर, तिरुवदिरा, बिहू, संबलपुरी नृत्य शामिल हैं।

बिहार की प्रख्यात लोकगायिका मैथिली ठाकुर द्वारा लोकगीतों की भावपूर्ण प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया ।

सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान सीता–राम विवाह का मनमोहक दृश्य

द्वितीय दिवस (21 जनवरी 2025) आयोजित सांस्कृतिक संध्या में निम्न कार्यक्रम प्रस्तुत किये गए :

लोक रंग नृत्य प्रदर्शन : भारत के समृद्ध और विविधतापूर्ण लोकनृत्य का एक उत्कृष्ट प्रदर्शन। इस प्रदर्शन में देश के विभिन्न क्षेत्रों के जीवंत लोकनृत्य रूपों को उजागर किया गया । प्रत्येक लोकनृत्य में हमारी विरासत की 'विविधता में एकता' की छाप छोड़ने वाली अनूठी परंपराएँ, रंग और लय दिखाई दीं ।

सम्मेलन के दौरान आयोजित सांस्कृतिक संध्या का एक दृश्य

लोकगीत प्रस्तुति : प्रसिद्ध लोक गायिका चंदन तिवारी और श्रीमती रंजना झा ने पारंपरिक लोकगीतों की भावपूर्ण प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया ।

अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के दौरान सांस्कृतिक संध्या का एक दृश्य

आगंतुक अतिथियों का बिहार भ्रमण

आगंतुक अतिथियों को पटना के बापू टावर, बिहार म्यूजियम, तख्तश्री हरमंदिर साहिब गुरूद्वारा, खाजेकलां घाट पर गंगा महाआरती का भ्रमण कराया गया । इसके अतिरिक्त गया जी के महाबोधि मंदिर, विष्णुपद मंदिर और फल्गु नदी एवं नालंदा के नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष, नालंदा संग्रहालय, नालंदा स्तूप और अन्य पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराया गया । इस भ्रमण के दौरान आगंतुक महानुभावों को बिहार की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से रूबरू होने का अवसर मिला ।

प्रज्ञाग्नि, प्रशाखा पदाधिकारी
प्रभात कुमार, जनसंपर्क पदाधिकारी

बिहार विधान सभा में NeVA का शुभारंभ : डिजिटल युग की ओर सशक्त कदम

लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के नवीन मानकों तक पहुँचाने की दिशा में, माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में नेशनल ई–विधान एप्लीकेशन (NeVA) परियोजना का शुभारंभ एक ऐतिहासिक पहल के रूप में सामने आया है। इस अभिनव प्रयास का उद्देश्य देश के सभी विधायी निकायों को एक साझा डिजिटल मंच पर संगठित कर, उन्हें पारस्परिक संवाद और सुदृढ़ कार्य प्रणाली की दिशा में प्रेरित करना है।

इस परियोजना के तहत, बिहार विधान सभा सचिवालय ने सप्तदश विधान सभा के चतुर्दश सत्र के दौरान पहली बार National e-Vidhan Application को अपनाकर, अपने कार्यों में तकनीकी सशक्तिकरण की ओर एक क्रांतिकारी कदम उठाया। यह न केवल सूचना के सहज एवं त्वरित प्रसारण को संभव बनाता है, अपितु लोकतांत्रिक संवाद को भी नवीन स्वरूप प्रदान करता है।

बिहार विधान सभा में नेवा सेवा केन्द्र का उद्घाटन

डिजिटलीकरण की इस यात्रा को और अधिक सुचारू एवं प्रभावी बनाने हेतु, बिहार विधान सभा में एक आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर एवं नेवा सेवा केंद्र की स्थापना की गई है। इस नवाचारात्मक केंद्र का विधिवत उद्घाटन दिनांक 21 जनवरी, 2025 को माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ – यह दिवस बिहार विधान सभा की संसदीय यात्रा में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित हो गया।

NeVA न केवल तकनीकी उन्नयन का प्रतीक है, बल्कि यह सुशासन, पारदर्शिता और लोकजागरण की ओर बढ़ाया गया एक दृढ़ एवं दूरदर्शी कदम भी है। यह पहल हमारे लोकतंत्र को और अधिक जागरूक, सुलभ एवं उत्तरदायी बनाने की दिशा में स्तंभ बन चुका है।

प्रश्नों की प्रक्रिया में नवाचार की ओर – NeVA के माध्यम से उत्तरदायित्व की नई दिशा

सप्तदश बिहार विधान सभा के चतुर्दश सत्र में तकनीकी नवाचार के एक महत्वपूर्ण सोपान को स्पर्श करते हुए, NeVA प्रश्न प्रक्रिया मॉड्यूल के माध्यम से माननीय सदस्यों से प्राप्त प्रश्नों का सुचारु निष्पादन किया गया है। यह पहल न केवल कार्य की दक्षता को सुदृढ़ करती है, बल्कि विधान प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं तत्परता का भी एक नवीन उदाहरण प्रस्तुत करती है।

अब सभी माननीय सदस्यगण को एक विशिष्ट आई.डी. एवं पासवर्ड प्रदान किया गया है, जिसके माध्यम से वे NeVA पोर्टल पर अपने प्रश्नों के उत्तरों को पूर्व निर्धारित तिथि से पहले ही ऑनलाइन देख सकते हैं। यह सुविधा उन्हें सत्र के आरंभ से पूर्व ही उनके द्वारा सदन में उठाये जाने वाले प्रश्न से संबंधित जानकारी प्रदान करती है, जिससे सदन में विचार–विमर्श अधिक सारगर्भित एवं प्रभावी रूप में संपन्न हो सके।

माननीय सदस्यगण बिहार विधान सभा की अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध NeVA पोर्टल में लॉगिन कर, प्रश्नों के ऑनलाइन सबमिशन के तहत न केवल अपने प्रश्न प्रस्तुत कर सकते हैं, बल्कि उनके उत्तरों का अवलोकन भी कर सकते हैं। यह एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो पारंपरिक विधायी प्रक्रिया को डिजिटल युग के अनुकूल बनाते हुए समयबद्धता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के मूल्यों को और अधिक सुदृढ़ करता है।

इस अभिनव प्रणाली के माध्यम से बिहार विधान सभा ने एक बार फिर यह सिद्ध किया है कि वह तकनीक और पारंपरिक लोकतांत्रिक मूल्यों के संगम से भविष्य की एक सशक्त, उत्तरदायी और नागरिक–केन्द्रित विधायिका की ओर अग्रसर है।

तकनीकी युग की ओर बढ़ते हुए, बिहार विधान सभा ने अपने माननीय सदस्यगण को विधायी कार्यों की सहज एवं प्रभावी जानकारी प्रदान करने हेतु एक महत्वपूर्ण पहल की है। विधान सभा के विस्तारित भवन में NeVA सेवा केंद्र की स्थापना, इस दिशा में एक सराहनीय एवं दूरदर्शी कदम है।

नेवा पोर्टल की जानकारी लेते माननीय अध्यक्ष, लोक सभा एवं माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा

यह सेवा केंद्र सदस्यों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने का एक समर्पित मंच है, जहाँ वे स्वयं अथवा अपने निजी सहायकों के माध्यम से NeVA पोर्टल से संबंधित किसी भी जानकारी अथवा सहायता को सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। यह केंद्र, डिजिटल संसदीय व्यवस्था में उनकी सक्रिय भागीदारी को सशक्त बनाता है।

बिहार विधान सभा से संबंधित समस्त विधायी जानकारियाँ अब NeVA पोर्टल (https://neva.gov.in/ अथवा https://bla.neva.gov.in/) पर सुलभ हैं। इन पोर्टलों के माध्यम से विधानसभा सत्रों, प्रश्नोत्तर, विधेयकों तथा अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जानकारी अब सहजता से प्राप्त की जा सकती है। साथ ही, माननीय सदस्यों की सुविधा हेतु बिहार विधान सभा की आधिकारिक वेबसाइट (https://vidhansabha.bihar.gov.in/) पर प्रश्न भेजने की सम्पूर्ण प्रक्रिया को विस्तारपूर्वक दर्शाया गया है, जिससे सदस्यगण किसी भी जटिलता के बिना अपने प्रश्नों को ऑनलाइन माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं।

डिजिटल लोकतंत्र की ओर एक दृढ़ कदम

NeVA सेवा केंद्र की स्थापना केवल एक तकनीकी सुविधा नहीं, अपितु यह लोकतांत्रिक सशक्तिकरण की

नेवा सेवा केन्द्र का निरीक्षण करते हुए माननीय अध्यक्ष, लोक सभा

आधारशिला है। यह पहल दर्शाती है कि बिहार विधान सभा अपने माननीय सदस्यों को एक सशक्त, पारदर्शी एवं ज्ञान–संपन्न वातावरण प्रदान करने हेतु निरंतर प्रतिबद्ध है।

प्रश्नों का निष्पादन नेवा के माध्यम से किये जाने के पश्चात् प्रश्न एवं विभागों द्वारा प्राप्त उत्तर आम जनमानस के लिए सुलभ हैं तथा कोई भी व्यक्ति प्रश्नों के उत्तर हेतु निर्धारित तिथि को 12.00 बजे दिन के बाद NeVA Portal पर देख सकते हैं जिसे neva.gov.in पर Bihar Assembly संभाग में किसी भी सत्र का तिथिवार तारांकित, अतारांकित, अल्पसूचित प्रश्नों को एवं सरकार के द्वारा दिये गये उत्तर देखे जा सकते हैं । बिहार विधान सभा के अंतर्गत जितनी समितियों का गठन किया गया हैं उनमें किसी भी समिति के सदस्यों के बारे में वांछित सूचना प्राप्त कर सकते हैं एवं बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यों की सूची उनके क्षेत्र संख्या, उनका मोबाइल नंबर, ई–मेल आई. डी. इत्यादि संक्षिप्त सूचना प्राप्त कर सकते हैं तथा इसे सचिवालय द्वारा निरंतर समृद्ध एवं अद्यतित किया जा रहा है।

जनसामान्य के लिए सुलभ विधायी जानकारी – अब प्रश्नों के उत्तर एक क्लिक दूर

लोकतंत्र की जड़ें तभी सुदृढ़ होती हैं, जब जनसामान्य को शासन प्रणाली की पारदर्शिता और प्रक्रियाओं की सुलभ जानकारी सहज रूप से प्राप्त हो। इसी उद्देश्य को साकार करने हेतु बिहार विधान सभा द्वारा नागरिकों के लिए NeVA सार्वजनिक पोर्टल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

अब आम–जन भी विधानसभा में पूछे गए प्रश्नों एवं उनके उत्तरों की जानकारी अत्यंत सरल प्रक्रिया द्वारा प्राप्त कर सकते हैं :–

- सबसे पहले, अपने इंटरनेट ब्राउजर पर https://bla.neva.gov.in/ टाइप करें।
- पोर्टल खुलने पर, वहां उपलब्ध "Question" (प्रश्न) बटन पर क्लिक करें।
- तत्पश्चात आप विधान सभा में पूछे गए प्रश्नों की सूची तथा उनके उत्तरों को सुव्यवस्थित रूप में देख सकते हैं।

यह डिजिटल माध्यम अब न केवल विधायी प्रक्रियाओं को जनसामान्य तक पहुँचाता है, बल्कि लोकतांत्रिक सहभागिता को भी नए आयाम प्रदान करता है। बिहार विधान सभा का यह नवाचार नागरिकों को विधायी कार्यकलापों से जोड़कर ज्ञान, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम है।

– कौशलेन्द्र कुमार
प्रशाखा पदाधिकारी

भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर : एक युगपुरुष की विरासत

राजीव कुमार
निदेशक, बिहार विधान सभा

भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित (मरणोपरांत) जननायक कर्पूरी ठाकुर न केवल बिहार की राजनीति में एक युगद्रष्टा नेता के रूप में जाने जाते हैं, बल्कि वे विधान सभा के पटल पर जनता की आकांक्षाओं के अनवरत प्रहरी भी थे। उनका जीवन और कार्य, विशेष रूप से बिहार विधान सभा में उनकी सक्रियता, भारतीय लोकतंत्र की शक्ति और उसकी संवेदनशीलता का जीवंत प्रमाण है। वे उन विरले जननायकों में थे जिनके लिए राजनीति केवल सत्ता नहीं, सेवा और सामाजिक न्याय का माध्यम थी।

कर्पूरी ठाकुर का बिहार विधान सभा से गहरा और सक्रिय जुड़ाव रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् जब बिहार की लोकतांत्रिक संस्थाएं अपनी जड़ें मजबूत कर रही थीं, उस समय जननायक कर्पूरी ठाकुर ने न केवल एक मुखर विधायक के रूप में अपनी भूमिका निभाई, बल्कि उन्होंने उस समय के सत्ता प्रतिष्ठानों को भी लगातार जवाबदेह बनाने का साहसिक कार्य किया। वे 1952 में पहली बार विधान सभा के सदस्य चुने गए और अपने पहले ही कार्यकाल में उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि वे जनता की बात को बेबाकी से रखने वाले जन प्रतिनिधि हैं।

उनकी वाणी में सहजता, तर्क में गहराई और दृष्टि में व्यापकता थी। वे जन सरोकारों को सदन में रखने में कभी पीछे नहीं हटे, चाहे विषय शिक्षा का हो, सामाजिक न्याय का हो, या शोषितों की आवाज उठाने का। वे विधायी विमर्श में इस तरह भाग लेते थे कि विपक्ष और सत्ता, दोनों को विचार करने के लिए विवश होना पड़ता था। उनकी उपस्थिति न केवल सत्तापक्ष को सावधान रखती थी, बल्कि विधायी प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाती थी।

कर्पूरी ठाकुर दो बार बिहार के मुख्यमंत्री बने – पहली बार 1970 में और फिर 1977 में। मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने विधान सभा की गरिमा और भूमिका को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। वे मानते थे कि सत्ता सदन की अनुमति और संवाद से संचालित होनी चाहिए। उनके शासनकाल में सदन में बहसों का स्तर ऊँचा रहा, विपक्ष को पूरा सम्मान मिला और उनकी आलोचना को वे

श्री कर्पूरी ठाकुर
(मरणोपरांत)

मैं, भारत की राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मु, व्यक्तिगत गुणों के लिए आपके सम्मानार्थ, भारत रत्न प्रदान करती हूँ।

नई दिल्ली
दिनांक 30 मार्च, 2024

द्रौपदी
राष्ट्रपति

सुधार का माध्यम मानते थे। उनके द्वारा लागू किया गया आरक्षण का 'कर्पूरी फॉर्मूला' – जिसमें पिछड़ी जातियों और वंचित वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई – विधायिका के माध्यम से सामाजिक क्रांति की दिशा में एक साहसिक कदम था। इसे लेकर सदन में लंबी बहसें हुईं और जननायक ठाकुर ने अपने प्रत्येक निर्णय के पीछे का सामाजिक और नैतिक आधार पूरी स्पष्टता से रखा। उनका यह प्रयास भारतीय विधायी इतिहास में एक आदर्श के रूप में दर्ज है।

कर्पूरी ठाकुर ने बार–बार यह स्पष्ट किया कि विधान सभा केवल कानून बनाने की जगह नहीं है, बल्कि यह जनता के दुःख–दर्द को व्यक्त करने और उसके समाधान की शुरुआत का स्थान है। विरोधी दल के नेता के रूप में उन्होंने विधान सभा को जन सहभागिता का प्रतीक बनाने का प्रयास किया। वे गरीब, किसान, दलित, पिछड़े और श्रमिक वर्गों की समस्याओं को न केवल सदन में प्रमुखता से रखते थे, बल्कि उनके समाधान की दिशा में ठोस प्रयास भी करते थे। उनके लिए संसद और विधान सभा केवल भाषण का मंच नहीं, बल्कि सार्थक बदलाव के साधन थे।

स्व० कर्पूरी ठाकुर के सुपुत्र श्री राम नाथ ठाकुर (माननीय राज्य मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण, भारत सरकार) भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से भारत रत्न ग्रहण करते हुए।

विधान सभा में उनकी सादगी, ईमानदारी और वैचारिक स्पष्टता ने उन्हें विशिष्ट स्थान दिलाया। वे किसी भी विषय पर बोलते समय गंभीर अध्ययन और अनुभव के आधार पर अपनी बात रखते थे। उनके भाषणों में वैचारिक दृढ़ता, जनभावनाओं की समझ और लोकतांत्रिक मूल्यों की गहरी प्रतिबद्धता झलकती थी। वे अपनी विचारधारा को लेकर अडिग थे, लेकिन दूसरों की बातों को सुनने और संवाद करने में विश्वास रखते थे।

जननायक कर्पूरी ठाकुर का बिहार विधान सभा में योगदान न केवल उनके राजनीतिक जीवन का दर्पण है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को सींचने वाला एक प्रेरक अध्याय भी है। उन्होंने यह साबित किया कि एक विधायक न केवल अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है, बल्कि वह सामाजिक बदलाव का वाहक भी हो सकता है। उनका संपूर्ण राजनीतिक जीवन, विशेष रूप से विधान सभा के प्रति उनकी निष्ठा, आज भी सभी विधायकों और जनप्रतिनिधियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भारत रत्न से सम्मानित होकर वे आज भले ही शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी वाणी, विचार और कार्यशैली, विधान सभा की कार्यवाही और उसके विमर्श में सदैव जीवित रहेगी।

●●●

गैर सरकारी संकल्प

अरूण शंकर प्रसाद
सदस्य, बिहार विधान सभा
(33–खजौली)

बिहार लोकतंत्र की जननी है और यह ज्ञान, साधना, अध्यात्म तथा प्रयोगवाद राज्य की जागृत भूमि भी है। हमारी बिहार विधान सभा राज्य की 12 करोड़ जनता की आकांक्षाओं और विश्वास का प्रतिबिंब होने के साथ–साथ लोकतंत्र का सबसे पवित्र मंदिर भी है। इस पवित्र मंदिर में लोकहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। सरकार और जनप्रतिनिधियों के बीच जनहित और लोकहित के मुद्दों पर सार्थक विमर्श को विकास का सेतु माना जाता है। कैसे सार्थक विमर्श के जरिये बिहार के आम आवाम के जीवन को सरल, सुगम और सुंदर बनाया जाय, कैसे बिहार के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों के जीवन में खुशियाँ लायी जायें और कैसे सरकार की नीतियों को पूरी पारदर्शिता तथा निष्पक्षता के साथ हर घर के दहलीज पर पहुंचाया जाय– यही आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारतीय संसदीय प्रणाली का मूल लक्ष्य है। इन्हीं लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए संसद तथा विधान मंडल की कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए नियमावली बनाई गई है।

बिहार विधान सभा के संचालन के लिए बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 21 दिसंबर, 1965 को विधान सभा द्वारा अभिग्रहीत की गई थी जो 01 जनवरी, 1966 से लागू है। इस नियमावली के भाग–13 में 150 से 166 तक गैर सरकारी संकल्पों की सूचना के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा निहित है। नियम–150 के तहत कोई माननीय सदस्य गैर सरकारी संकल्प की सूचना इसके निबटाव के लिये नियत प्रथम दिन से कम से कम पूरे 15 दिन पहले सचिव को लिखित रूप में देते हैं और इस सूचना के साथ संकल्प की एक प्रति भी देनी पड़ती है।

गैर सरकारी संकल्प के लिए नियत हर एक दिन के लिए कोई माननीय सदस्य अधिकतम एक सूचना ही दे सकते हैं जो सरकार को संबोधित विशिष्ट सिफारिश के रूप में होगी। इसमें एक निश्चित और सुस्पष्ट विषय ही उठाया जा सकता हैं। इसमें तर्क, अनुमान व्यंग्योक्ति या मानहानिकार कथन नहीं समाविष्ट होना चाहिये। किसी व्यक्ति विशेष के चरित्र या आचरण पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। साथ ही किसी न्यायालय के निर्णयाधीन मामले भी इसमें नहीं उठाये जा सकते है। इसमें उठाये गये विषय का संबंध राज्य सरकार से सारोकार रहित होने पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा इस संकल्प अथवा इसके किसी भाग को अस्वीकृत किया जा सकता है। संकल्प की ग्राह्यता का निर्णयाधिकार माननीय अध्यक्ष महोदय को होता है। अध्यक्ष महोदय द्वारा इसे गृहीत करने के बाद सदन में विमर्श के लिये नियत तिथि के कम से कम दस दिन पहले सभा सचिव द्वारा इसे संबंधित विभाग को भेज दिया जाता है ताकि नियत तिथि पर संबंधित मंत्री इस पर अपना उत्तर दे सकें। सामान्यतया यह परंपरा रही है कि 15 दिनों से कम के लिए आहूत सत्र में एक तिथि और 15 दिनों से अधिक के लिए निर्धारित सत्र में दो तिथि गैर सरकारी संकल्प के लिए निर्धारित होती है। गैर सरकारी संकल्प की सूचना देने की भाषा निम्न प्रकार होती हैं :–

सेवा में,

सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–150 के तहत लोकहित के निम्नलिखित विषय पर गैर सरकारी संकल्प देने की अपनी इच्छा की सूचना देता/देती हूँ।

ह०–

(स०वि०स०)

गैर सरकारी संकल्प

'यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि मधुबनी के खजौली प्रखण्ड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करावें।'

ह०–

(स०वि०स०

या

केन्द्र सरकार से सिफारिश करने के मामले में

गैर सरकारी संकल्प

यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि पटना में मेट्रो लाईन का विस्तार ISBT से बेलदारीचक तथा सगुना मोड़ से दानापुर होते हुए बिहटा एयरपोर्ट तक विस्तारीकरण हेतु केन्द्र से अनुशंसा करायें।

ह०–

(स०वि०स०)

संकल्प पर सभा में विचार करते समय माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अधिकतम 10 मिनट तक भाषण दिया जा सकता है, परन्तु व्यवहार में यह सीमा बहुत कम रहती है क्योंकि सदन के अधिकांश सदस्य अपने गैर सरकारी संकलन की सूचना दिये रहते हैं और सबका विषय प्रायः लोकहित और आम लोगों के जीवन से जुड़ा रहता है। यदि माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सबको अधिकतम दस मिनट बोलने का मौका दिया जायेगा तब सदन की कार्यवाही काफी लंबे समय तक उस दिन चलानी पड़ेगी जो व्यवहारिक दृष्टि से संभव नहीं है, फिर भी सभी माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये विषय की सूचना को सदन में पढ़ा जाता है एवं संबंधित विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा उस पर स्थिति स्पष्ट की जाती है। इसके पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय सदस्य से संकल्प वापस लेने को कहा जाता है। माननीय सदस्य द्वारा संकल्प वापस नहीं लेने पर सभा में इस पर वोटिंग कराकर इसे अस्वीकृत किया जाता है। केन्द्र सरकार से सिफारिश करने वाले विषय वस्तु से संबंधित गैर सरकारी संकल्प को सामान्यतः सदन से स्वीकृत कर उसे अग्रसारित किया जाता है।

जैसा कि शब्दों से ही पता चलता है– ''गैर सरकारी संकल्प'' अर्थात् सरकार (राज्य मंत्रिपरिषद) से इतर सभा के सदस्यों का संकल्प। हमारी जो नियमावली है– ''बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली'' इसके निर्माता हमारे राजनीतिक धरोहरों और समृद्ध विरासतों ने संकल्प के विषय को बड़ा उदार और व्यापक रखा है। मैं इसके लिए उन पुण्यात्माओं को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जहां तक मुझे संसदीय जीवन का अनुभव है और मेरी समझ ''गैर सरकारी संकल्प'' की व्यवस्था ही लोकहित के लिये की गयी है। इसमें नियमों के अनुशासन में बंधे रहने के बावजूद इतनी आजादी है कि माननीय सदस्य अपने अपने विधान सभा क्षेत्र सहित बिहार के किसी कोने से संबंधित किसी भी लोकहित से जुड़े मामले उठाकर नये निर्माण और नीति–सिद्धांत के विनिर्माण पर सरकार से अपनी बात कर सकते हैं या यदि कोई मामला जो विकास से संबंधित हो और सरकार की दृष्टि उस पर अबतक नहीं पड़ी हो, तो सरकार का ध्यान उस पर खींच सकते हैं।

कहा जाता है कि सार्थक और प्रभावी विमर्श से लोकतंत्र की जड़ें न केवल मजबूत होती है बल्कि जनआकंक्षाओं की पूर्ति हेतु एक सेतु का काम करता है। ''गैर सरकारी संकल्प'' आज व्यवहार में लोकहित के अनेक विषय और राज्य के विकास के अनेक अनछुए पहलुओं/समस्याओं के निराकरण के लिए ''रामबाण'' जैसा कारगर उपाय है। माननीय सदस्य इसके माध्यम से सामान्य तथा अपने क्षेत्रों में नई सड़क, पुल–पुलिया, स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, ट्रॉमा सेंटर,

सड़कों का चौड़ीकरण, सिंचाई के साधन, यथा—नहर, उपनहर, तालाब, आहर, पईन आदि के जीर्णोद्धार, डैम—चेकडैम, अस्पतालों में चिकित्सकों/पैरामेडिकल स्टाफ की प्रतिनियुक्ति, जांच की सुविधा सहित अन्य कई लोकहित से जुड़े मामले को उठाते है।

दरअसल आज की विधायी व्यवस्था में ''गैर सरकारी संकल्प'' राज्य के विकास के लिए तुरूप का पत्ता साबित हो रहा है। विधान सभा में उठाये गये गैर सरकारी संकल्पों को विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच प्रभावोत्पादक साकारात्मक कदम माना जा रहा है। ऐसे संकल्प कार्यपालिका में बैठे पदाधिकारियों को जनोन्मुखी होने के लिये और सृजनात्मक बनने के लिए न केवल बाध्य कर रहे है, बल्कि सदन में उठाये गये गैर सरकारी संकल्प बिहार के विकास को गति देते हुए बिहार की विधायिका और कार्यपालिका को इसके विकास में भागीदार बनाते है। मैंने अपने संसदीय जीवन में वरिष्ठ सदस्यों से भी यह सीखा है कि गैर सरकारी संकल्प हमारे लिये बहुत उपयोगी है। हाँ, एक बात और ऐसे मामले जो केन्द्र सरकार द्वारा राज्यहित में क्रियान्वित किये जाने हों, उसे भी हम गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से उठाकर राज्य सरकार से केन्द्र सरकार को सिफारिश करने का आग्रह करते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूँ कि राज्य में कई R.O.B. (रेलवे ओवर ब्रिज) बनाने के लिए सदन के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से सिफारिश करने पर इनका निर्माण किया गया हैं। इन R.O.B. से राज्य भर में रोज लाखों लोगों का आवागमन होता है। राज्य सरकार में केंद्रीय अस्पतालों का निर्माण और केन्द्र की कई अन्य परियोजनायें भी गैर सरकारी संकल्पों के कारण आज आकार ले सकी हैं। राज्य सरकार भी अपने क्षेत्राधीन कई विभागों से जुड़े अनेक मामलों में सृजनात्मक कार्य करके राज्य के विकास को नई दिशा प्रदान कर रही है जिसमें गैर सरकारी संकल्पों की भूमिका अहम हैं।

वस्तुतः आज राज्य के विकास हेतु सदन में माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये गैर सरकारी संकल्पों में निहित लोकहित के मुद्दे विकास के लिये उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं। राज्य का कोई कोना अब इनके कारण विकास से अछूता नहीं है। संसदीय व्यवस्था में आज ''गैर सरकारी संकल्प'' विकास के बीज के रूप में कार्य कर रहा है। प्रत्येक माननीय सदस्य को इसका इस्तेमाल अपने क्षेत्र के विकास हेतु अवश्य करना चाहिये, जिससे हम सब बिहार के विकास को गति प्रदान कर सकेंगे।

भारतीय संसदीय व्यवस्था में 'गैर सरकारी संकल्प' (Private Member's Resolution) विधायिका के ऐसे सदस्यों को (जो मंत्री नहीं हैं) सरकार से इतर विषयों पर प्रस्ताव लाने और चर्चा करने की स्वतंत्रता देता है। इसका उद्देश्य यह है कि आम जनहित से जुड़े नीतिगत मुद्दे भी संसद या विधानसभाओं के मंच पर आ सकें, भले वे सरकार की प्राथमिकता में न हो। भारतीय संसद में गैर—सरकारी संकल्प की परंपरा पहली लोकसभा (1952—57) से शुरू हुई। यह ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से लिया गया एक सिद्धांत है। भारत के संविधान में इसका उल्लेख प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, लेकिन संसद के नियमों (Rules of Procedure and Conduct of Business) के तहत इसे व्यवस्थित किया गया है।

पहला ऐतिहासिक गैर—सरकारी संकल्प दिनांक— 2 अप्रैल, 1953 को राज्यसभा में माननीय सांसद श्याम नंदन सहाय (बिहार से राज्यसभा सदस्य) के द्वारा 'भारत में विश्वविद्यालयों की शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और उसे राष्ट्रीय जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने' के लिए एक आयोग गठित करने की माँग हेतु लाया गया था। इस संकल्प की चर्चा के परिणामस्वरूप 1956 में 'यू.जी.सी. (University Grants Commission)' की स्थापना की गई। इस तरह यह संकल्प न केवल स्वीकृत हुआ, बल्कि भारतीय उच्च शिक्षा के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ।

बिहार विधान सभा में लाए गए वैसे गैर—सरकारी संकल्प जो विधायकों द्वारा ऐसे विषय के सम्बन्ध में उठाए गए थे जो सीधे आमजन से जुड़े थे और जो सदन से स्वीकृत भी हुए :—

1. बिहार के सरकारी विद्यालयों में लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन निशुल्क उपलब्ध कराने का संकल्प।
2. नदी संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन को अनिवार्य करने का संकल्प।
3. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में बढ़ोतरी का संकल्प।
4. मध्याह्न भोजन में स्थानीय उत्पादों (जैसे मक्का, चूड़ा) को शामिल करने का संकल्प।
5. सवर्ण आयोग बनाने का संकल्प।

पंचायती राज व्यवस्था तथा महिला सशक्तिकरण

प्रदीप दुबे
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश विधान सभा

भारत में स्थानीय स्वशासन की यह व्यवस्था उसकी त्रिस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था का ही अभिन्न अंग है। भारत में संघीय स्तर पर केन्द्र सरकार, प्रांतीय स्तर पर राज्य सरकार तथा स्थानीय स्तर पर पंचायतों की स्थापना की गई है। स्थानीय स्तर पर स्थानीय स्वशासन के माध्यम से वहाँ के नागरिकों से संबंधित विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। ''स्थानीय स्वशासन से अभिप्राय स्थानीय स्तर की उन राजनीतिक संस्थाओं से है जो जनता द्वारा चुनी जाती हैं और जिन्हें संघीय या प्रांतीय शासन के नियंत्रण में रहते हुए नागरिकों की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिकार एवं दायित्व प्राप्त होते हैं।''

स्थानीय स्वशासन प्रमुखतः नगरीय और ग्रामीण दो स्वरुपों की नगरीय संस्थाएं नगरीय क्षेत्र में निवासरत स्थानीय जनसमुदाय के स्थानीय सार्वजनिक आश्यकताओं की पूर्ति करने का कार्य करती हैं। जबकि ग्रामीण स्वशासन अर्थात् ग्राम पंचायतों के माध्यम से गांव में निवासरत जनसमुदाय की विभिन्न स्थानीय आवश्कताओं की पूर्ति पंचायतों के माध्यम से की जाती है। गांवों में त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं की स्थापना की गई है जिसमें जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत शामिल हैं। हालांकि कुछ राज्यों में द्विस्तरीय और कुछ राज्यों में चार स्तरीय पंचायतों की स्थापना की गई है। स्थानीय स्वशासन के दोनों स्वरुपों में स्थानीय जनमानस अपनी सक्रिय सहभागिता करता है।

ग्रामीण स्थानीय स्वशासन अर्थात पंचायती राज संस्थाएं भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली की रीढ़ है। भारत वस्तुतः गांवों का देश है जिसकी लगभग 68 प्रतिशत आबादी आज भी गांवों में निवास करती है। पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से स्थानीय समस्याओं और चुनौतियों का सर्वोत्तम समाधान स्थानीय जनसमुदाय द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ग्रामीण आबादी की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं की भी पंचायती राज संस्थाओं में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। महिलाएँ शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मान्यता थी कि भारत में सच्चा लोकतंत्र तभी स्थापित किया जा सकता है, जब भारत के विभिन्न गांवों में निवास करने वाले जनमानस को सरकार के क्रिया–कलापों में सहभागिता का अवसर मिले। गांधी जी के अनुसार– ''देश की आजादी से अभिप्राय केवल राजनीतिक आजादी से नहीं है , बल्कि वास्तविक आजादी वह होगी जिसमें ग्रामवासियों को अपने भाग्य का, अपने भविष्य के निर्माण का अधिकार प्राप्त होगा। यह स्वशासन के माध्यम से संभव है और यही पंचायती राज है।''

महिला सशक्तिकरण की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग सन् 1985 में केन्या की राजधानी ''नैरोबी'' में आयोजित ''तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन'' में किया गया था। इस सम्मेलन में यह स्पष्ट किया गया कि सशक्तिकरण महिलाओं के पक्ष में सामाजिक शक्ति का पुनः वितरण है। इस वितरण में संसाधनों पर नियंत्रण की एक ऐसी प्रणाली विकसित होती है, जिसमें महिलाओं की सहभागिता पुरुषों के समान होती है।

महिला सशक्तिकरण से अभिप्राय महिलाओं की समाज में पुरुषों के सापेक्ष ऐसी स्थिति से हैं जिसमें महिलाएं बिना किसी रोक–टोक के सभी प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक मामलों में स्वतंत्र रूप से स्वविवेक से निर्णय ले सकें। महिला सशक्तिकरण वास्तविक रूप से पुरुष निरपेक्ष नहीं, बल्कि पुरुष सापेक्ष विमर्श है। इसलिए महिलाओं को अब पुरुषों से भी आगे निकल कर अपनी भूमिका का उत्तम ढंग से निर्वहन करना होगा। महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय उनके जीवन के आत्म निर्णय से है। सशक्तिकरण के द्वारा महिला स्वयं के अंदर एक चेतना,

संवेदनशीलता, सकारात्मक दृष्टिकोण, रचनात्मकता और पूर्णता को महसूस करती हैं।

महिला सशक्तिकरण आज के समय का सबसे ज्वलंत विषय है एवं समकालीन समाज के समक्ष एक महत्वपूर्ण चुनौती है। क्योंकि पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा संवेदनशील, ज्यादा कर्त्तव्यनिष्ठ और आर्थिक रूप से पुरुष पर निर्भर तथा सांस्कृतिक मान्यताओं की जंजीरों में बंधी होती हैं। किसी भी देश की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में महिलाओं की पूर्ण सहभागिता के बिना सर्वोत्तम स्थिति प्राप्त करना असंभव है।

भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् कानून बनाकर तिहत्तरवें (73वें) संविधान में संशोधन द्वारा महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण प्रदान किया गया है, जिसे कुछ राज्यों में बढ़ा कर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में पहला कदम है तथा दूसरा कदम उनकी सभी स्तरों पर राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित करना है। उनके विरुद्ध अपराध करने वालों को शीघ्र दण्ड दिलाना तथा जांच–पड़ताल की प्रणाली को अधिक कार्यकुशल और तीव्र बनाना, जिससे अराजकता फैलाने वाले असामाजिक तत्वों को शीघ्र दण्डित किया जा सके। महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य महिलाओं की प्रगति और इनमें आत्मविश्वास का संचार करना है।

देश में राजनीतिक लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण तथा लोककल्याण एवं राष्ट्र निर्माण में सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए वर्ष 1993 में संविधान के तिहत्तरवें (73वें) संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतीराज को एक नवीन आयाम प्रदान किया गया। संविधान के नवीन अध्याय 9 में सोलह नये अनुच्छेदों को जोड़ा गया तथा संविधान में 11वीं अनुसूची का प्रावधान कर पंचायतों के गठन, पंचायतों के सदस्यों का निर्वाचन, सदस्यों के लिए आरक्षण तथा पंचायतों के कार्यों के संबंध में विस्तृत प्रावधान किए गए है।

तिहत्तरवें संविधान संशोधन के उपरांत स्थानीय शासन की सबसे बुनियादी इकाई पंचायतों में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता बढ़ी है, किन्तु महिलाओं की आबादी के अनुपात में आज भी उनकी राजनीतिक सहभागिता संतोषजनक नहीं है। इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए पंचायतों में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243D में संशोधन किया गया। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रीमंडल ने पंचायतों के सभी स्तरों पर महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से 110वां संविधान संशोधन विधेयक, 2007 को प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की थी। यह उल्लेखनीय है कि 110वें संविधान संशोधन विधेयक को संसद में मंजूरी मिलने से पूर्व ही बिहार, मध्यप्रदेश, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, केरल, झारखण्ड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ राजस्थान, त्रिपुरा सहित कई राज्यों ने अपने यहां महिलाओं के लिए पंचायतों में 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू कर दिया।

आज महिलाओं ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पटल पर अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई है। महिलाओं ने परम्परागत सीमित क्षेत्र से बाहर निकलकर अपनी योग्यता, परिश्रम और सूझबूझ से समाज और परिवार की जिम्मेदारियों के साथ–साथ अपने पसंद के रोजगार और अभिरुचि के क्षेत्र में उन्नति की है। प्रत्येक क्षेत्र में अपनी व्यवसायिक निपुणता का लोहा मनवाया है। शिक्षा, फैशन जगत, सुरक्षा, अंतरिक्ष जगत, खेलकूद, पर्वतारोहण जैसे क्षेत्रों में नवीन कीर्तिमान स्थापित किये हैं।

वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने विभिन्न क्षेत्रों में दूरगामी परिवर्तन को उत्पन्न किया है जिससे भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक और महिलाओं पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। महिलाओं की स्वतंत्रता, अस्तित्व, उन्नति तथा बड़े पैमाने पर रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं। परिवर्तन संसार का नियम है और इसी बदलाव के कारण भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करने में महिलाओं की भूमिका किसी से छुपी नहीं है। महिलाएं आज प्रत्येक क्षेत्र में सफल हैं, किंतु उनकी संख्या के अनुपात में महिलाओं की सहभागिता नगण्य है जो कि एक चिंतनीय स्थिति को दर्शाता है। लोकतंत्र को मजबूत करने में महिला सदस्यों की भूमिका वर्तमान उत्तर प्रदेश विधान सभा में महिलाओं का रिकॉर्ड संख्या में निर्वाचित होना संसदीय लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2023 में सदन में बोलने के लिए नियम–287 में महिला सदस्यों को वरीयता प्रदान की गई है। ऐसा प्रावधान संभवतः

किसी विधानमंडल की नियमावली में प्राविधानित नहीं है। उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक 22 सितम्बर, 2022 को एक उपवेशन महिला सदस्यों हेतु आरक्षित किया गया। आजादी के बाद पहली बार इस प्रकार का विशेष उपवेशन आयोजित किया गया जिसमें सदन की कार्यवाही में मात्र महिला सदस्यों द्वारा भागीदारी की गयी तथा दिनांक 8 जनवरी, 2025 को उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड विधानमंडल की महिला सदस्यों का सम्मेलन कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटरी एसोसिएशन भारत क्षेत्र (जोन–1) के तत्वावधान में ''विधायिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व एवं सदन की कार्यवाही में उनकी सहभागिता बढ़ाने तथा संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने में महिला सदस्यों की भूमिका'' पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया । उत्तर प्रदेश में महिला सदस्यों के साथ समूहवार संवाद भी स्थापित करने की पहल की गयी जिससे महिला सदस्यों में आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ है तथा सदन की कार्यवाही में अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित भी हुई हैं। संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने एवं राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दृष्टि से विश्व के अनेक देशों में महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए आरक्षण को एक सकारात्मक उपाय के रूप में अपनाया गया है। आज लगभग 40 देशों में विधायी संस्थाओं के चुनावों में महिला आरक्षण मौजूद है। इस बात की लम्बे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि भारतीय राजनीति में महिलाओं को आवश्यक प्रतिनिधित्व मिले।

इस दिशा में सर्वप्रथम संविधान में किया गया 73वां तथा 74वां संशोधन महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था जिसके द्वारा अन्तःस्थापित अनुच्छेद 243घ और 243न द्वारा कमशः पहली बार पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरपालिकाओं में राजनीति और विकास संबंधी निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने की दृष्टि से 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए निर्धारित किया गया। इस संविधान संशोधन अधिनियम से महिलाओं की स्थानीय शासन के जरिये राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित हुई परन्तु लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं में भी महिला आरक्षण लागू करने की दिशा में कई प्रयासों के बावजूद इससे सम्बन्धित विधेयक लम्बे समय तक पारित नहीं हो सका। महिला जनप्रतिनिधि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लेकर आ रही हैं। पंचायती राज मंत्रालय के एक आंकड़े के मुताबिक इस समय पंचायती राज संस्थाओं के 31.5 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों में 46 प्रतिशत महिलाएं हैं। पंचायत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम से कम 33 प्रतिशत या कुल सीटों का एक तिहाई है। संविधान के अनुच्छेद 243D का खंड (3) महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई आरक्षण को अनिवार्य करके पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करता है। देश में 21 राज्यों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जा चुका है।

अन्त में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से आज देश में प्रत्येक ग्राम पंचायतों को सक्षम बनाये जाने का प्रयास किया जा रहा है। आज पंचायतों में महिलाओं सहित सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलने से वे राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं जिसने गांवों की तस्वीर बदल दी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं पंचायती राज मंत्रालय तथा राज्य सरकार द्वारा अनेकों योजनाएं संचालित की जा रही हैं। महिला जनप्रतिनिधि इन योजनाओं को न सिर्फ सफल बना रही हैं बल्कि पुरुषों के मुकाबले उसे कहीं अधिक दक्षता और पारदर्शिता से क्रियान्वित कर रही हैं।

बिहार के नदी तीर्थ

अमिय भूषण
भारतीय ज्ञान परंपरा अध्येता

नदी केवल एक जलधारा नही है। यह तो सभ्यताओं के पुष्पित पल्लवित होने की जीवंत गाथा है। सदियों से संस्कृतियां इन्ही के पावन तटों पर फलती फूलती रही हैं, इसलिये पुराणों से लेकर आधुनिक इतिहास की पुस्तकों तक इन जीवनदायिनी सलिलाओं का जिक्र आया है। पुराण कहते हैं–

नास्तिगंगा समं तीर्थं नास्तिमातृ समो गुरुः।
नास्तिविष्णु समो देवो नास्तिशम्भु समः पूज्यः नास्तितत्त्वं गुरोःपरम्।

अर्थात् गंगा के समान तीर्थ और माता के समान गुरु नहीं है। विष्णु के समान परमात्मा नहीं, शिव के समान कोई पूज्य नहीं और गुरु के समान कोई तत्व नही। सभ्यतायें सदैव से नदी तटों पर मूर्तरूप लेती रही हैं तथा इन्हीं के संग वो बहती और बढ़ती भी रही हैं । नदी तट की भूमि केवल अपने हरियाली और कृषिकर्म के लिए ही नहीं, अपितु सांस्कृतिक थाती विरासत के लिए भी जानी जाती रही है। जब बात भारत की हो तो यहां नदियां केवल जीवनदायी ही नहीं, अपितु पोषण पुष्टिदाता भी हैं । वे पुण्यदायी और मुक्तिदायिनी भी हैं। ये हमारे लौकिक कामनाओं और पारलौकिक जीवन कामना पूर्ति के भी माध्यम हैं । इन्हीं के पावन तटों पर कभी हमारे पुरखों ने सर्वप्रथम बस्तियां बसाई थीं। इन तटों के किनारे हमारे अगणित तीर्थ हैं ।

बिहार ऐसी पुण्यधाराओं की प्रवाहमान भूमि है। हरि–भरी भूमि और जल स्रोतों से परिपूर्ण बिहार अपने पावन नदी सरोवरों के लिए भी जाना जाता है। यहां कभी पग–पग पोखर, हर घर कुंआ और आस–पड़ोस में कल–कल बहती नदियां थीं। आज भी यहां की धरती पर दर्जनों बड़ी नदियां बहती हैं, जिनके पावन तटों पर अनेक प्रसिद्ध देवालय और तीर्थ अवस्थित हैं । जहां युगों–युगों से संत और श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा है। अब भी माघ, पौष और कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए अगणित जन आते हैं । इन पवित्र नदी तटों पर सावन, अगहन और फाल्गुन महीनों में मेले सा दृश्य होता है, जहां लाखों लोग अपनी मुक्ति, कल्याण और कामनाओं की पूर्ति हेतु जाते हैं । यहां की गंगा धारा ही प्रसिद्ध नहीं बल्कि, गंडकी धारा भी प्रसिद्ध है। मान्यताओं के अनुसार गंगा भगवान शिव की जटाओं से तो गंडकी नारायणी भगवान विष्णु के कपोल से निसृत है। गंगा मोक्षदायिनी तो गंडकी जीवनदायिनी है। इसकी पावन धाराओं से ही भगवान विष्णु शालिग्राम स्वरूप में प्राप्त होते हैं। इस नाते नारायणी को भगवान विष्णु की माता स्वरूप माना गया है।

बात गंगा धारा की :

यह बिहार के बारह जिलों से होकर बहती है। इस बीच कई प्रसिद्ध तीर्थ गंगा मां के तटों पर आते हैं। सारण जिले के पहलेजा और भागलपुर के सुलतानगंज गंगा घाट की बात ही निराली है। उत्तरवाहिनी गंगा तट वाले सुलतानगंज से जहां कावड़ लेकर तीर्थयात्री देवघर बैद्यनाथ धाम के प्रसिद्ध शिवालय की यात्रा करते हैं । वहीं पहलेजा से जल भर कर मुजफ्फरपुर के गरीबस्थान शिवालय में सावन मास में जल अर्पित करते हैं । सावन में इन दोनों तीर्थो की छटा देखते बनती है। जबकि उत्तरवाहिनी गंगा तट पर अवस्थित होने के नाते इन दोनों तीर्थों पर वर्षभर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। दरअसल उत्तरवाहिनी गंगा तट और वहां के जल की विशेष महत्व की चर्चा पुराणों में आई है। सुल्तानगंज जहां अपने अजगैबीनाथ के सुंदर और प्रसिद्ध मंदिर के लिए चर्चित है, वहीं पहलेजा में कार्तिक पूर्णिमा स्नान और संतों के शिविरों की छटा देखते बनती है। ऐसा ही कुछ दृश्य गंगा तट के सिमरिया घाट, रामचौरा और रामरेखा घाट का भी पर्व–उत्सवों के दौरान होता है। बेगूसराय जिले में अवस्थित सिमरिया बिहार का तीर्थराज प्रयाग है। यहां भी प्रयाग धाम

के समान कल्पवास का विधान है। बिहार और नेपाल के मैथिली भाषी क्षेत्र के हजारों धर्मानुरागी लोग यहां संतों संग तीर्थवास करते हैं। पावन नदी तटों पर रह कर किये जाने वाले साधना–भक्ति को कल्पवास कहते हैं । कार्तिक महीने में यहां चारों तरफ मेले सा नजारा होता है। वैशाली जिले के हाजीपुर का रामचौरा और बक्सर का रामरेखा घाट भगवान राम से जुड़ा पावन तीर्थ है। बक्सर के रामरेखा घाट पर प्रभु श्रीराम ने तारका वध उपरांत स्नान किया था। यहां भगवान श्री राम द्वारा स्थापित पूजित रामेश्वर महादेव शिवालय है, जहां भूमि पर भगवान राम के पांव के निशान तो शिवलिंग पे अंगुलियों के निशान अब भी मौजूद हैं । ऐसी लोकमान्यताओं के नाते रामरेखा घाट पर न केवल तीर्थयात्रा और अनुष्ठानों के अवसर पर भीड़ होती है, अपितु यहां अगहन कृष्ण पक्ष पंचमी को प्रतिवर्ष पंचकोसी परिक्रमा का आयोजन होता है। इस अवसर पर श्रद्धालु रामरेखा घाट–रामेश्वरनाथ शिवालय से चरित्रवन तक की पदयात्रा करते हैं । इस दौरान यह यात्रा पांच रात्रि पांच संतों के स्थान पर रुकती है। इन पड़ावों पर हर दिन अलग–अलग पकवान खाने–खिलाने का चलन है। प्रथमः दिन की शुरुआत जहां पुआ जलेबी मिष्ठान से होती है वही अंतिम दिन लिट्टी चोखा बनाया जाता है। इस दिन यहां आपको हजारों लोग लिट्टी चोखा बनाते और खाते खिलाते नजर आएंगे। इस मेला का एक लोकप्रिय नाम लिट्टी चोखा वाला मेला भी है। बात अगर बक्सर के चरित्र वन की हो तो ये तारका वध स्थली है। जहां कभी ऋषिगण यज्ञ अनुष्ठान किया करते थे जिसे राक्षसी तारका बारंबार खंडित करने का प्रयास करती थी। बाद के वर्षों में राज्याभिषेक उपरांत भगवान श्रीराम ने पुनः यहां एक यज्ञ किया था। ऐसी ही मान्यता हाजीपुर के रामचौरा घाट और सोनपुर के हरिहर नाथ मंदिर की है। गंगा–गंडकी तट का हरिहरनाथ मंदिर न केवल वैष्णव एवं शैव एकात्मकता का प्रतीक है, अपितु यह भगवान राम द्वारा स्थापित भी है। ऐसी जनश्रुति यहां प्रचलित है। वही हाजीपुर का रामचौरा घाट ऋषि विश्वामित्र और राम लक्ष्मण के मिथिला यात्रा की साक्षी है। यहीं से गंगा के उत्तरी किनारे को पार कर इन लोगों ने मिथिला क्षेत्र में प्रवेश किया था। यहां कभी सुंदर उपवन हुआ करता था कालांतर में जिसका नाम प्रभु श्रीराम की स्मृतियों में रामचौरा रख दिया गया। यहां अब भी एक छोटा सा राम मंदिर विद्यमान है। बिहार में गंगा तट के दूसरे प्रमुख पावन स्थलों की चर्चा करें तो ये आमी और कुर्सेला के बिना ये चर्चा अधूरी है। सारण जिले में गंगा सरयू संगम तट के पास माता अंबिका भवानी मंदिर है। दिघवारा प्रखंड के इस पुरातन देवस्थान को लेकर मान्यता है कि यहीं देवी सती यज्ञकुंड में समाहित हुई थीं । दक्ष प्रजापति यज्ञ स्थली के रूप में हरिद्वार कनखल और आमी की ही प्रमाणिकता निःसंदिग्ध है। बाकी कारण के तौर पर विद्वत संतजन इसे मन्वंतर चक्र का फेर बताते हैं । बात कटिहार के कुर्सेला घाट की करें तो पश्चिम से आई श्यामला कोसी यहां गौर वर्णागंगा से मिलती है। गंगा यहां भागलपुर के पौराणिक बाबा बटेश्वरनाथ नाथ मंदिर होते हुए पहुंचती है। कौशिकी गंगा के इस संगम तट पर माघ महीने में बड़ा मेला लगता है। राजा रानी, साधु संत के ठाठ बाट वाले इस मेले की बात ही निराली रही है। पास ही में महात्मा गांधी की एक समाधि भी है। उनके अस्थियों का विसर्जन देश के बारह स्थानों पर हुआ था उसमें एक कुर्सेला घाट भी है। ऐसे ही बिहार के गंगा घाट वाले कई नगर अपने प्रसिद्ध देवी मंदिरों के लिए भी जाने जाते हैं । भोजपुर जिले के बड़हरा का माता बखोरापुर काली माता मंदिर और गंगा घाट का लक्ष्मी नारायण मंदिर सिद्ध प्रसिद्ध है। पटना का नाम माता पटनदेवी के नाम पर तो लखीसराय जिले के बड़हिया मां बाला त्रिपुर सुंदरी के नाते प्रसिद्ध है। पटना के पावन गंगा घाटों से सिख गुरुओं की स्मृति जुड़ी है। जबकि मुंगेर के चंडी माता मंदिर की मान्यता भी पटना एवं बड़हिया देवी मंदिर के ही समान है। वैसे मुंगेर नगर अंगराज कर्ण का किला और बिहार योग विश्वविद्यालय के लिए भी जाना जाता है। बात अगर गंगा तट के अन्य घाटों की करें तो बेगूसराय का चमथा, वैशाली जिले का पलवैया, खगड़िया का अगुवानी और बाढ़ का उमानाथ तथा अलखनाथ घाट महत्वपूर्ण है। चमथा घाट के बारे में मान्यता है कि यहां राजा जनक स्नान हेतु आते थे। वहीं पलवैया लोक देवता बाबा गणिनाथ का स्थान है। मधेशिया एवं कानू वैश्य समाज में बाबा गणिनाथ की पूजा का विशेष महत्व है। यहां प्रतिवर्ष जन्माष्टमी के तत्काल बाद मेला लगता है जिसमें बिहार और नेपाल से बड़ी संख्या मे लोग जुटते है। परबत्ता प्रखंड अगुवानी गंगा घाट मेले में मुंडन और गुड़ लाई की चहल पहल होती है। जबकि बाढ़ के घाटों पर पूर्णिमा स्नान मेले में

बक्सर और भोजपुर के घाटों सी चहल पहल होती है। भोजपुर का कीन्हा घाट सिद्ध संत त्रिदंडी स्वामी यज्ञशाला तो शिवपुर स्वातंत्र्य वीर कुंवर सिंह घाट और बक्सर रसिक संत मामाजी के लिए प्रसिद्ध है। कटिहार के मनिहारी गंगा घाट पर तो माघी स्नान के लिए नेपाल और सीमांचल भर से श्रद्धालु जुटते है। भागलपुर के कुप्पा घाट में संतमत प्रवर्तक महर्षिमिहि का प्रधान आश्रम है वही बिहपुर का कार्तिकेय देव मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा देखने लायक है। यहां तीन दिनों का बड़ा ही सुंदर मेला लगता है।

गंडकी नारायणी :

गंगा के बाद बिहार के नदियों में गंडकी नारायणी का स्थान सर्वप्रमुख आता है। अपनी धार्मिक मान्यता और श्रीविग्रह शालिग्राम के लिए प्रसिद्ध यह नदी यूं तो नेपाल तिब्बत सीमा से बहती है। किंतु हाजीपुर सोनपुर और पटना के पास आ कर यह गंगा से मिल पूर्ण हो जाती है।

नेपाल के नवलपरासी जिले के त्रिवेणी धाम से प्रवेश लेकर यह सदानीरा बिहार में बाल्मीकिनगर को आती है। पश्चिमी चंपारण के इस तीर्थ भूमि से बहते हुए यह नदी गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले में प्रवाहमान होती है। अगर बात इसके पावन तट के धार्मिक मान्यताओं की करें तो पुराणों के अनुसार नेपाल के त्रिवेणी धाम से हाजीपुर सोनपुर तक के नारायणी तट भगवान नारायण के पवित्र जंघा एवं पांव स्थल है। इसी नदी के तट पर गज ग्राह युद्ध उपरांत भगवान गजेंद्र मोक्ष नारायण का प्राकट्य हुआ था। ऐसी मान्यता है कि वो पावन स्थली हाजीपुर नगर का कोनहारा घाट है। गोपालगंज के राजापुर मे गंडकी तट पर मौनी अमावस्या और शरद पूर्णिमा को मेला लगता है। जबकि यहां के बैकुंठपुर में डुमरिया घाट पर कार्तिक तो कुचायकोट के बाबा कर्तानाथ पर सावन में मेला लगता है। मुजफ्फरपुर और वैशाली के नारायणी तटों पर भी ऐसे ही नजारे होते है। मुजफ्फरपुर मे पारू रेवा घाट पर तीन दिनों तक कार्तिक मेला स्नान चलता है। वही वैशाली में कार्तिक पूर्णिमा को लालगंज के आसपास खंजाहाचक, बसंता जहानाबाद में बिदुपुर के चेचर, नवानगर और आमेर गंगा घाट सा दृश्य होता है।

सरयू तट

गंडकी सी ही लोकप्रसिद्धि सरयू नदी की भी है। ये नदी तिब्बत में अवस्थित पवित्र मानसरोवर से सीधी जुड़ी है। उत्तराखंड के गढ़वाल और नेपाल सीमा से बहते हुए यह बिहार में विश्राम लेती है। इस पौराणिक नदी का जिक्र ऋग्वेद, रामायण, पद्मपुराण और रघुवंशम में है। कालिदास ने इसके किनारों पर हुए यज्ञों की चर्चा रघुवंशम में की है। गंगा से भेंट के पूर्व सिवान के दरौली, सिसवन घाट, सारण के दिघवारा डोरीगंज और माझी एकमा घाट में पूर्णिमा स्नान की परंपरा है। मठ मंदिरों वाले इस क्षेत्र मे दरौली का प्राचीन रामजानकी मंदिर और सिसवन का ब्रह्मचारी जी कुटी प्रसिद्ध है।

तीन बहनें

नेपाल से आने वाली तीन बहनों वाली नदी के बिना बिहार के नदियों की कहानी अधूरी है। कोसी, कमला और बागमती क्रमशः देवी महागौरी, महालक्ष्मी और महासरस्वती की स्वरूप है। बागमती का जिक्र वराह पुराण और स्कंदपुराण हिमवत खंड मे आया है। नेपाल में काठमांडू के थोड़े ऊपर से निकली ये सप्त धारायें मिलकर वेगवती बनती है। बौद्ध मान्यताओं में यह भगवान बुद्ध आवाहन पर प्रगट हुई दूसरी गंगा है। इसके जल के गुणधर्म नाते इसे कल्याणी की उपमा दी गई है कहते है कि इसका जल सुखे लठों मे भी अंकुरण नवजीवन दे सकता है। इसके किनारे हरियाली और भरपूर कृषि के लिए प्रसिद्ध है। वहीं इसके किनारों ने अनेक विद्वानों को जना है। मिथिला के विद्यापति भी इसी के महिमा प्रताप से महाकवि बने थे। यह बिहार में सीतामढ़ी के ढेंग से प्रवेश कर खगड़िया जिले के उसराहा में कोसी से मिलती है। इस बीच बागमती सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिलों में प्रवाहित होती है। वही पूर्वी चंपारण और शिवहर जिले के सीमा क्षेत्र में भी बहती है। शिवहर में लोग डुब्बा घाट से जल भर कर यहां के प्रसिद्ध शिवालय

भुवनेश्वरनाथ देकुली धाम में जलाभिषेक करते है। वहीं पूर्वी चंपारण में लोग देवापुर बेलवा घाट से जल ले कर अरेराज के प्रसिद्ध सोमेश्वरनाथ में अर्पित करते है। बागमती और लालबकेया के संगम देवापुर में कार्तिक पूर्णिमा पर मेला भी लगता है। जबकि सीतामढ़ी के ढेंग में रमनगरा बागमती घाट पर स्नान और कल्पवास का चलन रहा है। मुजफ्फरपुर जिले का प्रसिद्ध माता चामुंडा स्थान मंदिर बागमती के तट पर अवस्थित है। कटरा प्रखंड का यह उपशक्तिपीठ देवी उपासना के लिए प्रसिद्ध है। बागमती खगड़िया के उसराहा में कोसी से संगम करती है यहां भी पवित्र तिथियों में स्नान मेला लगता है। वहीं खगड़िया जिले मे बागमती तट का मां कात्यायनी मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। धमार घाट के इस मंदिर में पशुपालक दूर दराज से दूध चढ़ाने आते हैं। बात कमला माहात्म्य की हो तो श्रीवृहदविष्णु पुराण में कोसी संग कमला का भी नाम आया है। लक्ष्मी स्वरूपा कमला और उसकी सहायक नदियां संतान सुख के लिए विशेष पूजनीय है। लोग कमला माता को मनोकामना पूर्ण होने पर नारियल चढ़ाते और छांगर भेट करते है। कमला तट के देवस्थल और धार्मिक मेलों में ओझाओं की भी धूम रहती है। निषाद जाति के लोग कमला और उनके सहायक नदियों के प्रति अत्यधिक श्रद्धा रखते है। इसलिए मिथिलांचल में माता कमला की हर लोककथा मे निषादों की चर्चा है।

बूढ़ी गंडक

उत्तर बिहार की एक प्रमुख नदी बूढ़ी गंडक है जिसका उदगम स्थल बिहार नेपाल सीमा है। पश्चिमी चंपारण के बगहा रामनगर से निकली यह नदी पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर होते हुए खगड़िया में संगम को प्राप्त होती है। इसके किनारों पर पश्चिम चंपारण में लौरिया और चनपटिया में तो पूर्वी चंपारण मे चकिया बारा घाट पर पूर्णिमा स्नान मेला लगता है। चकिया और चनपटिया मे कार्तिक तो लौरिया मे अगहन राम विवाह पंचमी को मेला लगता है। मुजफ्फरपुर जिले का प्रसिद्ध भस्मी देवी माता मंदिर इसके एक मृतप्राय धारा के तीर पर है। जहां नवरात्रा के दिनों में बड़ा मेला लगता है। वही समस्तीपुर के रोसड़ा खानपुर प्रखंड में बूढ़ी गंडक बागमती संगम स्थल कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। यहां कबीर मत के दो महत्वपूर्ण शाखाओं के प्रधान आश्रम इस नदी तट से जुड़े रोसड़ा नगर में है।

भाषा प्रांत और संस्कृतिओं का सीमांकन करती महानंदा– उत्तर बिहार की एक और प्रमुख नदी महानंदा है। हिमालय से निकलने वाली यह गंगा नदी की आखिरी प्रमुख सहायक नदी है। बिहार में यह किशनगंज जिले में प्रवेश करते हुए कटिहार तक बहती है। दरसल महानंदा बिहार बंगाल के बीच सीमांकन करते हुए चलती है। इसके एक किनारे पर हिंदी तो दूसरे पर बांग्ला भाषी जन बसे हैं। किशनगंज जिले में महानंदा और उसके सहायक नदियों के तट पर कई पुरातन देव स्थल है। यहां आपको पंच पांडव और महाभारत से जुड़े कई प्राचीन स्थान मिल जाएंगे। बात धार्मिक मेले स्नान की हो तो करीब आधे दर्जन स्थानों पर यहां धार्मिक मेला लगता है। इनमें महानंदा तट कोचायधामन किशनगंज सीमा, लालबाड़ी और मौजाबाड़ी का बालू मेला है। वहीं रामगढ़, टेढ़ागाछ चिल्हनियां मेला भी प्रसिद्ध है।

नद शोणभद्र –दक्षिण बिहार के प्रमुख नद सरिताओं में गंगा के बाद सोनभद्र, पुनपुन और फल्गु है। सोनभद्र मध्यप्रदेश के अमरकंटक से निकल कर उत्तरप्रदेश में बहते हुए झारखंड सीमा से बिहार में प्रवेश करता है। दरअसल सोन ब्रह्मपुत्र के समान नद है। इसे हिरण्यवाह, महाशोण और शोणभद्र कहा गया है। स्वर्णमय आभा और शिवमय स्वभाव वाले शोणभद्र को लेकर एक लोककथा भी बेहद प्रचलित है।

आदिगंगा पुनह पुनह– दक्षिण बिहार मगध क्षेत्र की एक प्रमुख नदी पुनपुन है। झारखंड के पलामू से निकली इस नदी को पुनह पुनह, पुनातु गंगा अर्थात पुनह गंगा भी कहा गया है। वैसे इस आदिगंगा का जनप्रिय नाम पुनपुन है। गया श्राद्ध से पूर्व इसके तट पर प्रथम पिंड का प्रावधान पीढ़ियों से चला आ रहा है। पुनपुन किनारे पितरों के तर्पण से बारंबार पापों का नाश होता है ऐसी सनातन मान्यता है। पुराणों में वर्णित गया माहात्म्य में भी पुनपुन की चर्चा आई है। इसके किनारों पर औरंगाबाद, अरवल में कई ऐसे स्थान है जहां पिंडदान तर्पण का कार्य होता है। औरंगाबाद, जम्होर और अरवल का

किंजर पुनपुन घाट इसके लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। किंजर का सूर्यमंदिर प्रसिद्ध है। यहां अनंत चतुर्दशी और पितृपक्ष में मेला लगता है। लोगबाग यहां पिंड तर्पण स्नान करते हुए गया को प्रस्थान करते है। बात जम्होर की हो तो यह भगवान राम,सीता, भक्त पुनिया और भगवान पुंडरीकाक्ष को लेकर चर्चित है। यहां भगवान राम और माता सीता ने प्रथम पिंडदान किया था। यहां वर्ष में तीन बार लोग पिंडदान हेतु आते है। इस स्थान पर भगवान विष्णु का एक अत्यंत प्राचीन देव विग्रह है।

अंतःसलिला सुमागधा :

वायु पुराण में वर्णित और श्राद्ध महत्व के लिए चर्चित फल्गु की पौराणिक मान्यतायें उसे ब्रह्मदेव से जोड़ती है। कहते है भगवान ब्रह्मदेव ने यज्ञ पूर्णता उपरांत ऋत्विक हेतु दक्षिणा में फल्गु दिया। इसके तट पर गया का प्रसिद्ध विष्णुपद और महाबोधिमंदिर विराजमान है। गया फल्गु तट पर भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था। इस निरंजना के पावन तट पर भगवान राम सीता और युधिष्ठिर के पिंडदान प्रसंगों का वर्णन आया है। गया नगरी में फल्गु के द्वादश तट है जहां अनेकों मनीषियों का पिंडदान के लिए आना हुआ है। सुमागधा के इस नदी तटों पर गुरु नानक, बाबा श्रीचंद्र और तेगबहादुर भी पितृ तर्पण हेतु आ चुके है। यहां पितृपक्ष मे कुंभ सा दृश्य होता है। बोधगया का फल्गु तट अवस्थित शंकर मठ उत्तर भारत का सबसे बड़ा शंकर मठ है। इसी की भूमि पर महाबोधि मंदिर भी बनाया गया है। फल्गु गया से होकर जहानाबाद जिला होते हुए पटना के मोकामा टाल पहुंचकर गंगा माता से मिलती है।

आस पड़ोस की पुण्य सलिला– बिहार के इन कल्याणमयी नदियों के अलावा भी कई अन्य पुण्य सलिला हैं। जिनके अपने धार्मिक सांस्कृतिक महत्व हैं। इन नदियों में नालंदा का पंचाने, जहानाबाद का दरधा– यमुनाई और गया का मोरहर– दरघा है। जहानाबाद का दरधा–यमुनाई संगम तट पर संगमेश्वर महादेव और माता मांडेश्वरी का मंदिर है। यहां शिवरात्रि और नवरात्रा में श्रद्धालु उमड़ते है। गया के मोरहर–दरघा संगम पर प्राचीन सहस्त्र कोटेश्वर नाथ मंदिर है। जनश्रुतियां इसे भगवान कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध और उसकी प्रेयसी उषा से जोड़ते है। बात अगर पंचाने की हो तो इस नदी का उदगम और संगम दोनों फल्गु है। पंच धाराओं के मिलने से बनी पंचाने झारखंड के पठार से निकलती है। यह पटना जिले के मोकामा टाल मे फल्गु मे विलीन हो जाती है।

तीर्थंकर महावीर की ज्ञान भूमि जमुई की नदियां – जिले सोनो प्रखंड में बरनार नदी के तट पर दो प्रसिद्ध देव स्थान है। जहां मां ब्रह्मदेवी देवस्थल पर माघ और भादो पूर्णिमा को मेला लगता है, वहीं बाबा झुमराज देव स्थान पर पूरे वर्ष मेले सा दृश्य रहता है। यहां बिहार, झारखंड और बंगाल तक से श्रद्धालु आते हैं।

एक और गंगा धारा किऊल – झारखंड के गिरिडीह से निकली लाल बालू के लिए प्रसिद्ध नदी किऊल के किनारे जमुई नगर का पतनेश्वरनाथ महादेव एवं कई महत्वपूर्ण जैन मंदिर है। लखीसराय जिले में पहुंच किउल गंगा में मिलती है। इससे पूर्व यहां के अमरपुर मेदनी चौक में माघी पूर्णिमा स्नान मेला लगता है। पुरानी नदी किऊल को लोकमान्यताओं मे गंगा की एक और धारा मानते हैं।

सीमांचल की धवल निर्मल धारा – उत्तर बिहार के पूर्वी क्षेत्र में कोसी कमला, गंगा और महानंदा की कई सहायक नदियां है, जिनकी अपनी लोक मान्यता है। कटिहार की साफ–सुथरी कल्याणी नदी में माघ तो पूर्णिया के सौरा नदी तट पर पौष पूर्णिमा को मेला लगता है। सूर्योपासना की प्रतीक सौरा पूर्णिया नगर होकर बहती है। लोकगीतों में सौरा माई और जट–जटिन के संवाद गीत आते है।

मिथिलांचल की कुछेक नदियां – अगर दरभंगा मधुबनी की सोचें तो रामायण कालीन दरभंगा का गौतम कुंड अहिल्या स्थान खिरोई नदी तट पर है। जबकि कालिदास पर कृपा करने वाली माता वन दुर्गा उच्चैठ भवानी मधुबनी के थुम्हानी नदी के पास है। सीतामढ़ी में यूं तो कार्तिक पूर्णिमा स्नान संडवारा, संगही में भी होता है। यहां सोनबरसा में झीम नदी तट पर इच्छावती मेला लगता है। किंतु इन स्थानीय नदियों में सर्वाधिक मान्यता लक्ष्मणा की है जिसे लोक बोली में

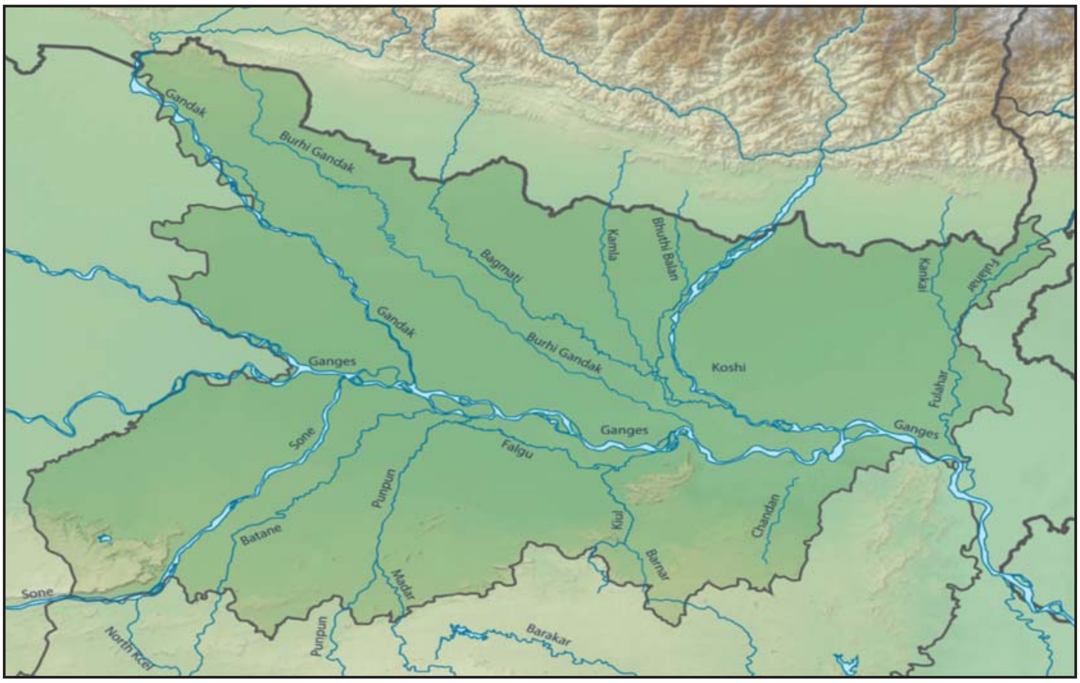

बिहार की प्रमुख नदियाँ

लखनदेई पुकारा जाता है। यह माता सीता की सहेली है। नेपाल के सर्लाही जिले से होकर यह सीतामढ़ी बिहार में प्रवेश करती है। फिर माता सीता प्रकाट्य जन्म प्रसंग से जुड़े हलेश्वर एवं सीतामढ़ी नगर होते हुए मुजफ्फरपुर जिले के कटरा चामुंडा स्थान में बागमती से मिलती है।

रोहतास पठार की नदी दुर्गावती—दक्षिण बिहार के रोहतास पठार से निकली दुर्गावती नदी भी धार्मिक मान्यताओं से संबद्ध है। कैमूर जिले के प्रसिद्ध पुरातन देवालय मां मुंडेश्वरी मंदिर के पास ही इसका उदगम स्थल है वही यह रोहतास के गुप्तेश्वरनाथ धाम गुफा जाने के मार्ग में आती है। पहाड़ियों पर अवस्थिक भगवान शिव का यह स्थान एक दुर्गम और रमणीक तीर्थस्थान है। जहां बिहार के शाहाबाद, औरंगाबाद से लेकर झारखंड एवं उत्तरप्रदेश से श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए आते है। जबकि मां मुंडेश्वरी मंदिर अपने पुरातन स्थापत्य एवं चमत्कारिक प्रभावों के लिए जाना जाता है।

पारिस्थितिक तंत्र में आये परिवर्तन और विकास के नाम पर नदियों के साथ मनमानी ने नदियों को सूखने पर मजबूर कर दिया है। वही हमारे मतलबीपन और उपेक्षापूर्ण व्यवहार ने भी नदियों के मरने का रास्ता खोल दिया है। बदलते दौर में नदी संग अपनी संस्कृति के रंग भी बेरंगे हो चले है। ऐसे में नदियों को बचाने की आवश्यकता है। इसके लिए समाज और शासन दोनों तरफ की गई पहल ही प्रकृति, संस्कृति के संरक्षण का आधार बन सकती है।

भारतीय संविधान : 75 वर्ष की यात्रा

भारत भूषण शर्मा
प्रमुख सचिव
राजस्थान विधान सभा

भारत अपने संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर विभिन्न आयोजन कर रहा है। भारत की संसद में इस पर चर्चा हुई तथा विभिन्न स्तरों पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। हाल ही में बिहार में आयोजित अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में इस विषय को लेकर चर्चा भी हुई। संविधान को लेकर लोगों में जागरूकता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो समय–समय पर चर्चा का विषय बनता है। हालांकि भारत में संविधान के महत्व को लेकर लोगों में समझ बढ़ी है, लेकिन जमीनी स्तर पर इस बारे में जानकारी की कमी अभी भी देखी जाती है। खासकर ग्रामीण इलाकों में, जहां संविधान के मौलिक अधिकार और कर्तव्यों के बारे में लोगों को कम जानकारी होती है।

भारत का संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता और न्याय की नींव है। 26 जनवरी, 1950 को जब यह लागू हुआ, तब से अब तक 75 वर्षों की यात्रा में इसने भारत को एक मजबूत, समावेशी और प्रगतिशील गणराज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज जब हम इस ऐतिहासिक उपलब्धि का स्मरण करते हैं, तो यह आवश्यक है कि हम इसकी संरचना, विकास, चुनौतियों और योगदान का विश्लेषण करें।

भारतीय संविधान की 75 वर्ष की यात्रा कोई साधारण घटना नहीं है, यह एक असाधारण उपलब्धि है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था, उस समय देश की स्थिति को देखकर अनेक आशंकाएं और संदेह व्यक्त किए गए थे– कुछ ने कहा कि यह देश एकसूत्र में नहीं बंध सकेगा, कुछ ने शंका जताई कि लोकतंत्र इस विविधता से भरे देश में जीवित नहीं रह पाएगा। किन्तु इन सभी संभावनाओं, शंकाओं और निराशावादियों को खंडित करते हुए, भारत का संविधान न केवल जीवंत रहा, बल्कि उसने भारत को स्थायित्व और विकास का मार्ग दिखाया। यह संविधान ही है, जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। सही मायने में हमारे लिए संविधान का मतलब है हमारी पहचान। डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि संविधान न केवल एक किताब है, बल्कि एक जीवन–शैली है।

जब भारतीय संविधान लागू हुआ, तब उसकी बुनियाद में एक ऐसा समाज रचने की परिकल्पना थी जो न्याय, समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर टिका हो। संविधान ने जिस भारत की कल्पना की थी, वह केवल कानूनी रूप से संरचित राष्ट्र नहीं था, बल्कि सामाजिक रूप से समरस और नैतिक रूप से उत्तरदायी नागरिकों का संघ था। बीते 75 वर्षों में भारत ने संविधान के इन आदर्शों को केवल संरक्षित नहीं किया, बल्कि समय और परिस्थिति के अनुसार उसे और सशक्त भी किया।

संविधान की सबसे बड़ी विशेषता इसका लचीलापन है। भारतीय संविधान का लचीलापन इसे एक जीवंत दस्तावेज बनाता है, जो नए विचारों को आत्मसात करते हुए स्थिरता और परिवर्तन के बीच संतुलन बनाए रखता है। संशोधनों ने इसे अप्रासंगिक होने से बचाया है और लोकतंत्र, समानता और न्याय के आदर्शों को साकार करने में मदद की है। समय के साथ भारत में सामाजिक चेतना बढ़ी, नई मांगें उभरी, और संविधान ने स्वयं को उन परिवर्तनों के अनुरूप ढालने की क्षमता दिखाई। संविधान में अब तक एक सौ छः संशोधन किए जा चुके हैं, जिनमें से कई सामाजिक बदलावों के वाहक बने हैं। 73वां और 74वां संशोधन लोकतंत्र को गाँव और शहरों तक ले जाने का प्रतीक बने। आरक्षण की व्यवस्था ने समाज के पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा में लाने में भूमिका निभाई। शिक्षा का अधिकार, बच्चों के लिए विशेष कानून, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े प्रावधान– ये सभी संविधान के सामाजिक विकास की गवाही देते हैं। लचीला होने के साथ ही यह मूल ढांचे में बदलाव को भी प्रतिबंधित करता है। केशवानंद भारती केस (1973) में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के ''मूल ढाँचे'' (Basic Structure) की अवधारणा दी, जिसके तहत संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की मूल

भावना को बदल नहीं सकती। इसी के क्रम में संविधान का 42वाँ संशोधन (1976) में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा किए गए व्यापक बदलावों को बाद में न्यायालय ने आंशिक रूप से रद्द किया। 99वाँ संशोधन (2014) द्वारा NJAC (राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग) अधिनियम को SC ने मूल ढांचे के उल्लंघन के आधार पर खारिज किया। हालांकि न्यायाधीश के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद माननीय उपराष्ट्रपति के वक्तव्यों ने इस पर पुनः चर्चा आरम्भ की है।

भारत के विकास में संविधान की भूमिका अत्यंत मूलभूत और मार्गदर्शक रही है। यह केवल एक विधिक दस्तावेज नहीं, बल्कि देश की आत्मा और विकास की दिशा तय करने वाला ग्रंथ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब भारत एक नवजात राष्ट्र के रूप में खड़ा हुआ, तब संविधान ने देश को एक स्पष्ट ढांचा दिया– जिसमें शासन, न्याय, अधिकार और कर्तव्य के स्वरूप निर्धारित किए गए। इस ढांचे ने भारत को न केवल राजनीतिक स्थिरता प्रदान की, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की नींव भी रखी।

संविधान ने प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार देकर सामाजिक समरसता और समावेशन को बढ़ावा दिया। इससे समाज के पिछड़े, वंचित और शोषित वर्गों को आगे बढ़ने का अवसर मिला, जो किसी भी राष्ट्र के समग्र विकास के लिए अनिवार्य है। लोकतंत्र की स्थापना और नागरिकों को दिए गए मतदान के अधिकार ने जनता को सत्ता में भागीदारी का अधिकार दिया, जिससे योजनाएँ जन–आधारित बनीं और विकास का मार्ग अधिक प्रभावी हुआ।

संविधान में उल्लिखित नीति–निदेशक तत्वों ने सरकार को सामाजिक और आर्थिक न्याय की दिशा में कार्य करने की प्रेरणा दी। सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में जो भी प्रगति हुई है, वह संविधान द्वारा तय किए गए लक्ष्यों की ही परिणति है। इसके अलावा, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के वितरण ने संघीय ढांचे को मजबूती दी, जिससे विविधता से भरे इस देश को एक सूत्र में पिरोकर विकास की ओर अग्रसर करना संभव हो सका। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मीडिया की आजादी और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा– ये सब संवैधानिक प्रावधान ही हैं, जिन्होंने शासन की जवाबदेही सुनिश्चित की है। यह उत्तरदायित्व और पारदर्शिता ही है जो देश को एक स्थायी और सतत् विकास की ओर ले जाती है।

इस प्रक्रिया में नागरिकों की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं रही। समय–समय पर जनता ने संविधान की भावना के अनुरूप आवाज उठाई– चाहे वो दलित आंदोलन हो, महिला अधिकारों की माँग हो, या शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर जन जागरूकता। इन आंदोलनों ने न केवल सरकार को संवैधानिक मूल्यों की याद दिलाई, बल्कि समाज को भी अधिक संवेदनशील और जागरुक बनाया।

सामाजिक न्याय की स्थापना संविधान का एक मूल उद्देश्य है। अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अन्य वंचित समुदायों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए संविधान ने समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14 से 18) प्रदान किया। इसके अंतर्गत आरक्षण व्यवस्था, छुआछूत की समाप्ति, धर्म, जाति एवं लिंग के आधार पर विभेद का प्रतिषेध और अवसर की समानता जैसे प्रावधान किए गए, जिनके माध्यम से सामाजिक असमानताओं को कम करने की दिशा में ठोस पहल हुई।

शिक्षा को संविधान ने एक मौलिक अधिकार का दर्जा दिया। 86वें संशोधन के तहत अनुच्छेद 21 (क) में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। साथ ही, नीति–निदेशक तत्वों में यह निर्देशित किया गया है कि राज्य शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा दे और अशिक्षा को समाप्त करने की दिशा में प्रयासरत रहे।

जागरूकता और नागरिक चेतना के निर्माण में संविधान ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19) के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रेस, मीडिया, साहित्य और सामाजिक आंदोलनों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार देकर संविधान ने समाज को जागरुक, प्रश्नशील और उत्तरदायी बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ने नागरिकों को विचार, संवाद और असहमति व्यक्त करने का मंच दिया है। यह लोकतंत्र की आत्मा है, जो न केवल शासन को उत्तरदायी बनाती है, बल्कि समाज में नवाचार, सुधार और रचनात्मकता को भी प्रोत्साहन देती है।

आर्थिक विकास की दृष्टि से संविधान ने 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूलभूत अधिकारों से हटाकर अनुच्छेद 300A में जोड़कर कानूनी अधिकार बनाया। जिससे व्यापक भूमि सुधार, उद्योगों के विकास, श्रमिकों के अधिकार और सामाजिक कल्याण योजनाओं को लागू करने में सहायता मिली। साथ ही, संघीय ढांचा और वित्त आयोग की व्यवस्था ने संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित किया, जिससे देश का समग्र आर्थिक विकास संभव हुआ।

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 से 28) भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाता है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आस्था के अनुसार धर्म को मानने, उसका प्रचार करने और धार्मिक क्रियाकलापों को संचालित करने का अधिकार प्राप्त है। यह प्रावधान भारत की विविधता को सम्मान देता है और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने में सहायक होता है।

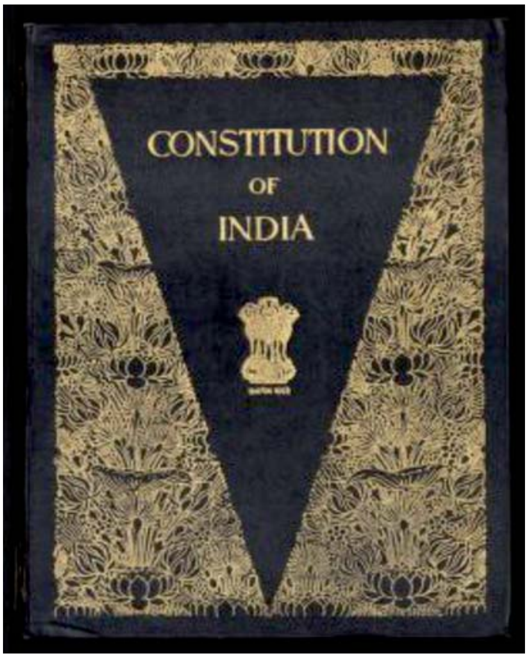

26 नवम्बर, 2024 को संसद में आयोजित समारोह के दौरान माननीय राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय संविधान न केवल महान विचारकों की बौद्धिक तपस्या का परिणाम है, बल्कि यह हमारे स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों का मूर्त रुप भी है, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता जैसे मूल मूल्य संविधान की प्रस्तावना में सुस्पष्ट रूप से व्यक्त किए गए हैं। उन्होंने संविधान को एक जीवंत और प्रगतिशील दस्तावेज बताते हुए कहा कि इसकी शक्ति कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी से आती है। संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्यों के माध्यम से नागरिकों को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में योगदान देने का अवसर मिलता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सरकार ने समाज के सभी वर्गों, विशेषकर कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए अनेक प्रयास किए हैं और न्यायपालिका भी न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सतत कार्य कर रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान के आदर्शों को आचरण में लाना और उन्हें नई पीढ़ी तक पहुँचाना हमारा दायित्व है, ताकि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

आज का भारत जिस विविधता, समरसता और जीवंत लोकतंत्र का प्रतीक है, उसका आधार वही संविधान है जिसने समान अधिकार, न्याय और स्वतंत्रता को हर नागरिक का जन्मसिद्ध अधिकार बनाया। सामाजिक परिवर्तन की यह यात्रा निरंतर है और संविधान उसका मार्गदर्शक दीपस्तंभ बना हुआ है। आवश्यकता है कि हम संविधान को न केवल अंगीकार करें वरन इसको आत्मसात करें। आज संविधान में वर्णित अधिकारों पर हर कोई चर्चा कर रहा है परन्तु अपने कर्तव्यों के पालन के प्रति कोई सजग नहीं है। देश के सर्वांगीण विकास के लिये हम सबको संविधान की भावना के अनुरूप और संविधान एवं कानून के दायरे में रह कर कार्य करना है तभी हम माननीय प्रधान मंत्री की 2047 के विकसित भारत की परिकल्पना को साकार कर पायेंगे।

सीतामढ़ी जिला

बिहार राज्य के उत्तर दिशा में बसा सीतामढ़ी जिला बड़ा ही मनोहर एवं अतिविशिष्ट है, जो अपनी धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए एक अलग ही पहचान बनाती है। सीतामढ़ी 11 दिसंबर, 1972 को मुजफ्फरपुर से अलग होकर अस्तित्व में आया। इसका मुख्यालय डुमरा में स्थित है। सीतामढ़ी माता सीता की जन्मस्थली है, जिस कारण यह हिंदू श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थस्थल के रूप में एक पवित्र स्थान है। जानकी मंदिर और जानकी कुंड यहाँ धार्मिक आस्था का केंद्र है। नेपाल की सीमा से सटे होने के कारण यह जिला भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है।

इतिहास

पौराणिक कथाओं के अनुसार सीतामढ़ी एक ऐसा पवित्र स्थान है, जहाँ माता सीता का जन्म हुआ। राजा जनक ने वर्षा के लिए इंद्र देव को प्रसन्न करने हेतु खेत जोतते समय एक मिट्टी के घड़े से उन्हें पाया था। इस स्थल पर जानकी कुंड और जानकी मंदिर स्थित है, जो धार्मिक आस्था के केंद्र हैं। लगभग 500 वर्ष पूर्व, अयोध्या से आए एक साधु बीरबल दास ने इस स्थल को पुनः खोजा और यहाँ एक मंदिर का निर्माण करवाया। वर्तमान जानकी मंदिर लगभग 100 वर्ष पुराना है।

इतिहास में, सीतामढ़ी क्षेत्र मिथिला राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। मध्यकाल में यह क्षेत्र कर्नाट वंश के शासकों के अधीन था जो बाद में बंगाल और फिर बिहार प्रांत का हिस्सा बना। 1908 में यह क्षेत्र मुजफ्फरपुर जिले का हिस्सा बना, और स्वतंत्रता के बाद 1972 में इसे स्वतंत्र जिला का दर्जा मिला।

सीतामढ़ी जिला

स्थापना – 11 दिसम्बर,1972
जिला मुख्यालय– डुमरा
क्षेत्रफल – 2294 वर्ग किमी
जनसंख्या– 34.23 लाख
साक्षरता – 52.05%
लिंगानुपात– 899
प्रमंडल – तिरहुत
अनुमंडल– 3
प्रखंड –17
राजस्व ग्राम – 845
ग्राम पंचायत – 258
दूरभाष कोड – 91–6226
वाहन पंजीकरण – BR–30

स्रोत : जिला वेबसाइट, सीतामढ़ी

भूगोल एवं अर्थव्यवस्था

सीतामढ़ी जिला बिहार राज्य के उत्तर भाग में है जो तिरहुत प्रमंडल का हिस्सा है। इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 2294 वर्ग किलोमीटर है। जिले की सीमाएं उत्तर में नेपाल, पूर्व में मधुबनी, दक्षिण में दरभंगा तथा मुजफ्फरपुर और पश्चिम में शिवहर तथा पूर्वी चंपारण जिलों से मिलती हैं।

भौगोलिक दृष्टि से, सीतामढ़ी जिला गंगा के मैदानों का हिस्सा है और इसकी अधिकांश भूमि समतल तथा उपजाऊ है। यह क्षेत्र बाढ़ की दृष्टि से संवेदनशील है, विशेषकर मानसून के दौरान। जिले में प्रमुख नदियाँ बागमती, लखनदेई और अधवारा हैं, जो जिले के विभिन्न भागों से होकर बहती हैं और कृषि के लिए महत्वपूर्ण हैं। सीतामढ़ी जिले की जलवायु समशीतोष्ण है, जहाँ गर्मियों में तापमान अधिक होता है और सर्दियों में ठंडक रहती है। यहाँ की औसत वार्षिक

वर्षा लगभग 1,267 मिमी है, जो मुख्यतः मानसून के महीनों में होती है। कृषि यहाँ की प्रमुख आर्थिक गतिविधि है और जिले की अधिकांश भूमि कृषि योग्य है। मुख्य फसलें धान, गेहूँ, मक्का, दलहन और तिलहन हैं।

सीतामढ़ी जिले के प्रमुख आकर्षण

हलेश्वर स्थान

हलेश्वर स्थान, बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्थित एक प्राचीन और पवित्र शिव मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर सीतामढ़ी शहर से लगभग 3 किलोमीटर उत्तर–पश्चिम में स्थित है। एक पौराणिक कथा के अनुसार रामायण काल के मिथिला राजा जनक ने इस शिव मंदिर का निर्माण करवाया था और आज भी वहां पत्थर का शिवलिंग मंदिर के गर्भगृह में मूल रूप से विराजमान है। यह स्थल रामायण काल से जुड़ा हुआ है और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं, विशेषकर महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ विशेष पूजा और मेले का आयोजन होता है।

हलेश्वर स्थान मंदिर

मंदिर परिसर में भक्तों के ठहरने की व्यवस्था भी उपलब्ध है, जिससे दूर–दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा होती है। भक्त बागमती नदी या पुनौरा धाम तालाब से लाए गए जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। यह स्थान न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता भी इसे विशेष बनाती है।

पंथ पाकर

पंथ पाकर सीतामढ़ी जिले का एक प्रसिद्ध पौराणिक स्थल है, जो शहर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह स्थान धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्व रखता है। लोककथाओं के अनुसार, जब माता सीता प्रभु श्रीराम से विवाह के पश्चात अयोध्या जा रही थीं, तब इस स्थान पर स्थित एक विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे उन्होंने कुछ समय विश्राम किया था। इसी कारण यह स्थल भक्तों और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बन गया है।

पंथ पाकर

पंथ पाकर को ''पंडौल'' के नाम से भी जाना जाता है। यहां एक प्राचीन पाकर (बरगद) का वृक्ष है, जो अत्यंत विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। यह वृक्ष देखने में बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाला लगता है और इसकी छांव में खड़ा होना एक आध्यात्मिक अनुभव जैसा प्रतीत होता है। वृक्ष के चारों ओर इस स्थान को धार्मिक स्थल के रूप में विकसित किया गया है, जहाँ पर्यटक शांति और श्रद्धा का अनुभव करते हैं।

पुपरी

बाबा नागेश्वरनाथ मंदिर, बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुपरी प्रखंड में एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, इसी स्थान पर

भगवान शिव ने अपने भक्तों को दर्शन दिए थे, जिससे यह स्थान श्रद्धालुओं के लिए विशेष आस्था का केंद्र बन गया।

यहाँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा–अर्चना के लिए आते हैं, और महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर यह संख्या कई गुना बढ़ जाती है। मंदिर का वातावरण भक्तिमय और शांतिपूर्ण होता है, जो लोगों को आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। मंदिर की संरचना आकर्षक है और इसका रख–रखाव बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया है।

बाबा नागेश्वरनाथ मंदिर

पुनौरा धाम

पुनौरा धाम, बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुनौरा गांव में स्थित एक अत्यंत पावन और ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है। इसे मां जानकी जन्मभूमि मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि यहीं माता सीता का जन्म हुआ था। यह स्थान रामायण काल से जुड़ा हुआ है और हिंदू श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। लोककथा के अनुसार, जब मिथिला राज्य में भयानक अकाल पड़ा था, तब वहां के विद्वान पुरोहितों ने राजा जनक को खेत में हल चलाने की सलाह दी। हल चलाते समय जमीन से मिट्टी का एक पात्र निकला, जिसमें शिशु रूप में माता सीता विराजमान थीं। यही स्थान आज पुनौरा धाम के रूप में पूजनीय है।

माँ जानकी जन्म स्थली

मंदिर के पीछे एक सरोवर है जिसे जानकी कुंड कहा जाता है। मान्यता है कि इस पवित्र कुंड में स्नान करने से संतान प्राप्ति होती है। पुनौरा धाम आस्था, इतिहास और संस्कृति का संगम है। रामायण प्रेमियों और श्रद्धालुओं के लिए यह स्थल अत्यंत महत्वपूर्ण है और यहाँ की यात्रा एक आध्यात्मिक अनुभव से भर देती है।

राम–जानकी पथ : आस्था और विकास का सेतु

रामनवमी के पावन अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा माता सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी से प्रभु श्रीराम की अयोध्या को जोड़ने वाला भव्य राम–जानकी पथ को स्वीकृति मिल चुकी है। 240 किलोमीटर लंबा यह मार्ग उत्तर प्रदेश–बिहार सीमा के मेहरौना घाट से प्रारंभ होकर सीवान, सारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर होते हुए सीतामढ़ी के भिट्ठा मोड़ तक पहुंचेगा। पुनौराधाम को भी इस पथ से सीधे जोड़ने की योजना है, जिससे श्रद्धालुओं की यात्रा सहज और सरल हो जाएगी। इससे धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों में नवप्राण का संचार होगा, वहीं व्यापार और पर्यटन के नए द्वार भी खुलेंगे।

जानकी नवमी

वैशाख शुक्ल नवमी का दिन भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है, जो धरती की कोख से प्रकट हुईं माता सीता का जन्मोत्सव 'जानकी नवमी' मनाया जाता है। दंतकथाओं में मिथिला के महाराज जनक ने जब अकाल से त्रस्त राज्य के लिए यज्ञ भूमि को हल से जोता, तब भूमि से एक कन्या का प्राकट्य हुआ। हल की नोक को 'सीत' कहा जाता है, इसलिए उस कन्या का नाम 'सीता' रखा गया। वे 'भूमिजा', 'जानकी' और 'मिथिलेश कुमारी' के नाम से भी प्रसिद्ध हुईं ।

जानकी नवमी के दिन श्रद्धालु व्रत रखते हैं, माता सीता और श्रीराम की पूजा करते हैं और सुहाग की वस्तुओं का दान करते हैं, जिससे सौभाग्य और सुख–शांति की प्राप्ति होती है । यह पर्व हमें स्मरण कराता है कि नारी शक्ति सृजन की आधारशिला है और माता सीता उसका सर्वोत्तम उदाहरण हैं।

जानकी कुंड

राज्य सरकार की पहल

पुनौरा धाम, जनकनंदिनी सीता की जन्मस्थली, धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का केंद्र है। बिहार सरकार इसे समग्र तीर्थ स्थल रूप में विकसित कर रही है। अवस्थापना विकास, 'आस्था पथ' निर्माण, सीता मयूख भवन जैसे कार्यों से श्रद्धालुओं की सुविधाओं में वृद्धि हुई है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देकर इसे वैश्विक पहचान दी जा रही है। राम नवमी व सीता नवमी जैसे पर्वों पर सांस्कृतिक आयोजन मिथिला की परंपरा को जीवंत बनाए हुए हैं। ये प्रयास पुनौरा धाम को केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि सांस्कृतिक गरिमा और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बनाने की दिशा में अग्रसर हैं। पुनौरा धाम के धार्मिक एवं पर्यटकीय महत्वों देखते हुए उसे रामायण सर्किट के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा अध्यादेश जारी किया गया है।

बिहार गजट असाधारण अंक में प्रकाशित अध्यादेश :–

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 ज्येष्ठ 1947 (श0)

(सं0 पटना 974) पटना, शुक्रवार, 23 मई 2025

विधि विभाग

अधिसूचना

23 मई 2025

सं॰ एल॰ जी॰–01–06/2025/3236/लेज-भारत संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड–(1) के अधीन बिहार राज्यपाल द्वारा दिनांक 21 मई 2025 को प्रख्यापित निम्नलिखित अध्यादेश इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

बिहार गजट (असाधारण), 23 मई 2025

[बिहार अध्यादेश संख्या–01,2025]
बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास (संशोधन) अध्यादेश, 2025
बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 (बिहार अधिनियम–01, 1951) का संशोधन करने के लिए अध्यादेश।

चूँकि सीतामढ़ी जिले में 'देवी सीता' की जन्मस्थली पुनौराधाम का विशेष धार्मिक और पर्यटन महत्व है। हिंदू धर्मावलंबी 'भगवान राम' के साथ 'देवी सीता' की भी पूजा करते हैं। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि का विकास किया गया है और यह श्रद्धालुओं के लिए बहुत आकर्षण का केंद्र बन गया है। अयोध्या और पुनौराधाम के बीच सीधा संपर्क है। व्यापक जनहित में श्रद्धालुओं की भावना और पर्यटन के व्यापक विकास की संभावना को ध्यान में रखते हुए मौजूदा पुनौराधाम को रामायण सर्किट के रूप में विकसित करना समीचीन है ताकि अयोध्या धाम से सीधा संपर्क हो सके।

और चूँकि, अब तक वहां बहुत कम विकास हुआ है। बिहार सरकार ने पुनौराधाम को अयोध्या धाम के अनुरूप विकसित करने की योजना बनाई है।

और चूँकि, पुनौरा मठ (श्री सीता जन्म कुण्ड स्थल (श्री जानकी जन्म भूमि, पुनोरा धाम मंदिर) ग्राम–पुनौरा, जिला–सीतामढ़ी एक पंजीकृत सार्वजनिक न्यास है और पर्षद के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत कार्य कर रहा है।

और चूँकि, बिहार राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 (बिहार अधिनियम–01, 1951) को इसके पश्चात् विहित रीति से संशोधित करने हेतु तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है।

इसलिए अब भारत संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं।

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ।**–
   (1) यह अध्यादेश बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास (संशोधन) अध्यादेश, 2025 कहा जा सकेगा।
   (2) यह अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा ।

2. **धारा 32 में संशोधन।**–बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 में उपधारा 32(5) को निम्नलिखित रूप में अंतःस्थापित किया जाएगाः–

   (5) (i) बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 सहित किसी प्रावधान के होते हुए भी, राज्य सरकार पुनौराधाम मंदिर, सीतामढ़ी के विकास के लिए एक योजना बना सकेगी, जिसमें भूमि और सभी परिसंपत्तियों का प्रशासन शामिल हैं। इस योजना में अन्य बातों के साथ–साथ विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण शामिल होगा, ताकि इसे राष्ट्रीय महत्व का धार्मिक और पर्यटन आकर्षण का स्थान बनाने के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।

   (ii) राज्य सरकार विकास योजना के प्रशासन के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों की समिति गठित कर सकेगी।

   (iii) इस अध्यादेश के लागू होने की तिथि से पुनौराधाम मंदिर की वर्तमान न्यास समिति भंग मानी जाएगी। सभी पदाधिकारी कार्य करना बंद कर देंगे।

   परंतु न्यास के विद्यमान महंथ को राज्य सरकार द्वारा गठित की जाने वाली समिति में शामिल किया जाएगा।

   परंतु और भी, न्यास के सभी कर्मचारी अनुशासनात्मक कार्रवाई सहित समिति के पूर्ण नियंत्रण के अधीन रहते हुए न्यास की सेवा करते रहेंगे।

   (iv) राज्य सरकार द्वारा गठित की जाने वाली समिति, न्यास और उसकी सभी मूर्त और अमूर्त परिसंपत्तियों के प्रबंधन का पूर्ण नियंत्रण तुरंत अपने हाथ में ले लेगी।

   (v) राज्य सरकार द्वारा गठित समिति राज्य सरकार को समय–समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

   (vi) राज्य सरकार योजना के उचित कार्यान्वयन के हित में समिति को निर्देश जारी कर सकती है और ऐसे निर्देश बाध्यकारी होंगे।

   (vii) राज्य सरकार न्यास के समुचित विकास के हित में वर्तमान योजना को संशोधित, परिवर्तित या प्रतिस्थापित कर सकेगी। राज्य सरकार किसी भी समय समिति का पुनर्गठन कर सकेगी, जिसमें नए सदस्यों को शामिल करना या वर्तमान सदस्यों को बाहर करना शामिल है।

   (viii) अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत पर्षद की सामान्य शक्तियां और कर्तव्य न्यास पर लागू रहेंगे।

(ix) उप–धारा (3) और (4) में निहित प्रावधान इस अध्यादेश के प्रावधानों के तहत तैयार की गई योजना पर लागू नहीं होंगे।

आरिफ मोहम्मद खां,
राज्यपाल, बिहार।

पटना,
दिनांकः 21 मई, 2025

भारत–संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड–(1) के अधीन मैंने इस अध्यादेश को प्रख्यापित किया है।

आरिफ मोहम्मद खां,
राज्यपाल, बिहार।

पटना,
दिनांकः 21 मई, 2025

विधि विभाग

अधिसूचना

23 मई 2025

सं॰ एल॰ जी॰ –01–06 / 2025 / 3237 / लेज- बिहार राज्यपाल द्वारा दिनांक 21 मई 2025 को प्रख्यापित बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (बिहार अध्यादेश संख्या–01, 2025) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त अध्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण)974-571+400-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in

सीतामढ़ी : सांसद

नाम – श्री देवेश चन्द्र ठाकुर लोकसभा क्षेत्र – सीतामढ़ी पार्टी – जदयू उम्र – 71 वर्ष मो० – 9431020000, 9867998679 ई–मेल : thakurdevesh.c@mpls.sansad.in		1st टर्म शैक्षणिक योग्यता : बी.ए. (ऑनर्स), एल.एल.बी.

सप्तदश बिहार विधान सभा में सीतामढ़ी जिले से निर्वाचित माननीय सदस्य :–

क्रमांक	नाम व पता	फोटो	
1.	**नाम – श्री मोतीलाल प्रसाद** निर्वाचन क्षेत्र – रीगा क्षेत्र सं० – 23 पार्टी – बीजेपी मो० – 8340541717 ई–मेल – mla-riga-bih@nic.in		2nd टर्म शैक्षणिक योग्यता – इंटरमीडिएट
2.	**नाम – ई० अनिल कुमार** निर्वाचन क्षेत्र – बथनाहा (अ.जा.) क्षेत्र सं० – 24 पार्टी – बीजेपी मो० – 8210064841 ई–मेल – bla-bathnaha-bih@nic.in		1st टर्म शैक्षणिक योग्यता – बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग
3.	**नाम – श्रीमती गायत्री देवी** निर्वाचन क्षेत्र – परिहार क्षेत्र सं० – 25 पार्टी – बीजेपी मो० : 9955313826 ई–मेल : mla-parihar-bih@nic.in		2nd टर्म शैक्षण्कि योग्यता – 9वीं पास
4.	**नाम – श्री दिलीप राय** निर्वाचन क्षेत्र – सुरसंड क्षेत्र सं० – 26 पार्टी – जदयू मो० – 9430508851 ई–मेल – mla-sursand-bih@nic.in		2nd टर्म शैक्षणिक योग्यता – इंटरमीडिएट

5.	**नाम – मुकेश कुमार यादव** निर्वाचन क्षेत्र – बाजपट्टी क्षेत्र सं० – 27 पार्टी – रा.ज.द. मो० – 9471230325 ई–मेल – mla-bajpatti-bih@nic.in		1st टर्म शैक्षणिक योग्यता – स्नातक
6.	नाम – श्री मिथिलेश कुमार निर्वाचन क्षेत्र – सीतामढ़ी क्षेत्र सं० – 28 पार्टी – बीजेपी मो० – 9431067307 ई–मेल – mla-sitamarhi-bih@nic.in		1st टर्म शैक्षणिक योग्यता – शास्त्री (प्रतिष्ठा)
7.	नाम – श्री पंकज कुमार मिश्र निर्वाचन क्षेत्र – रुन्नी सैदपुर क्षेत्र सं० – 29 पार्टी – जदयू मो० – 9470710009 ई–मेल – mla-rsaidpur-bih@nic.in		1st टर्म शैक्षणिक योग्यता – स्नातक
8.	नाम – श्री संजय कुमार गुप्ता निर्वाचन क्षेत्र – बेलसंड क्षेत्र सं० – 30 पार्टी – रा.ज.द. मो० – 9431813367 ई–मेल – mla-belsand-bih@nic.in		3rd टर्म शैक्षणिक योग्यता – स्नातक

भरत कुमार भारती, शोध/संदर्भ सहायक
राजीव रंजन, शोध/संदर्भ सहायक

श्रद्धांजलि

जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है। शास्त्रों में वर्णित है कि मृत्यु शरीर की होती है न कि आत्मा की। आत्मा शाश्वत है, अजर है, अमर है लेकिन बिछुड़न हमें पीड़ा देती है । कतिपय जननायकों के निधन से बिहार विधान मंडल ही नहीं अपितु प्रदेश को भी अतुलनीय क्षति हुई है जिनके बारे में शोक प्रकट करना एवं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना हमारा परम कर्तव्य है ।

सत्रहवीं बिहार विधान सभा के त्रयोदश एवं चतुर्दश सत्र में निम्नलिखित जननायकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई :—

सदस्य का नाम	निधन तिथि
स्व. खालिद अनवर अंसारी (पूर्व स.वि.स. एवं स.वि.प.)	03 सितम्बर, 2024
स्व. ब्रज किशोर सिंह (पूर्व स.वि.स. एवं स. वि. प)	25 सितम्बर, 2024
स्व. जय प्रकाश मिश्र (पूर्व स. वि. स.)	21 अक्टूबर, 2024
स्व. राजेन्द्र प्रसाद यादव (पूर्व स.वि.स.)	25 अक्टूबर, 2024
स्व. श्रीनारायण यादव (पूर्व स.वि.स.)	12 नवम्बर, 2024
स्व. सधनु भगत (पूर्व स.वि.स.)	13 नवम्बर, 2024
स्व. मुंशी चौधरी (पूर्व स.वि.स.)	16 नवम्बर, 2024
स्व. छत्रुराम महतो (पूर्व स.वि.स.)	17 नवम्बर, 2024
स्व. गणेश पासवान (पूर्व स.वि.स.)	01 दिसंबर, 2024
स्व. मनोरमा सिंह (पूर्व स. लोक सभा)	08 दिसंबर, 2024
स्व. बैरागी उरांव (पूर्व स.वि.स.)	15 दिसंबर, 2024
स्व. कृष्णानंद झा (पूर्व स.वि.स.)	15 दिसंबर, 2024
स्व. विशुनदेव राय (पूर्व स.वि.प.)	10 जनवरी, 2025
स्व. प्रमोद कुमार सिंह (पूर्व स.वि.स.)	21 जनवरी, 2025
स्व. विश्वनाथ सिंह (पूर्व स.वि.स.)	31 जनवरी, 2025
स्व. तेज नारायण यादव (पूर्व स.वि.स.)	02 फरवरी, 2025
स्व. कामेश्वर चौपाल (पूर्व स.वि.प.)	06 फरवरी, 2025
स्व. मिथलेश प्रसाद यादव (पूर्व स.वि.स.)	21 फरवरी, 2025
स्व. ओम प्रकाश पासवान (पूर्व स.वि.स.)	04 मार्च, 2025
स्व. उदय कांत चौधरी (पूर्व स. वि.प.)	07 मार्च, 2025
स्व. चितरंजन कुमार (पूर्व स.वि.स.)	26 मार्च, 2025

शहीद की पत्नी

श्री विलोक रंजन
(सहा. प्रशाखा पदा.)
बिहार विधान सभा

सरहदों के पास युद्धरत,
न माने रिपु से हार अनवरत,
उन्माद वीरता की जिसके रग–रग में,
चरणों में जिसके करे, हिमराज शीश–नत,
ऐसे योद्धा वीर–पुरुष की,
मैं नारी शहीद की पत्नी हूँ।

मैं शहीद की पत्नी हूँ।

दुनियाँ की नजरों में विधवा हूँ,
पर मानूँ मैं अमर सधवा हूँ,
होकर शहीद जब हो गए अमर वो,
फिर कैसे मानूँ मैं विधवा हूँ ?
अमर–सुहाग का मैं संदेशा,
हिन्दी–बहनों को देने निकली हूँ।

मैं शहीद की पत्नी हूँ।

वो, नहीं तो क्या, मैं दुश्मनों की दुश्मन,
अस्त्र बने अब हाथों के कंगन,
भड़क उठे दृग, अंगारे बनकर
रिपुओं के जलाने, घर–आँगन,
विध्वंश देश के दुश्मनों का,
मैं करने वाली प्रचण्ड अग्नि हूँ।

मैं शहीद की पत्नी हूँ।

स्वप्न अधूरे जो, रह गए हैं उनके,
अश्रुधार जो, बह गए हैं उनके,
पूर्ण करने का लक्ष्य है मेरा
मुखबन्द बोल जो, कह गए हैं उनके।
सर्वस्व समर्पित उनके चरणों में,
मैं करनेवाली–संगिनी हूँ।

मैं शहीद की पत्नी हूँ।

मेरे दृग–तारक के वो ज्योति,
काश! उनके साथ मैं भी होती,
सदा साथ निभाने का, परिणय–वचन अधूरा
न होता, न मैं तन्हा रोती,
उनके जैसा सुत जननेवाली,
मैं वीरांगना जननि हूँ।

मैं शहीद की पत्नी हूँ।

फोटो गैलरी

गार्ड ऑफ ऑनर परेड का निरीक्षण करते हुए माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला

85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को संबोधित करते माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा

85वें भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में माननीय अध्यक्ष, लोकसभा श्री ओम बिरला का संबोधन

85वें भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा श्री नन्द किशोर यादव का संबोधन

85वें भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद् श्री अवधेश नारायण सिंह का संबोधन

85वें भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में माननीय उपाध्यक्ष, बिहार विधान सभा श्री नरेन्द्र नारायण यादव का संबोधन

माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान का स्वागत करते माननीय अध्यक्ष लोकसभा, श्री ओम बिरला

85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद्
श्री अवधेश नारायण सिंह माननीय उप सभापति, राज्यसभा श्री हरिवंश को प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए

माननीय अध्यक्ष, लोक सभा का विधानमंडल पुस्तकालय भ्रमण

राज्य सभा के माननीय उप सभापति श्री हरिवंश के द्वारा
माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा को प्रतीक भेंट

85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के दौरान
संसद टीवी से बात करते माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा

माननीय अध्यक्ष, लोकसभा द्वारा बिहार विधान सभा में **NeVA** केन्द्र का उद्घाटन

खाजेकलां घाट पर गंगा आरती में सम्मिलित माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा

85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में आये हुए
प्रतिनिधिगण का तख्त श्री हरि मंदिर साहब गुरूद्वारा भ्रमण

85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में आये प्रतिनिधिगण का बापू टावर, गर्दनीबाग का भ्रमण

85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में आये अतिथिगण का
महाबोधि मंदिर, बोधगया का भ्रमण

85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के प्रतिनिधिगण का राजगीर भ्रमण

85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के दौरान लंच का दृश्य

उद्योग विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन करते
माननीय अध्यक्ष, लोकसभा एवं माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा

बजट सत्र के दौरान विधान सभा प्रांगण में
माननीय राज्यपाल का स्वागत करते अध्यक्ष, बिहार विधान सभा

बिहार विधान सभा सत्र के दौरान शैक्षणिक यात्रा पर आये **NCC** कैडेट्स के साथ
माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा एवं पदाधिकारीगण

बिहार विधान सभा सत्र के दौरान शैक्षणिक यात्रा पर आयीं
पटना वीमेंस कॉलेज की छात्राओं के साथ माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा एवं पदाधिकारीगण

सम्मेलन के दौरान सेन्ट्रल हॉल में उपस्थित पीठासीन अधिकारीगण

प्लेनरी सेशन के दौरान बिहार विधान सभा वेश्म का दृश्य

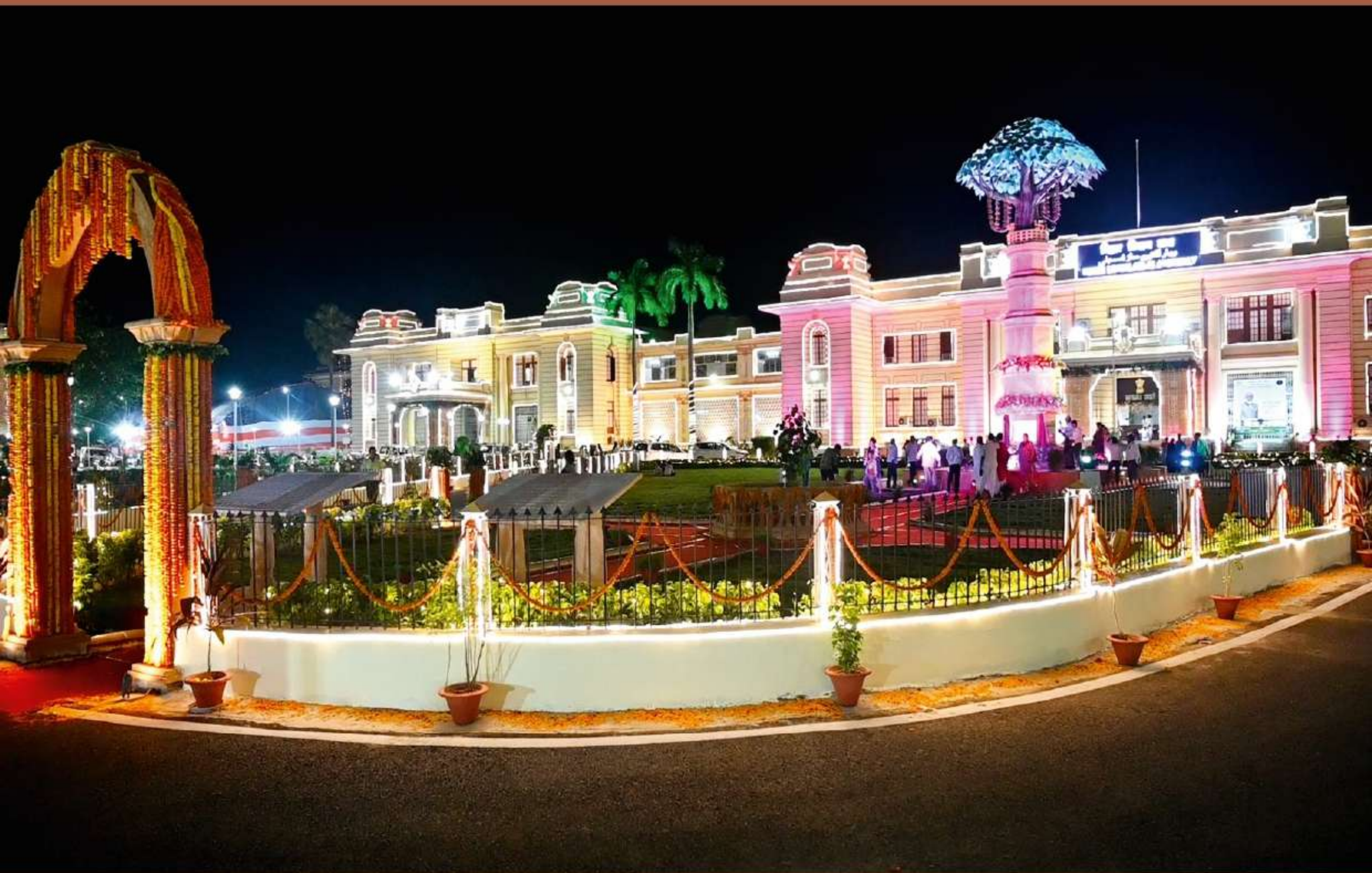

Printed at: **Sanjay Printing Works**, Gurhatta, Patna-8, M.-9334148945